

वार्षिक रिपोर्ट
2004-2005



रबर बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

भारतीय विज्ञान संस्थान
National Institute of India
पुस्तकालय

परिचय नं./Acc. No:
दिनांक/Date:
आवक/Initials

23780 J
27/3/08
VB

अनुक्रमणिका

	विषय	पृष्ठ सं.
भाग I	प्रस्तावना	1
भाग II	रचना और कार्य	4
भाग III	रबड़ उत्पादन	7
भाग IV	प्रशासन	16
	➤ स्थापना	
	➤ विपणन	
	➤ श्रमिक कल्याण	
	➤ विधिक	
	➤ हिंदी अनुभाग	
	➤ प्रचार एवं जन संपर्क	
	➤ सतर्कता	
भाग V	रबड़ अनुसंधान	26
भाग VI	प्रक्रमण एवं उपज विकास	33
भाग VII	प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श	36
भाग VIII	वित्त एवं लेखा	43
भाग IX	अनुज्ञापन व उत्पाद शुल्क	46
भाग X	सांख्यिकी एवं योजना	52
	सांख्यिकीय सारणियाँ	54
	बोर्ड के सदस्यों की सूची	60



भाग - I

प्रस्तावना

भारत सरकार ने रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन देश में रबड़ खेती उद्योग के विकास के प्राथमिक लक्ष्य से कोरपोरेट निकाय के तौर पर रबड़ बोर्ड की गठन की। **हीविया ब्रासीलियनसिस** नामक पेड़ द्वारा उत्पादित लाटेक्स से संसार के सर्वाधिक बहु उपयोगी कच्चे माल के रूप में जाननेवाला स्वाभाविक रबड़ प्राप्त होता है। इस कच्चे माल का उपयोग भारत में करीब 35000 उत्पादों के निर्माण में किया जाता है तथा राष्ट्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में इसकी अपार देन है। बोर्ड ने विकास एवं विस्तार की एक सख्त श्रृंखला की संस्थापना की तथा जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के क्षेत्रों में याने रबड़ बागान क्षेत्र के सभी स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। साथ ही साथ अनुसंधान को इसका प्रणोद क्षेत्र माना तथा रबड़ के जैविकीय एवं प्रौद्योगिकीय सुधार हेतु अनुसंधान चलाने के लक्ष्य से बोर्ड ने 1955 में भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान (भा.र.ग.सं.) की संस्थापना की।

बोर्ड इसके प्रारंभ से ही रबड़ की वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहन देता आ रहा है। छठी योजना अवधि से रबड़ के नवरोपण एवं पुनरोपण प्रोत्साहित करने के लिए रबड़ बागान विकास योजना नामक रबड़ बागान हेतु एक एकीकृत योजना प्रचालित हैं तथा विश्व बैंक द्वारा इसे सर्वाधिक सफल योजनाओं में एक आंका है। इसके अलावा उत्पादकता में वृद्धि लाने, वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रयासों से गुणवत्ता में सुधार लाने, कृषकों के मूल स्तरीय संगठन बनाने

हेतु सुविधा प्रदान करने तथा रबड़ खेती द्वारा स्थायी विकास सुनिश्चित करने में उन्हें सशक्त करने के लिए कृषकों को विकास एवं विस्तार समर्थन दिया जाता है। गैर-पारंपरिक क्षेत्र विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में रबड़ बागानों की वृद्धि दर में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है जहाँ एकीकृत दृष्टिकोण स्वीकृत करके रबड़ विकास कार्य चलाये गये थे। उत्तर-पूर्व एवं उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व केरल जैसे अन्य राज्यों के आदिवासी परिवर्तन कृषकों के लिए कार्यान्वित रबड़ आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रमों का विशेष जिक्र करना अति आवश्यक है जो उनके सामाजिक आर्थिक विकास/परिस्थिति को बनाये रखना सुनिश्चित करते भी है।

रबड़ उत्पाद विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देकर, दक्षता में वृद्धि एवं अवसंरचना विकास हेतु सहायता प्रदान कर स्वाभाविक रबड़ के विभिन्न उपयोगों तथा अपारंपरिक उपयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड अन्य कई उपाय भी अपनाते आ रहा है।

विश्व के सर्वाधिक फसल देनेवाले क्लोनों में एक एवं लोकप्रिय क्लोन आर आर आई आई 105 का प्रजनन एवं निर्मुक्त करना भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान की उल्लेखनीय देन है। भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान द्वारा प्रति हेक्टेयर 2500 कि.ग्रा. से अधिक संभाव्य उपजवाली आर आर आई आई 400 श्रेणी की 4 उपजातियाँ निर्मुक्त की गयीं। **हीविया** की विभिन्न कृषि प्रणालियों पर कृषि प्रौद्योगिकियाँ भी भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान ने विकसित की हैं। संस्थान ने रबड़ संसाधन को

सुधारने तथा कृत्रिम रबड़ का प्रभावी रूप से प्रतिस्थापन करने लायक विशेष रबड़ विकसित करने में भी उल्लेखनीय देन दी है। प्रक्रमण फैक्टरियों में प्रदूषण रोकने हेतु विशेष परिस्थिति सुरक्षा प्रणालियों, प्रक्रमण में ऊर्जा बचाने की विधि, रबड़ काष्ठ के प्रक्रमण, सहायक आय पैदा करने के कार्यकलाप एवं रबड़ आधारित फसल प्रणालियों पर अनुसंधान के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2004-05 के दौरान निष्पादन

उत्पादन क्षेत्र

वर्ष 2004-05 के दौरान देश का स्वाभाविक रबड़ उत्पादन वर्ष 2003-04 के 711,650 टण के उत्पादन के विरुद्ध 749,665 टण रहा। वर्ष 2004-05 के दौरान वृद्धि दर वर्ष 2003-04 की 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर से घटकर 5.3 प्रतिशत

उपभोग क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र के पुनरुत्थान के साथ रबड़ उत्पादन क्षेत्र के निष्पादन में दृश्यमान सुधार हुआ। भारत के रबड़ माल विनिर्माण उद्योग ने वर्ष 2003-04 के 3.5 प्रतिशत उपभोग वृद्धि दर से 719600 टण उपभोग के स्थान पर वर्ष 2004-05 के दौरान 5.0 प्रतिशत की उपभोग वृद्धि दर से 755,045 टण रबड़ का उपभोग दर्ज किया। वाहन टायर विनिर्माण क्षेत्र ने वर्ष 2003-04 की 7.1 प्रतिशत से हल्का सा बढ़कर 7.4 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की। गैर टायर क्षेत्र ने पिछले वर्ष की 0.3 प्रतिशत की ऋण वृद्धि दर के विरुद्ध 2.3 प्रतिशत आकर्षक वृद्धि दर दर्ज की जिसका 5.0 प्रतिशत की कुल वृद्धि दर में महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

वर्ष 2004-05 तथा उसके पूर्व के दो वर्षों के स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन, उपभोग और वृद्धि दर निम्न प्रकार है:-

वर्ष	उत्पादन (मेट्रिक टण में)	वृद्धि दर	उपभोग (मेट्रिक टण में)	वृद्धि दर
2001-02	6,31,400	0.2%	6,38,210	1.1%
2002-03	6,49,435	2.9%	6,95,425	9.0%
2003-04	7,11,650	9.6%	7,19,600	3.5%
2004-05	7,49,665	5.4%	7,55,405	5.0%

हो गयी। वृद्धि दर में गिरावट का मुख्य कारण वर्ष के प्रथम और अंतिम तिमाही में कायम प्रतिकूल मौसम रहा। लेकिन वर्ष 2004-05 के दौरान देश की वार्षिक औसत उत्पादकता बढ़कर 1705 कि.ग्रा./ हे. हो गयी जो विश्व में सर्वाधिक है। बोर्ड द्वारा उत्पादकता वृद्धि योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उत्पादकता में यह वृद्धि हुई।

स्वाभाविक रबड़ के आयात एवं निर्यात

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 के आयात वर्ष 2004-04 के 44,199 टण एवं वर्ष 2002-03 के 26, 217 टण से उछलकर 68178 टण हो गया है। भारत सरकार ने स्वाभाविक रबड़ के आयात पर रहे बन्दरगाह नियंत्रण 6 अगस्त 2004 को हटा दिया है जो दिसंबर 2001 में

लगाया गया था। अग्रिम लाइसेंस की बहाली, बन्दरगाह नियंत्रण का हटाना तथा देशी भाव अन्तर्राष्ट्रीय भावों से अधिक रहना आदि स्वाभाविक रबड़ के आयात में उछाल के मुख्य कारण बने।

वर्ष 2004-05 के दौरान निर्यातित रबड़ का परिमाण 46,169 टण रहा जबकि यह वर्ष 2003-04 के दौरान 75,905 टण एवं वर्ष 2002-03 के दौरान 55,331 टण रहा। स्वाभाविक रबड़ के निर्यात के परिमाण में कमी के मुख्य कारण प्रोत्साहन राशि की दर में कटौती एवं देशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार के भावों में कायम बहुत कम अन्तर रहे।

स्वाभाविक रबड़ का भाव

वर्ष 2003-04 के दौरान स्वाभाविक रबड़ के भावों में दोनों देशी व अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उछाल का रुख दृष्टव्य था तथा समान रुख पूरे वर्ष 2004-05 के दौरान भी जारी रहा। अन्तर्राष्ट्रीय भावों के अनुरूप अप्रैल से जुलाई 2004 तक भावों में वृद्धि कायम रही। देशी बाज़ार में स्वाभाविक रबड़ का सर्वाधिक भाव जुलाई 2004 के मध्य में 67.50 रुपये प्रति कि.ग्रा सर्वाधिक रिकार्ड किया गया जिससे पहले का सर्वाधिक भाव जून 1995 में आर एस एस-4 के लिए दर्ज 65.50 रु. प्रति कि ग्रा था।

अगस्त व सितंबर 2004 में आर एस एस-4 का देशी भाव अधिकतम उत्पादन मौसम की वजह से घट गया था। अक्तूबर 2004 में भाव थोड़ा सा बढ़

गया था तथा नवंबर व दिसंबर 2004 में क्रमशः घट गया। इसके बाद देशी बाज़ार में भावों में सुधार आ गया था। वर्ष 2004-05 के दौरान आर एस एस-4 श्रेणी के रबड़ का वार्षिक औसत भाव 55.71 रु. प्रति कि.ग्रा था जबकि यह वर्ष 2003-04 के दौरान प्रति कि.ग्रा 50.40 रु. रहा।

जून 2004 तक अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी स्थायी वृद्धि का रुख देखा गया तथा उसके बाद जुलाई से सितंबर 2004 तक कमी का रुख देखा गया। अक्तूबर 2004 के दौरान भाव में हल्का सा सुधार आ गया तथा जनवरी 2005 तक क्रमशः घटते गया। उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में फरवरी एवं मार्च 2005 के दौरान भाव बढ़ गया। वर्ष 2004-05 के दौरान आर एस एस-3 श्रेणी के रबड़ का वार्षिक औसत भाव प्रति कि.ग्रा 57.51 रु. था जबकि पिछले वर्ष यह 52.78 रु. था।

देशी बाज़ार में आर एस एस-4 श्रेणी के रबड़ के पिछले चार वर्षों के वार्षिक औसत भाव ये रहे:

वर्ष	भाव (प्रति क्विंटल)
2001-02	3,228/- रु
2002-03	3,919/- रु
2003-04	5,040/- रु
2004-05	5,571/- रु

भाग - II

रचना एवं कार्य

बोर्ड की रचना

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 4(3) के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

- क) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष
- ख) तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए दो सदस्य होंगे, जिनमें एक रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा
- ग) केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 सदस्य होंगे, जिनमें छः रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन व्यक्तियों में तीन छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे
- घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दस सदस्यों को मनोनीत करेंगे जिनमें से दो विनिर्माताओं एवं चार श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे
- ङ) संसद के तीन सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा द्वारा दो सदस्यों को और राज्य सभा द्वारा एक सदस्य को चुन लिये जाएंगे
- च) कार्यपालक निदेशक (पदेन); और
- छ) रबड़ उत्पादन आयुक्त (पदेन)।

कार्यपालक निदेशक का पद अभी तक नहीं भरा गया है ।

31.3.2005 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की सूची रिपोर्ट के अंत में दी गयी है ।

बोर्ड के प्रकार्य

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8 में बताए गए

बोर्ड के प्रकार्य हैं:-

- (1) रबड़ उद्योग के विकास जैसे उचित समझता है वैसे उपायों से प्रोत्साहित करना
- (2) इस के लिए इन उपायों का प्रबंध करना है-
 - क) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान चलाना, सहायता देना या प्रोत्साहित करना;
 - ख) छात्रों को रोपण, कृषि, खाद देने एवं छिड़काव की उन्नत रीतियों का प्रशिक्षण देना;
 - ग) रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह प्रदत्त करना;
 - घ) रबड़ विपणन का सुधार;
 - ङ.) एस्टेट मालिकों, व्यापारियों और विनिर्माताओं से सांख्यिकी का एकत्रण करना;
 - च) श्रमिकों को काम करने हेतु बेहतर सुविधा व व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा उनकी सुख सुविधाओं व प्रोत्साहनों का सुधार करना; और
 - छ) अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत बोर्ड के अधिकार में दिये गए किसी भी अन्य कार्यों का निर्वहण करना ।
- (3) बोर्ड का यह भी कार्य होगा
 - क) रबड़ के आयात और निर्यात सहित रबड़ उद्योग के विकास से संबंधित सारे मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना;
 - ख) रबड़ से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या योजना में भाग लेने के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना;

ग) इस अधिनियम के कार्यों एवं बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में केन्द्र सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को जैसा निर्धारित हो, अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

घ) समय समय पर केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार रबड़ उद्योग से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना और उसे पेश करना;

रबड़ अधिनियम की धारा 8 में कथितानुसार बोर्ड के कार्यकलापों व उसी तरह प्रकार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा हेतु आठ समितियाँ गठित की गई हैं। ये हैं:- कार्यकारिणी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, बाज़ार विकास समिति, रोपण समिति, सांख्यिकी एवं आयात/निर्यात समिति, श्रमिक कल्याण समिति, कर्मचारी कार्य समिति और उत्तर-पूर्व में रबड़ विकास समिति।

अन्य हितों के प्रतिनिधित्व करनेवाले श्री एट्टुमानूर वी राधाकृष्णन 19.11.2004 तक की अवधि तक बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। तमिलनाडु राज्य क्षेत्र के बड़े रबड़ कृषकों के प्रतिनिधित्व करनेवाले श्री एस रामचन्द्रन को एक वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के रूप में 20.11.2004 को चुन लिया गया।

श्री एस.एम.डसलफिन भा.प्र.से. वर्ष 2004-05 के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जारी रहे।

संगठनात्मक रचना

रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों का आठ विभागों याने रबड़ उत्पादन, प्रशासन, अनुसंधान, प्रक्रमण एवं उपज विकास, प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श, वित्त एवं लेखा, अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क और सांख्यिकी एवं योजना द्वारा निष्पादित किया जाता है। इन विभागों के मुख्य क्रमशः रबड़ उत्पादन आयुक्त, सचिव, निदेशक (अनुसंधान), निदेशक (प्र व उ

वि), निदेशक (प्र व त प), निदेशक (वित्त), निदेशक (अनु व उ शु) और संयुक्त निदेशक (सां व यो) हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सचिव के पद रिक्त रहने के कारण निदेशक (अनु व उ शु) ने सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

बोर्ड के प्रशासन, रबड़ उत्पादन, सांख्यिकी व योजना, अनुज्ञापन व उत्पाद शुल्क और वित्त एवं लेखा विभाग, कीषकुन्नु, कोट्टयम - 686 002 बोर्ड के अपने ही कार्यालय भवन में स्थित हैं। अनुसंधान विभाग, प्रक्रमण व उपज विकास विभाग और प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श विभाग भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान परिसर, पुतुप्पल्ली, कोट्टयम-686 009 में स्थित हैं।

अनुज्ञापन और उत्पाद शुल्क विभाग के अधीन नौ उप कार्यालय हैं। देश के विभिन्न रबड़ उत्पादित क्षेत्रों में रबड़ उत्पादन विभाग के 4 आंचलिक कार्यालय, 2 न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 42 प्रादेशिक कार्यालय, 167 क्षेत्रीय स्टेशन, दो जिला विकास केन्द्र सहित 13 प्रादेशिक पौधशालाएँ, एक केन्द्रीय पौधशाला और 19 टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल स्थित हैं।

अनुसंधान विभाग केरल में दो प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा में एक-एक प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र चलाता है। इसके अलावा अनुसंधान विभाग कोट्टयम स्थित पयलट ब्लॉक रबड़ फैक्टरी एवं स्वाभाविक रबड़ लाटेक्स के रेडियेशन वल्कनीकरण के लिए एक पायलट प्लान्ट का संचालन करता है। केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन, चेतककल स्थित पायलट लैटेक्स संसाधन फैक्टरी एवं विश्व बैंक सहायता प्राप्त रबड़ परियोजना के अधीन संस्थापित आदर्श टी एस आर फैक्टरी का

संचालन प्रक्रमण एवं उपज विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

बोर्ड के सारे विभागों एवं कार्यालयों पर अध्यक्ष का प्रशासनिक नियंत्रण होता है। 31.3.2005 के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कुल संख्या 1977 थी, जिनमें “क” वर्ग के 319 अधिकारी, “ख” वर्ग के 613 अधिकारी, “ग” वर्ग के

856 और “घ” वर्ग के 189 कर्मचारी सम्मिलित हैं। कार्यकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अच्छा संबंध रहा। उनके अच्छे कार्य बोर्ड को आगे बढ़ने में सहायक रहे।

आगे के पृष्ठों में विभिन्न विभागों के कार्यकलापों के संक्षिप्त विवरण दिये गये हैं।



भाग - III

रबड़ उत्पादन

रबड़ खेती, स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन को प्रोत्साहित करनेवाली योजनाओं का रूपायन एवं कार्यान्वयन, प्राथमिक प्रक्रमण को समर्थन एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने की योजनाओं के रूपायन एवं कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व रबड़ उत्पादन विभाग को है। वर्ष 2004-05 के दौरान रूपायित एवं कार्यान्वित मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं:

1. रबड़ बागान विकास योजना
2. ब्लॉक रोपण, ग्रुप रोपण योजनाओं के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के बीच रबड़ खेती का संवर्द्धन
3. वैज्ञानिक रोपण और उत्पादन के लिए कृषकों को सलाहकारी और विस्तार सेवाएं
4. उत्पादन एवं प्रक्रमण सुधार हेतु बागवानी चीजों की पूर्ति
5. छोटे कृषकों के उत्पादों के प्राथमिक संसाधन एवं गुणता सुधार की योजना
6. छोटे रबड़ कृषकों के बीच सामाजिक कार्यकलाप, स्वयं सहायक ग्रुपों का प्रोत्साहन
7. रबड़ टापों एवं कृषकों को प्रशिक्षण

कंप्यूटरीकरण

बोर्ड ने रबड़ उत्पादन कार्यों को रबड़ बोर्ड सूचना प्रणाली (RBIS) द्वारा मुख्यालय एवं प्रादेशिक कार्यालयों में कंप्यूटरीकृत किया है जिसका विकास मे. ए. एल. आई. टी., बंगलूर ने किया है। सभी प्रादेशिक कार्यालयों ने रबड़ बागान विकास योजना के आवेदनों की छानबीन रबड़ बोर्ड सूचना प्रणाली द्वारा शुरू की है।

I. रबड़ बागान विकास योजनाएं

क. पारंपरिक एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर अन्य गैर पारंपरिक क्षेत्र में रबड़ बागान विकास योजना

रबड़ बागान विकास योजना द्वारा पुराने एवं अलाभकर बागानों के पुनरोपण एवं नवरोपण करने हेतु मुफ्त तकनीकी सहायता एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2004-05 के लिए रोपण लक्ष्य 4200 हे. था। (न रो 1000 हे + पु रो 3200 हे.) वर्ष 2004-05 एवं 2003-04 में रबड़ बागान विकास योजना के निष्पादन के विवरण नीचे दिये गये हैं:

विवरण	2004-2005	2003-2004
1. आवेदनों की संख्या	17302	14699
2. आवेदनों के अनुसार क्षेत्र (हे.)	11437.72	10112.16
3. जारी अनुज्ञाओं की संख्या	11251	11396
4. अनुज्ञप्त क्षेत्र (हे.) कुल	6630.37	6909.3*
(क) पुनरोपण अनुज्ञप्त क्षेत्र (हे.)	3605.82	5018.7
(ख) नवरोपण अनुज्ञप्त क्षेत्र (हे.)	3024.55	1890.6

* 31-3-2005 के अनुसार क्षेत्र

पिछले वर्ष के बकाया भुगतान सहित वर्ष 2004-05 के दौरान पारंपरिक एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर बाकी गैर पारंपरिक क्षेत्र में रबड़ बागान विकास योजना के अधीन प्रदत्त कुल वित्तीय सहायता 8.77 करोड रु. थी।

ख) रबड़ बागान बीमा

प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध रबड़ बागानों की बीमा की जाती है। बोर्ड की रबड़ बागान विकास योजना के अधीन के सभी अपक्व बागानों को अनिवार्यतः बीमा की जाती है और 22 वर्ष की आयु तक के परिपक्व बागानों की स्वैच्छिक आधार पर इस योजना के अंतर्गत बागान विकास की जाती है। रबड़ बागान विकास योजना से बाहर के अपक्व बागानों की बीमा कृषकों के हितानुसार वैकल्पिक है। बीमा किये गये बागानों (अपक्व एवं परिपक्व) और प्रदत्त क्षतिपूर्ति का विवरण नीचे दिया जाता है।

ग) रोपण सामग्रियों का उत्पादन (पारंपरिक क्षेत्र)

गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों के उत्पादन को प्रात्साहित करने तथा इसके बाज़ार भाव पर नियंत्रण लाने के दुगुने लक्ष्य से बोर्ड गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों का उत्पादन और सीमित हद तक कृषकों को लागत मूल्य पर वितरण भी करता है। इस तरह उत्पादित रोपण सामग्री आवश्यक कृषकों को स्रोत झाड़ सामग्री तैयार करने या बागान तैयार करने के लिए वितरित की जाती है।

पारंपरिक क्षेत्र में बोर्ड के स्वामित्व में 44.15 हे. कुल क्षेत्र की 7 पौधशालाएं हैं तथा उत्पादन विवरण नीचे दिये गये हैं:-

मद	उत्पादित एवं वितरित रोपण सामग्रियों की संख्या	
	2003-04	2004-05
हरे बड़्ड टूँठ	146136	157394
भूरे बड़्ड टूँठ	693326	514551
कुल	839462	671945

विवरण	वर्ष 2004-05 के दौरान उपलब्धि	31-3-2005 तक संचित योग
बीमाकृत अपक्व क्षेत्र (हे.)	641.41	101487.92
जोतों की संख्या	1187	152136
बीमाकृत पक्व क्षेत्र (हे.)	97.95	12887.28
जोतों की संख्या	10	6614
प्रदत्त क्षतिपूर्ति (रुपये लाखों में)	20.56	295.56
लाभान्वितों की संख्या	1125	8054



रबड़ बागान

घ) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ब्लॉक रोपण परियोजना

इस विशेष परियोजना का कार्यान्वयन बोर्ड एवं केरल, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं त्रिपुरा की

राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करते हैं। एकीकृत नीति को स्वीकार करनेवाली इस परियोजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का समग्र विकास है। संबंधित राज्य सरकारें परियोजना का वित्तीय समर्थन करती हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।

राज्य	31-3-04 के अनुसार संचित योग		2004-05 के दौरान रोपित क्षेत्र		31-03-05 के अनुसार संचित योग	
	क्षेत्र हे.	लाभान्वितों की संख्या	क्षेत्र हे.	लाभान्वितों की संख्या	क्षेत्र हे.	लाभान्वितों की संख्या
केरल	2063	5971	59	159	2122	6130
कर्नाटक	250	418	-	-	250	418
आन्ध्रप्रदेश	98	70	-	-	98	70
उड़ीसा	225	328	-	-	225	328
कुल	2636	6787	59	159	2695	6946

ड) फलीदार आवरण फसल बीजों का वितरण (पारंपरिक व अन्य अपारंपरिक)

इस योजना का रूपायन एवं कार्यान्वयन जोतों में फलीदार आवरण फसलें लगाने हेतु आवश्यकता के आधार पर प्युरेरिया एवं म्युकुणा के बीज उपलब्ध कराने के लिए विस्तार स्कंध द्वारा किया जाता है। योजना की भौतिक उपलब्धियाँ नीचे दी गयी हैं:

मद (पारंपरिक क्षेत्र में वितरण)	01-04-2004 के अनुसार स्टोक (कि.ग्रा.)	2004-05 के दौरान खरीद/प्राप्ति का परिमाण (कि.ग्रा.)	2004 - 2005 के दौरान वितरित (कि.ग्रा.)
प्युरेरिया	334.6	86.2	365.3
म्युकुणा	68.5	359.5	387.95

दिया गया जिसके लिए 20.57 लाख रुपये का व्यय किया गया।

छ) रबड़ उत्पादक संघों का प्रोत्साहन (र उ सं)

प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण एवं स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन में 88 प्रतिशत के हिस्सेदार छोटी जोत क्षेत्र के सशक्तीकरण हेतु बोर्ड ने रबड़ उत्पादक संघ (र उ सं) नामक छोटे कृषकों के ग्राम स्तरीय

च) टापर्स का प्रशिक्षण

i) नियमित टापर्स प्रशिक्षण स्कूल

छोटे कृषकों एवं टापिंग श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न बागान केंद्रों में बोर्ड 18 नियमित टापर्स प्रशिक्षण स्कूल चलाता है। चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के 235 लोग सहित 1444 लाभान्वितों को 97 बैचों में प्रशिक्षण दिया गया। जबकि पूर्व वर्ष में यह 1387 थी। योजना के लिए 11.33 लाख रुपये का व्यय किया गया।

ii) हस्वावधि गहन टापर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम

परंपरागत टापर्स प्रशिक्षण स्कूल के अलावा टापिंग में सुधार पर जोर देकर वैज्ञानिक टापिंग के विभिन्न प्रायोगिक पहलुओं पर बोर्ड द्वारा हस्वावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है। रिपोर्ट अवधि के दौरान योजना के अधीन पिछले वर्ष के 6562 व्यक्तियों के स्थान पर 490 बैचों में 7959 व्यक्तियों को प्रशिक्षण

संगठन के रूपायन को प्रोत्साहित करने की नीति अपनायी है। रबड़ उत्पादक संघ रबड़ बोर्ड के अतिरिक्त हाथ के रूप में कार्य करने तथा छोटे कृषकों को प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए विस्तार कार्यों के अर्थपूर्ण हस्तांतरण में मदद देने के लिए लक्षित है। प्रतिभागिता नीति प्रयुक्त करके मृत रबड़ उत्पादक संघों को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

आदर्श रबड़ उत्पादक संघ (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्र)

35 रबड़ उत्पादक संघों, 30 पारंपरिक क्षेत्र में एवं 5 गैर पारंपरिक क्षेत्र में, को आदर्श रबड़ उत्पादक संघ के रूप में चयन किया है तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्रों व सामाजिक प्रक्रमण केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं की संस्थापना हेतु वित्तीय एवं तकनीकी समर्थन प्रदान किया जा रहा है। ये आदर्श रबड़ उत्पादक संघ कृषकों, श्रमिकों आदि के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप

में कार्य कर रहे हैं। बागान प्रबंधन, गुणतायुक्त शीट निर्माण एवं श्रेणीकरण, मधुमक्खीपालन, खाद प्रयोग, पौधा संरक्षण, टापींग आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। जानकारी बढ़ाने एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रयोग के लिए मुख्य केन्द्रों में कंप्यूटर प्रदत्त की हैं।

रबड़ उत्पादक संघों को गुणता सुधार एवं बहिस्त्राव उपचार अवसंरचनाओं की संस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

इस योजना को स्वाभाविक रबड़ की गुणवत्ता सुधार हेतु रबड़ उत्पादक संघों को बेहतर कच्चे माल आपूर्ति शृंखला के लिए फसल एकत्रण केन्द्र एवं सामूहिक प्रक्रमण सुविधाओं की संस्थापना के लिए समर्थन देने पर लक्षित है। चालू वर्ष के दौरान सहायता स्वरूप 202 रबड़ उत्पादक संघों को 2,50,88,796/- रुपये का वितरण किया गया।

ज) स्त्री शाक्तीकरण कार्यक्रम

रबड़ उत्पादक संघों द्वारा शुरू किए गए स्त्री शाक्तीकरण कार्यक्रम (आय सृजन एवं प्रशिक्षण कार्यकलाप) को विभाग ने अपने मुख्य कार्यालय के विकास अधिकारी (महिला विकास) एवं प्रादेशिक कार्यालयों के नॉडल अधिकारियों के द्वारा नैतिक समर्थन प्रदत्त किए। महिला स्वयं सहायक ग्रुपों को प्रशिक्षण एवं उत्पादों के विपणन के क्षेत्रों में सख्त समर्थन प्रदान किया गया।

झ) कृषक शिक्षा कार्यक्रम

आपसी वैयक्तिक संपर्क

कृषकों को तकनीकी जानकारी प्रदत्त करने हेतु तकनीकी अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं सलाहकारी उद्देश्य से कृषक क्षेत्रों का नियमित दौरा करते हैं। ऐसे क्षेत्र स्तरीय दौरे के अवसर पर विस्तार अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार निदर्शनों का भी आयोजन करते हैं।

सामूहिक संपर्क

विस्तार अधिकारियों और करीब एक दशलक्ष तक आनेवाले रबड़ कृषकों के अनुपात के भारी अन्तर को देखते हुए विभाग ने कृषक समाज से संपर्क बनाए रखने के लिए एक सामूहिक नीति अपनायी है। हर वर्ष अभियान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और वर्ष 2004-05 के दौरान का विषय रहा “रबड़ उत्पादक संघों का सशक्तीकरण”। नियमित अभियान के अलावा, संगोष्ठियों एवं सामूहिक बैठकों का लगातार आयोजन किया जाता है। चालू वर्ष एवं पिछले वर्ष आयोजित बैठकों के विवरण नीचे सारणीबद्ध किया है:-

बैठक का प्रकार	बैठकों की संख्या	भागीदारों की संख्या
अभियान बैठक	2095	60023
एक दिवसीय संगोष्ठी	89	8576
अर्ध दिवसीय संगोष्ठी	667	25020
ग्रुप बैठक	1921	33081
र उ सं बैठक	5194	51386
अन्य बैठक	1047	8319
दृश्य-श्रव्य उपकरणों का उपयोग	656	23440

ज) शास्त्रदर्शन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन अपारंपरिक एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कृषकों को केरल के पारंपरिक रबड़ खेतीवाले क्षेत्र में लाया जाता है तथा रबड़ खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2004-05 के दौरान 25 बैचों में 304 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया जिनमें त्रिपुरा सरकार की विकास इकाई द्वारा आयोजित 4 बैच भी सम्मिलित हैं। विवरण निम्न प्रकार है:-

ट) तकनीकी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 30 विस्तार अधिकारियों को केरल

राज्य	बैच	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
त्रिपुरा	12	136
असम	7	96
उड़ीसा	3	38
गोवा	2	21
आन्ध्रप्रदेश	1	13
कुल	25	304

कृषि विश्वविद्यालय में “कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी प्रयुक्त सेवाएं” एवं “सिनेमा निर्माण एवं निर्देशन पर विशेष जोर के साथ प्रभावी संचार हेतु दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग” पर प्रशिक्षण दिया गया। “क्षमता सुधार”, “विस्तार एवं कार्यक्रम मूल्यांकन में अनुसंधान के प्रणाली विज्ञान” “वादा विजय का” विषयों पर बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र में 32 तकनीकी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा एक तकनीकी अधिकारी को सी डब्ल्यू आर डी एम, कोषिकोड में कृषि जल प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

ठ) मूल्य स्थिरीकरण निधि (पी एस एफ)

नबार्ड के नेतृत्व के न्यास निधि खाता, मूल्य स्थिरीकरण निधि का लक्ष्य रबड़ का भाव जब अलाभकर हो जाता है, तब छोटे कृषकों को आय समर्थन प्रदान करना है। 31 मार्च 2005 के अनुसार 1859 कृषकों को योजना के अधीन पंजीकृत किया है।

II उत्तरपूर्वी क्षेत्र में रबड़ विकास योजनाएं

क) रबड़ बागान विकास योजना

वर्ष के दौरान उत्तरपूर्वी क्षेत्र में रबड़ बागान विकास योजना के कार्यान्वयन का विवरण इस प्रकार है:

रबड़ बागान का प्रकार	लक्ष्य क्षेत्र (हे.)	जारी अनुज्ञाएं	रोपित क्षेत्र (हे.)
पुनरोपण	30	1	2.88
नवरोपण	2000	2908	2084.39
योग	2030	2909	2087.27
कुल वितरित रकम		482.77 लाख रुपये	

ख) ब्लॉक रोपण परियोजना

यह विशेष परियोजना बोर्ड एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाती है, जो परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं। एकीकृत नीति अपनानेवाली यह परियोजना अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लोगों के समग्र विकास पर लक्षित है। वर्ष के दौरान 202 हेक्टेयरों में 156 लाभान्वितों के साथ ब्लोक बागानों को विकसित किया तथा 31 मार्च 2005 तक ब्लोक बागानों का संचित क्षेत्र 2962 हे. था।

ग) एकीकृत ग्राम स्तरीय रबड़ विकास

10वीं योजना के दौरान ग्रामीण स्तर पर रबड़ क्षेत्र के विकास के लिए एक एकीकृत नीति अपनायी गयी जिसके तीन संघटक हैं याने:

- 1997 के बाद लगाए गए रोगग्रस्त बागानों का पुनरुज्जीवन एवं अस्वस्थ पेड़ों का पुनःस्वस्थ करना
- सामूहिक नीति अपनाकर क्षेत्र का विस्तार, परिपक्व बागानों के लिए उत्पादकता वृद्धि उपाय का कार्यान्वयन तथा सामूहिक आधार पर प्रक्रमण एवं विपणन सुविधाओं का सृजन।

iii) उत्पादकता वृद्धि हेतु उपाय

वर्ष 2004-05 के दौरान योजना के अधीन की प्रगति निम्न प्रकार है:-

घ) कृषि प्रबंधन प्रणालियों का निदर्शन (उ पू क्षेत्र)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से रबड़ एक नई फसल होने के नाते कृषकों को अपने बागानों में वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन प्रणालियाँ अपनाने हेतु सख्त विस्तार समर्थन देने की आवश्यकता है। कृषकों का प्रशिक्षण न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट व प्रशिक्षण केन्द्र (एन आर ई टी सी) रबड़ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आर आर टी सी) जिला विकास केन्द्र (डी डी सी) के द्वारा किया जाता है। विस्तार समर्थन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में निदर्शन प्लॉटों की स्थापना भी की जाती है तथा वर्ष के दौरान 2.07 लाख रुपये के व्यय में 194 निदर्शन प्लॉटों का विकास किया।

ड) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषक शिक्षण कार्यक्रम

i) वैयक्तिक संपर्क

कृषकों को तकनीकी जानकारी के संप्रेषण हेतु बोर्ड के विस्तार अधिकारियों ने नियमित रूप से कृषकों की जोतों का दौरा विभिन्न योजनाओं के सिलसिले में एवं सलाहकारी लक्ष्य से किया। ऐसे दौरों के अवसर पर निदर्शन कार्य भी चलाये गये।

ii) सामूहिक संपर्क

रबड़ खेती एवं संसाधन से संबंधित नवीनतम तकनीकियों को लोकप्रिय बनाने हेतु अभियान कार्यक्रमों

संघटक	2003-04		2004-05	
	क्षेत्र (हे.)	लाभान्वितों की संख्या	क्षेत्र (हे.)	लाभान्वितों की संख्या
पुनरुज्जीवन	51.44	107	80.96	126
पुनः स्वस्थ करना	100.56	135	123.98	206
उत्पादकता वृद्धि	3200.00	4310	4315.00	4996
योग	3352.00	4552	4519.94	5328

रबड़ बोर्ड

का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्न में दिया गया है।

बैठक का प्रकार	2004-05	
	बैठकों की संख्या	भागीदारों की संख्या
अभियान बैठक	167	5315
एक दिवसीय संगोष्ठी	4	455
अर्ध दिवसीय संगोष्ठी	11	328
ग्रुप बैठक	502	9812
र.उ.सं.बैठक	37	805
अन्य बैठक	4	55
दृश्य-श्रव्य उपकरणों का उपयोग	11	251
आर आर टी सी/डी डी सी	46	708

च) बागान निवेशों का वितरण (एकीकृत ग्राम स्तरीय रबड़ विकास योजना के अधीन वितरित सामग्रियों के परिमाण सहित)

बोर्ड ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित बागान निवेशों का वितरण किया।

वितरित सामग्रियाँ	लाभान्वितों की संख्या	परिमाण (मेट्रिक टन में)
यूरिया		339.00
म्युरेट ऑफ पोटेश	5490	251.50
एम आर पी		759.95
वर्षारक्षक पॉलिथीन शीट	114	1.39
वर्षारक्षक मिश्रण	शून्य	शून्य

अपारंपरिक क्षेत्र/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 31.2 हे. में बोर्ड के स्वामित्व में 7 पौधशालाएं हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान अपारंपरिक/उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बोर्ड की पौधशालाओं में गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों के उत्पादन योजना के अंतर्गत 5,11,298 भूरे बड़ू टूँठों का उत्पादन किया। इसके अलावा विस्तार स्कंध ने छादन फसल बीजों के वितरण के लिए आवश्यकता के आधार पर (जोत में फलीदार छादन

फसल लगान के लिए प्यूररिया व म्यूकुणा बीज प्रदान करने हेतु) एक योजना को रूपायित एवं कार्यान्वित किया है, वर्ष के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 414 कि.ग्रा. प्यूररिया बीज वितरित किए।

छ) स्त्री शाक्तीकरण कार्यक्रम (शैक्षणिक अभियान कार्यक्रम एवं कृषक बैठक)

उत्तरपूर्वी राज्यों की महिलाओं के शाक्तीकरण एवं कल्याण हेतु विशेष रूप से रूपायित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विवरण निम्न प्रकार है:-

कार्यक्रम	2004-05	
	लाभान्वितों की संख्या	वित्तीय सहायता (रु.)
टापर्स प्रशिक्षण	105	32570
फसल संसाधन	85	11175
स्वास्थ्य कैंप	1547	66104
मधुमक्खी पालन	85	6475

ज) टापर्स प्रशिक्षण स्कूल (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)

i) नियमित टापर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम

छोटे कृषकों एवं श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तीन टापर्स प्रशिक्षण स्कूल हैं। चालू वर्ष के दौरान पूर्व वर्ष के 331 लाभान्वितों के स्थान पर 22 बैचों में 258 अनुसूचित जाति/जनजाति के सहित 340 लाभभोगियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 2.49 लाख रुपये का व्यय किया गया।

ii) ह्रस्वावधि गहन टापर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम (उ.पू.)

परंपरागत नियमित टापर्स प्रशिक्षण स्कूलों के अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोर्ड ह्रस्वावधि गहन टापर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं। रिपोर्ट अवधि के दौरान पूर्व वर्ष के 1345 व्यक्तियों के स्थान पर 1565 व्यक्तियों को 102 बैचों में प्रशिक्षण दिया गया। 4.41 लाख रुपये का व्यय किया गया।

झ) सीमा संरक्षण

रबड़ बागानों के लिए बाड़ा निर्माण करने की ज़रूरत के मद्देनज़र उत्तर पूर्वी क्षेत्र के छोटे कृषकों के अवयस्क बागानों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता

देने के लिए सीमा संरक्षण योजनाएं रूपायित की हैं। बाँस प्रयुक्त संरक्षण योजना के अधीन 1491 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोग सहित 2287 लाभभोगी लाभान्वित हुए। कांटीले तार प्रयुक्त संरक्षण योजना के अधीन भी कुछ कृषक लाभान्वित हुए। सीमा संरक्षण योजना के अधीन 25.50 लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में वितरित किये।

उपर्युक्त के अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पिछड़पन को देखते हुए रॉलर, धूम घर आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं एवं मधुमक्खी पालन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु कुछ अन्य योजनाएं भी आवश्यक पूर्ति एवं सेवा के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं। विस्तार योजनाओं के लिए वर्ष के दौरान 5.27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गयी।

ज) सामूहिक प्रक्रमण केन्द्र

फसल एकत्रण एवं संसाधन की अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुधारने के लिए सामूहिक प्रक्रमण केन्द्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी तथा वर्ष के दौरान योजना के अधीन प्रयुक्त कुल रकम 105.44 लाख रुपये थी।

♦ ♦

भाग - IV

प्रशासन

प्रशासन विभाग के निम्नलिखित अनुभाग एवं प्रभाग हैं।

01 स्थापना प्रभाग (बोर्ड सचिवालय, कार्मिक, हकदार एवं सामान्य प्रशासन)

02 विपणन प्रभाग

03 श्रमिक कल्याण अनुभाग

04 विधिक अनुभाग

05 हिन्दी अनुभाग

1. स्थापना प्रभाग

(क) कार्मिक प्रशासन

वर्ष 2004-05 के दौरान बाहर से 4 उम्मीदवारों एवं सेवाधीन 5 उम्मीदवारों को बोर्ड की सेवा में सीधी भर्ती रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की गयी। कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त ढंग से चयन समितियाँ/विभागीय पदोन्नति समितियाँ कार्मिकों के चयन के लिए गठित की थीं। आरक्षण बिंदुओं पर चयनित/पदोन्नत कार्मिकों से संबंधित सामयिक विवरणियाँ सरकार को भेजी थीं।

300 अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति/उच्च श्रेणि प्रदान की थी जिनमें 242 नियमित पदोन्नतियाँ, 44 संवर्ग पुनरीक्षा/ ए सी पी के अधीन उच्च श्रेणी एवं 14 वैज्ञानिकों के पेशा सुधार थे।

(ख) बोर्ड सचिवालय

बोर्ड एवं उसकी समितियों का संगठन/पुनःसंगठन, बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठकें आयोजित

करना, बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना आदि बोर्ड सचिवालय अनुभाग के मुख्य कार्यों में हैं।

बोर्ड एवं समितियों की बैठकें

रिपोर्ट वर्ष के दौरान बोर्ड और समितियों की निम्न लिखित बैठकें हुई।

बोर्ड की बैठकें

151वीं बैठक - 24.07.2004

152वीं बैठक - 20.11.2004

समिति बैठकें

कार्यकारिणी समिति 22.6.2004

28.1.2005

अनुसंधान एवं विकास समिति 22.6.2004

कार्यकारिणी समिति एवं कर्मचारी 13.12.2004

कार्य समिति की संयुक्त बैठक 23.12.2004

कर्मचारी कार्य समिति 18.11.2004

सांख्यिकी एवं आयात/ 07.06.2004

निर्यात समिति 01.11.2004

बाज़ार विकास समिति 07.06.2004

30.10.2004

18.11.2004

19.03.2005

रोपण समिति 18.11.2004

श्रमिक कल्याण समिति 19.03.2005

उत्तर पूर्व में रबड़ विकास समिति 30.08.2004

04.02.2005

14.02.2005

I. 31 मार्च 2005 के अनुसार बोर्ड की कुल मानव शक्ति

विभागवार एवं वर्गवार विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	योग
1.	रबड़ उत्पादन	182	381	448	100	1111
2.	अनुसंधान	61	140	172	57	430
3.	अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क	23	29	78	5	135
4.	प्रशासन	14	13	56	15	98
5.	प्रक्रमण एवं उपज विकास	19	17	39	4	79
6.	वित्त एवं लेखा	6	17	30	2	55
7.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श	9	10	22	4	45
8.	सांख्यिकी एवं योजना	5	6	11	2	24
	योग	319	613	856	189	1977

31.3.2005 के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 1977 थी।

II. 31.3.2005 के अनुसार कुल महिला कर्मचारियों का विवरण एवं कुल कर्मचारी बल में उनकी प्रतिशतता

वर्ग	क	ख	ग	घ	महायोग
महिला कर्मचारियों की संख्या	76	245	357	24	702
कुल वर्गवार कर्मचारी	319	613	856	189	1977
महिला कर्मचारियों का प्रतिशत	23.82	39.97	41.70	12.70	35.51

(ग) हकदार

ब्याजयुक्त अग्रिमों की मंजूरी

वर्ष 2004-05 के दौरान बोर्ड के 62 कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम के रूप में 1.01 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का वितरण किया गया। अन्य अग्रिमों के रूप में निम्न विवरणानुसार 81 कर्मचारियों को 28,71,744/- रु. का वितरण किया गया।

गृह निर्माण अग्रिमों की ब्याज सहित वसूली/प्रतिदान के बाद 64 मामलों में पुनः हस्तांतरण प्रलेख तैयार किये गए।

इसके अलावा हकदार अनुभाग सभी वैयक्तिक फाइलों एवं सेवा पुस्तिकाओं का अनुरक्षण करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान बोर्ड की 4 नये नियुक्तों की सेवा पंजियाँ एवं वैयक्तिक फाइल खोली गयी।

घ) सामान्य प्रशासन

कार्यालय आदेश व परिपत्र जारी करना, पत्रों की आवृत्ति एवं प्रेषण, लेखन सामग्री एवं स्थानीय खरीद, परिसंपत्ति एवं वाहन अनुरक्षण, मुख्यालय गृह व्यवस्था कार्य का प्रबंधन आदि कार्य सामान्य प्रशासन अनुभाग करता है।

क्र.सं.	अग्रिम का स्वरूप	कर्मचारियों की संख्या	वितरित रकम (रु.)
1.	कार अग्रिम	9	10,61,504
2.	मोटर साइकिल/स्कूटर अग्रिम	44	12,82,940
3.	साइकिल अग्रिम	13	19,500
4.	कंप्यूटर अग्रिम	15	5,07,800
	योग	81	28,71,744

सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति लाभ

वर्ष 2004-05 के दौरान 11 पदधारी सहित स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त 66 पदधारियों को सेवानिवृत्ति लाभ समय पर दिए गए। सेवाकाल में मृत्यु हुए 4 पदधारियों के परिवारों को कुटुंब पेंशन मंजूर किये गये। 31.03.2005 के अनुसार बोर्ड के 518 पेंशन भोगी है और 142 कुटुंब पेंशन भोगी।

2. विपणन प्रभाग

प्रभाग के इस वर्ष के मुख्य कार्य थे देशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार के स्वाभाविक रबड़ के भावों का एकत्रण, संकलन एवं प्रसारण। स्वाभाविक रबड़ के मुख्य रूप से व्यापार किये जा रहे रूप याने आर एस एस 4 एवं आर एस एस 5 श्रेणी के शीट रबड़ के कोट्टयम एवं कोची के भाव एकत्रित किए, संकलित किये तथा प्रकाशनार्थ समाचार एजेंसियों एवं प्रस तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार सहित अन्य एजेंसियों को रिपोर्ट किये। रबड़ के

अन्य श्रेणी के भाव भी दैनिक/साप्ताहिक/द्विसाप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किए।

उसी प्रकार बैंकोक एवं कुलालपुर बाज़ार के स्वाभाविक रबड़ के दैनिक भाव एकत्रित एवं संकलित किए तथा समाचार एजेंसियों एवं प्रेस को प्रकाशनार्थ प्रदत्त किए और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को रिपोर्ट किये। रबड़ के विभिन्न श्रेणियों के देशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाव दैनिक आधार पर अद्यतन किये तथा रबड़ बोर्ड के वेब साइट में उपलब्ध कराए गए।

भारत के रबड़ माल विनिर्माताओं की निर्देशिका (डायरेक्टरी ऑफ रबड़ गुड्स मानुफाक्चरर्स इन इंडिया) का संशोधित छठा भाग वर्ष के दौरान प्रकाशित किया जिसमें हर राज्य के रबड़ विनिर्माताओं के नाम एवं पते का उपज के आधार पर वर्गीकृत करके सम्मिलित हैं।

इसके अलावा प्रभाग ने विभिन्न बन्दरगाहों द्वारा देश में रबड़ के आयात की निगरानी की और स्वाभाविक रबड़ के आयात पर एक समेकित रिपोर्ट की तैयारी की। स्वाभाविक रबड़ के आयात एवं निर्यात की दैनिक रिपोर्ट तैयार की तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को पेश की।

3. श्रमिक कल्याण अनुभाग

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8(2)(च) के अनुसार “श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएँ एवं शर्तें सुनिश्चित करना तथा सुख सुविधाओं व प्रोत्साहन में अभिवृद्धि लाना” बोर्ड के प्रमुख कार्यों में एक है। इसमें परिलक्षित कार्य रबड़ बागान उद्योग के विकास

एवं उत्थान के लिए एवं रबड़ बागान उद्योग के श्रमिकों के बीच, जो रबड़ खेती के विकास और उत्थान के अभिन्न अंग है, रुचि दिलाने व पैदा करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं।

रबड़ खेती के विकास एवं संवर्द्धन में अनिवार्य टापर्स/श्रमिकों में दिलचस्पी सृजित करने मन में बैठाने के मद्देनज़र बोर्ड ने टापर्स/श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए अलग उप संघटकों के अधीन विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कीं।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 169 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 99.8 प्रतिशत उपलब्धि के साथ 168.81 लाख रुपये का वितरण किया गया।

वर्ष 2004-05 के दौरान उपसंघटकों के लक्ष्य एवं निष्पादन

क) शैक्षिक वृत्तिका योजना

यह योजना रबड़ बागान श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित कॉलेज व स्कूलों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वृत्तिका में छात्रावास/आवास शुल्क तथा एकमुश्त अनुदान सम्मिलित हैं।

ख) योग्यता पुरस्कार योजना

इस योजना का लक्ष्य विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 1000/- रु. से लेकर 5000/- रु. तक के नकद पुरस्कार देकर रबड़ बागान श्रमिकों के बच्चों को जो उनके अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रशंसनीय रूप से उत्तीर्ण होते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना है।

ग) गृहनिर्माण सहायिकी योजना

योजना का लक्ष्य रबड़ बागान श्रमिकों में गृह निर्माण करने को प्रोत्साहित करना है। योजना का

मुख्य उद्देश्य बागान श्रमिक अधिनियम 1951 के अन्तर्गत न आनेवाली छोटी जोतों के टापरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सहायिकी की अधिकतम रकम आकलित निर्माण लागत के 25 प्रतिशत या 7500 रु. जो भी कम हो वह होगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कीचड़ की दीवार, तोड़े गए बाँस की दीवार एवं घास/पत्तों से बनाए घर के लिए अधिकतम 6000/-रु. की सहायिकी मिलेगी। तोड़े गए बाँस की दीवार एवं जी आई शीट के छप्पर वाले घरों के लिए अधिकतम 7500/- रु. तक की सहायता प्रदान की जाती है। बागान श्रमिक अधिनियम 1951 के अधीन आनेवाले निम्नतम 1 हेक्टेयर तक क्षेत्र विस्तार के बागानों के संगठित क्षेत्र के टापर श्रमिक भी इस योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र हैं।

घ) प्रसाधन सुविधा प्रदान करने की योजना

इस योजना का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के रबड़ टापरों के बीच स्वच्छ परिस्थिति बनाए रखना है। बोर्ड द्वारा निर्धारित नक्शा एवं अनुमान के अनुसार शौचालय निर्माण में टापरों को सहायता दी जाती है। निर्माण लागत के 75 प्रतिशत या 3000 रु. में जो भी कम हो उतनी रकम तक वित्तीय सहायता सीमित की गई है।

ङ) चिकित्सा सहायता योजना

यह योजना असंगठित क्षेत्र की रबड़ जोतों के टापरों के लिए शुरू की गयी है तथा रोग के कारण कार्य पर उपस्थित न होने के बदले टापरों को क्षतिपूर्ति भी दी जाती है। इस योजना द्वारा चिकित्सा हेतु रोगपीडित टापरों द्वारा खर्च किये व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

रबड़ की छोटी जोतों में कार्य करनेवाले टापरों में छोटे परिवार के संदेश को प्रोत्साहित करने के लिए

बंध्यकरण ऑपरेशन करनेवाले टापरों को योजना के अन्तर्गत एकमुश्त राशि दी जाती है।

च) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के लिए भवन निर्माण एवं सानिटरी सहायिकी योजना

यह योजना मात्र असंगठित रबड़ क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के टापरों के लिए है। इस योजना के अन्दर शौचालय सहित गृहनिर्माण के लिए 14,000 रु. तक की सहायिकी प्रति आवेदक दी जाती है।

छ) समूह बीमा-सह-जमा योजना

यह योजना रबड़ बागान श्रमिकों के दुर्घटना द्वारा घायल होने तथा मृत्यु होने के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया हुआ प्रमुख उपाय है। यह योजना बागान श्रमिक अधिनियम 1951 लागू न किए बागानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए लागू है। यह योजना श्रमिकों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करती भी है। 1986-87 के दौरान प्रथम चरण का प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 2000-01 में 11वाँ चरण पहुँच गया।

हर योजना अलग वार्षिक योजना है तथा 10 वर्ष की अवधि तक परिचालित होगी। इस योजना में नामदर्ज श्रमिकों को निर्धारित रकम जमाकर हर वर्ष बीमा का नवीकरण करना है। I से VI तक के चरण पूरे हो गये तथा पाँच चरण वर्ष के दौरान नवीकरण के लिए शेष रहे। वर्ष 2004-05 के दौरान समूह बीमा योजना के चरण V के परिपक्व होने के भुगतान के अंतर्गत 1474 टापरों को 34,69,512/- रु. वितरित किये।

केवल छोटी जोतों के टापरों को 50,000 रु. की बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई समूह

बीमा-सह-जमा योजना का प्रारंभ वर्ष 2001-02 के दौरान किया है। जिसके लिए लाभान्वितों का अंशदान 250 रु. है तथा बोर्ड का अंशदान 150 रु. प्रति वर्ष है।

यह योजना दुर्घटनाओं में उच्चतर क्षतिपूर्ति देती है तथा टापरों में जमा करने की आदत को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 2004-05 के दौरान एक दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु के विरुद्ध 20,000/- रु. तथा दुर्घटना से घायल 19 मामलों के विरुद्ध 58,842/- रु. क्षतिपूर्ति स्वरूप बीमा कंपनी ने भुगतान किया।

प्रारूप आवश्यकता के अनुसार तैयार किए। बोर्ड के हितों की रक्षा के लिए अधिवक्ताओं के ज़रिए उचित कदम उठाए गए। लंबित मामलों के अलावा 10 नये मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा बोर्ड के विरुद्ध दर्ज किए गए विवाचन मामलों को चलाने के लिए कदम उठाए गए। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों पर स्थायी काउंसेलों एवं केन्द्र सरकार वकीलों को खंडवार टिप्पणियाँ दी एवं आवश्यक अनुदेश दिए थे। विभिन्न जिलों के

श्रमिक कल्याण योजनाओं के वर्ष 2004-05 का निष्पादन

क्र.सं.	उपसंघटक का नाम	2004-05 का बजट आबंटन लाख रुपयों में	प्राप्त आवेदनों की संख्या	लाभान्वितों की कुल संख्या	वितरित कुल रकम लाख रुपयों में
1.	शैक्षिक वृत्तिका	45.48	12234	7484	45.48
2.	शैक्षिक योग्यता पुरस्कार	3.00	259	220	2.89
3.	चिकित्सा सहायता	9.60	729	488	9.54
4.	गृह निर्माण सहायिकी	57.36	2007	765	57.36
5.	गृहनिर्माण/शौचालय सहायिकी(अ.जा/ज.जा.)	8.96	332	117	8.94
6.	शौचालय सहायिकी	19.71	1858	657	19.71
7.	बीमा सह जमा योजना	11.39	8883	8883	11.39
8.	प्रचालन व्यय	13.50			13.50
	योग	169.00	26302	18614	168.81

4. विधिक अनुभाग

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के द्वारा हस्ताक्षरित करने के विधिक दस्तावेज जैसे समझौता ज्ञापन, करार, पट्टा विलेख, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र आदि के

क्षतिपूर्ति फोरम के सामने आये उपभोक्ता विवाद संबंधी फाइलों पर अनुभाग ने उत्तर तैयार किये और फाइल किये तथा सुनवाई के समय बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया।

श्रमिक मामलों के निपटान हेतु प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र धेंकनाल, र.अ.एवं वि.केन्द्र अन्डमान, के.प.स्टे. चेतकल, भा.र.ग.सं.फार्म, एच बी एस नेटुना व परलियार, र.उ.विभाग की पौधशालाएं/प्रक्षेत्रों को आवश्यक सहायताएं प्रदान की। रबड़ अधिनियम/रबड़ नियम में रबड़ बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे तैयार किए।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान विधिक अनुभाग के ध्यान आकर्षित 699 फाइलों में समय ही पर कार्रवाई की/सलाह दी। गृह निर्माण अग्रिमों के 35 आवेदनों में नियमानुसार आवेदनों की पात्रता निर्धारित करने हेतु दस्तावेजों की छानबीन की।

5. हिंदी अनुभाग

रबड़ बोर्ड राजभाषा नियम के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय है। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2003-04 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए बोर्ड को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

कोर्टयम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) के सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बोर्ड को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। कोर्टयम नराकास के संयुक्त हिंदी सप्ताह समारोह के सिलसिले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने हेतु बोर्ड ने ऑवरआल ट्रॉफी भी हासिल की।

हिंदुस्तान लाटेक्स लिमिटेड द्वारा तिरुवनन्तपुरम में आयोजित राज्य स्तरीय राजभाषा सम्मेलन में उपनिदेशक (रा.भा.) एवं हिंदी अधिकारी भाग लिए। उपनिदेशक (रा.भा.) ने बेंगलूर में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं बेंगलूर में नीपा द्वारा आयोजित संसदीय राजभाषा समिति के दौरे संबंधी

प्रश्नावली विषय पर संगोष्ठी में प्रतिभागिता की।

रबड़ बोर्ड के राजभाषा (हिंदी) अनुभाग ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए।

1. संसदीय राजभाषा समिति का दौरा

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति ने श्रीमती सरला माहेश्वरी के नेतृत्व में कोर्टयम दौरा किया। रबड़ बोर्ड एवं अन्य नराकास संगठनों भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की रिपोर्टें तैयार/एकत्रित की तथा समिति को प्रस्तुत की।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

वर्ष के दौरान बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित कीं। कार्यसूचियाँ राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार तैयार कीं। बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत कीं तथा उन पर चर्चा की तथा बैठक के कार्यवृत्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कोची को भेज दिए। वर्ष के दौरान बोर्ड के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित कीं तथा कार्यकलापों की निगरानी की।

3. हिन्दी पखवाडा/हिन्दी दिवस समारोह

बोर्ड के मुख्यालय एवं भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान में 19 सितंबर से 28 सितंबर 2004 तक हिन्दी पखवाडा समारोह का आयोजन किया तथा बोर्ड के 30 अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया। बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कीं तथा इन प्रतियोगिताओं में काफी संख्या में अधिकारी/कर्मचारी भाग लिए तथा कर्मचारियों ने इसके प्रति अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन कार्यक्रमों में स्थानीय विख्यात व्यक्तियों ने भागीदारी की।

4. हिंदी शिक्षण योजना

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार “ग” क्षेत्र में हिंदी शिक्षण कार्य वर्ष 2005 तक पूरा किया जाना है। तदनुसार बोर्ड के मुख्यालय एवं भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान में हिंदी टंकण कक्षाएं आयोजित कीं क्योंकि कोट्टयम में हिंदी शिक्षण योजना (टंकण) का कोई केन्द्र कार्यरत नहीं है। 11 पदधारी हिंदी टंकण पाठ्यक्रम में भाग लिए। वर्ष के दौरान 22 पदधारियों ने हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 15 ने हिंदी प्रबोध परीक्षा। वर्ष के दौरान 6 पदधारियों ने हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने हेतु योग्य पदधारियों को नकद पुरस्कार और वैयक्तिक वेतन दिये गये।

5. रबड़ समाचार द्वैमासिक पत्रिका का प्रकाशन

वर्ष के दौरान हिन्दी द्वैमासिक बुलेटिन “रबड़ समाचार” का प्रकाशन जारी रखा। इन अंकों में अधिकारियों/कर्मचारियों/उनके परिवार सदस्यों की रचनाएं तथा विभिन्न उपयोगी सामग्रियाँ प्रकाशित कीं।

6. हिंदी कार्यशाला

बोर्ड के 25 अधीनस्थ कार्यालयों याने कांजंगाड, श्रीकण्ठापुरम, तलशशेरी, तृशूर, तिरुवनन्तपुरम, नेडुमंगाड, पुनलूर, चंगनाशेरी, कोषिकोड, पालक्काड, मण्णाक्काड, कोट्टारक्करा, मूवाट्टुपुषा, कोट्टयम, पत्तनंतिट्टा, तोडुपुषा, ईराट्टुपेट्टा, पाला, कोतमंगलम, एरणाकुलम, मार्त्ताण्डम, कांजिरप्पल्ली, अडूर, तलिपरंबा के प्रादेशिक कार्यालयों एवं अनुज्ञापन प्रभाग, कोची तथा केंद्रीय परीक्षण स्टेशन चेतक्कल में हिंदी कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से 470 अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा में प्रशिक्षण दिया गया।

रबड़ बोर्ड मुख्यालय एवं भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान व प्रशिक्षण केंद्र के पदधारियों के लिए दो दिवसीय हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की। अनुज्ञापन प्रभाग कोची एवं प्रादेशिक कार्यालय एरणाकुलम के पदधारियों के लिए संयुक्त रूप से एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की। निदेशक (रा.भा.), वाणिज्य विभाग ने विशेषज्ञ संकाय के रूप में इसमें कक्षा चलायी।

7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

बोर्ड के अध्यक्ष श्री एस.एम.डसलफिन, कोट्टयम नराकास के अध्यक्ष पद पर जारी रहे तथा श्रीमती पी.के.शान्तकुमारी, उपनिदेशक (रा.भा.) सदस्य सचिव पद पर जारी रही।

कोट्टयम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें वर्ष के दौरान आयोजित कीं। श्री एस.एम.डसलफिन भा.प्र.से., अध्यक्ष रबड़ बोर्ड एवं नराकास ने इन बैठकों की अध्यक्षता की। बैठकों में श्री पी.विजयकुमार, अनुसंधान अधिकारी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। नराकास सदस्य कार्यालयों के पदधारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला एवं संयुक्त हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन किया तथा वर्ष के दौरान नराकास कोर समिति की एक बैठक भी आयोजित की।

8. राजभाषा निरीक्षण

निदेशक (रा.भा.) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय एरणाकुलम में राजभाषा कार्यान्वयन कार्यों का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान बोर्ड के 26 अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन योजना की प्रगति का निरीक्षण किया।

9. सामान्य

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र एवं आदेश जैसे दस्तावेज हिन्दी में अनूदित किए। इसी तरह, प्रपत्रों के हिन्दी में अनुवाद तथा द्विभाषी रूप में प्रपत्रों का मुद्रण किया गया। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। आवश्यकतानुसार संबंधितों को हिन्दी कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिए गए। बोर्ड के हिन्दी अनुभाग के अधीन एक हिन्दी पुस्तकालय कार्यरत है तथा बोर्ड के मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में आज का शब्द लिखना जारी रखा।

बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखाओं का अनुवाद हिन्दी में किया गया तथा इसके द्विभाषी प्रकाशन हेतु आवश्यक सहायताएं प्रदान कीं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और संसदीय समितियों के लिए आवश्यक विभिन्न रिपोर्टें तथा प्रश्नों के उत्तर आवश्यकता के अनुसार अनुवाद किये।

प्रोत्साहन योजना द्वारा पदधारियों को हिन्दी में कार्यालयीन काम करने हेतु प्रोत्साहित एवं उत्तेजित किया। कुल 238 पदधारियों ने योजना में भागीदारी की। केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली की ओर से बोर्ड ने टिप्पण एवं प्रारूपण, निबंध लेखन एवं हिन्दी टंकण में प्रतियोगिताएं चलायी। श्रीमती मोहना कुमारी, सहायक, भा.र.ग.सं राष्ट्रीय स्तर पर टिप्पण और प्रारूपण प्रतियोगिता में प्रथम आयी तथा श्रीमती नागलक्ष्मी अम्माल, आशुलिपिक ग्रेड II, रबड़ बोर्ड मुख्यालय ने हिन्दी टंकण प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में कार्य करनेवाले प्रभाग**1. प्रचार एवं जनसंपर्क प्रभाग**

प्रचार एवं जनसंपर्क प्रभाग द्वारा वर्ष के दौरान निम्न लिखित कार्य किये।

प्रकाशन:

वर्ष के दौरान “रबर” मासिक के 12 अंक प्रकाशित किए। औसत मासिक परिचालन 6490 आजीवन ग्राहक सहित 17000 प्रतियाँ हैं। “रबड़ ग्रीवर्स कम्पानियन 2005” की 11000 प्रतियों तथा “रबड़ एण्ड इट्स कल्टिवेशन” की 1000 प्रतियों का मुद्रण एवं वितरण किया गया।

वर्ष के दौरान रबड़ स्टैटिस्टिकल न्यूज़ के 12 अंक तथा “इनसाइड रबड़ बोर्ड” गृह पत्रिका के 3 अंक प्रकाशित किए। मलयालम दैनिक समाचार पत्रों के कृषि स्तंभ, कार्षिक पत्रिकाओं एवं रबर मासिक में विभाग के अधिकारियों ने 24 लेख प्रकाशित किए।

प्रेस विज्ञप्ति एवं विज्ञापन

बोर्ड की ओर से 33 प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं 91 विज्ञापन (प्रदर्शन एवं वर्गीकृत सहित) जारी किए।

आकाशवाणी

खेती व घर कार्यक्रम में प्रभाग के अधिकारियों के तीन भाषण/साक्षात्कार रिकार्ड किये तथा आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए। आकाशवाणी में रबड़ पर एक 12 भाग वाले कार्यक्रम के संयोजक के रूप में उपनिदेशक ने कार्य किया।

संगोष्ठी एवं बैठकें

प्रभाग के अधिकारियों ने रबड़ बोर्ड, रबड़ उत्पादक

संघ, अन्तर माध्यमिक प्रचार संयोजक समिति एवं सार्वजनिक क्षेत्र के जनसंपर्क मंच की कई संगोष्ठियों, बैठकों एवं अन्य कार्यक्रमों में भाग लिए तथा बोर्ड से संबंधित कार्यकलाप पर भाषण दिये।

प्रदर्शनी

प्रभाग ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भागीदारी की।

- 1) इंडस्ट्रियल एक्सपो - 2005, पत्तनतिट्टा
- 2) इंडेक्स - 2005, कोट्टयम
- 3) उपासी प्रदर्शनी - कूनूर - 2004
- 4) रबड़ एक्सपो, मुंबई - 2005

मुख्यालय पुस्तकालय

बोर्ड के मुख्यालय के पुस्तकालय का संचालन प्रचार एवं जनसंपर्क प्रभाग करता है। वर्ष के दौरान पुस्तकालय में 647 नई पुस्तकें जोड़ी तथा पुस्तकों के वर्गीकरण एवं सूचीकरण प्रगति में थे।

2. सतर्कता प्रभाग

सतर्कता प्रभाग ने क एवं ख वर्ग के 10 अधिकारियों तथा ग वर्ग के 4 कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों के आधार पर कुल 14 शिकायतों पर रिपोर्ट वर्ष के दौरान पूछताछ/जांच की। सामान्यतया ये शिकायतें अचल संपत्ति के विनिमय हेतु सही रूप से स्रोत दिखाने में असफलता, उत्तेजक वस्तुओं के प्रभाव से कार्यालय गाड़ी चलाने में उपेक्षित व्यवहार, तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन, कार्यान्वित करने में विफलता, रबड़ काष्ठ बोर्ड/दर्वाज़ों की स्टॉक में अनियमितता, कार्य करते समय अनियमित आचार/अनुपयुक्त व्यवहार करना, सुरक्षा कार्य की उपेक्षा जिससे बोर्ड की संपत्तियों का भारी नुकसान, वैयक्तिक लाभ हेतु

सरकारी पद का पूर्णतः दुरुपयोग करना, लगातार विदेश में रहकर सरकारी कार्यों की उपेक्षा करना/अप्राधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहना, बोर्ड के निदेशों/आदेशों की अवज्ञा करना आदि पर थी।

सही जाँच पड़ताल के बाद जहाँ आवश्यक समझे वहाँ गलत बोर्ड कर्मियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की। सिफारिश दी। वर्ष के दौरान बोर्ड के 8 पदधारियों के विरुद्ध 3 कठिन दण्ड कार्रवाई तथा 5 हल्की दण्ड कार्रवाई ली गयी।

क एवं ख वर्ग स्तर के सभी अधिकारियों से 31.12.2004 के अनुसार अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी मांगी गयी थी। इस तरह अधिकारियों से प्राप्त विवरणियों पर उचित कार्रवाई की। सतर्कता प्रभाग ने अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 113 आवेदनों तथा चल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 61 आवेदनों पर कार्रवाई की।

अन्य प्रभागों/अनुभागों/कार्यालयों से 190 फाइल/मामले का हवाला टिप्पणी/सलाह हेतु सतर्कता अनुभाग को कर दिया। इन फाइलों पर उचित कार्रवाई की तथा सही समय में उनपर टिप्पणी/सलाह के साथ लौटा दीं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार बोर्ड में 1.11.2004 से 6.11.2004 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। प्रतिज्ञा लेने के अलावा बोर्ड के लाभभोगियों/ग्राहकों की बैठकें तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, कोषिक्कोड, मैंगलूर, गुवाहटी एवं अगर्तला में आयोजित कीं। लाभभोगियों की बैठकों में कृषकों, व्यापारियों, विनिर्माताओं, रबड़ उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों आदि ने काफी संख्या में प्रतिभागिता की।

भाग - V

रबड़ अनुसंधान

कोट्टयम में मुख्यालय के साथ भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान (आर आर आई आई) की संस्थापना वर्ष 1955 में हुई। संस्थान का मुख्य अनुसंधान प्रक्षेत्र केरल राज्य के पत्तनमतिट्टा जिला में रान्नी के चेतक्कल में 250 हे. क्षेत्र में स्थित है। इसके 9 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में फैले हुए हैं। संस्थान पौधा प्रजनन, जननद्रव्य परिरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, शोषण प्रौद्योगिकी, सस्य विज्ञान व मृदा विज्ञान, पौधा रोग विज्ञान, सस्य शरीरक्रिया विज्ञान, आर्थिकी एवं रबड़ प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्य चलाता है। संस्थान में 119 वैज्ञानिक तथा 311 समर्थक कर्मचारी हैं। इस अवधि के दौरान भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान की सभी अनुसंधान परियोजनाओं की अच्छी प्रगति रही। संस्थान के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

वनस्पति विज्ञान प्रभाग ने उच्च फसलवाली उपजातियाँ विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य जारी रखे। बड़े पैमाने के परीक्षणों में रोपण के लिए अनुशंसित आर आर आई आई 400 श्रेणी की उपजातियों ने टापींग के दूसरे वर्ष भी लोकप्रिय उपजाति आर आर आई आई 105 से 32 से 57 प्रतिशत अधिक उपज दी। आर आर आई आई 402 एवं आर आर आई आई 52 नामक अन्य दो उपजातियों ने भी बेहतर उपज दिखायी। पौधशाला मूल्यांकन परीक्षण हेतु अस्सी उपजातियों की पहचान की। मुंडक्कयम एस्टेट के आठ ऑरटेड उपजातियों एवं 772, 575 आदि जैसे संकर उपजातियों ने

आर आर आई आई 105 से बेहतर उपज का प्रदर्शन किया। प्रयोगशाला से जोत की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत 127 छोटे कृषकों एवं 5 बड़े कृषकों को आर आर आई आई 400 श्रेणी की उपजातियों के बड़वुड सामग्री परीक्षण रोपण हेतु दे दी।

प्रजनन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान 4000 हस्त परागण कार्य किया गया। एक अध्ययन ने दिखाया कि एथ्रिल उद्दीपन के परिणामस्वरूप रबड़ काष्ठ के गीले वज़न में कोई कमी नहीं होती है। विभिन्न रोपण सामग्रियों के अध्ययन से देखा गया कि पौधों की सर्वाधिक वृद्धि हरे बड़ु किये पौदों से होती है। अवयस्क बड़ु पौदों की वृद्धि हरे बड़ु पौदों की वृद्धि से तुलनात्मक रही।

जननद्रव्य प्रभाग में जननद्रव्य परिरक्षण, लक्षण-वर्णन एवं मूल्यांकन जारी रखे। राष्ट्रीय पादप जनन संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली के द्वारा मलेशियन रबड़ बोर्ड से 1981 जंगली जननद्रव्य संग्रहण से इक्तालीस चयनित अनुवृद्धियाँ प्राप्त कीं। पारंपरिक रबड़ खेती क्षेत्र और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम व त्रिपुरा वाले अपारंपरिक क्षेत्र के विभिन्न कृषि जलवायु स्थिति में 1981 जंगली जननद्रव्य सामग्रियों का मूल्यांकन कार्य जारी रखा। जंगली अनुवृद्धियों (1981) ने अधिक बहुरूपता दिखायी। असामान्य पत्ती सडन रोग के विरुद्ध 95 अनुवृद्धियों में उच्च रोधिता देखी गयी तथा तीन अनुवृद्धियों को चूर्णिल आसिता रोग के विरुद्ध रोगरोधी क्षमता युक्त पाया गया। 200 अनुवृद्धियों में सूखा रोधिता हेतु द्रुत निरीक्षण किया गया तथा 975 अनुवृद्धियों में दृश्यमान स्कोरिंग

किया गया। उत्तर बंगाल के नागरकट्टा में एम टी 3452 अनुवृद्धि को अधिकतम स्वस्थ पाया गया जबकि एम टी 1072, ए सी 3514 एवं आर ओ 2908 ने अधिक टाप उपज दिखायी।

जीनोम प्रयोगशाला में जैविक और अजैविक प्रतिबल सहनशीलता हेतु आण्विक मार्करों के विकास एवं क्लोनिंग तथा सस्य विज्ञानपरक प्रमुख जीनों के लक्षण वर्णन पर अध्ययन जारी रखे। हीविया में प्रतिलोमी ट्रान्स्क्रिप्टाइज़ जीन की पहचान की गयी। सूखे के प्रति सहनशीलता हेतु आण्विक प्रणाली पर परियोजना शुरू की गयी तथा सूक्ष्म सैटलाइट मार्करों पर अध्ययन जारी रखे।

सस्य विज्ञान/मृदा प्रभाग ने अन्तरासस्यन व फसलन प्रणाली सम्मिलित कृषि प्रबंधन तकनीकियों, जल संरक्षण खरपतवार प्रबंधन, पोषक प्रबंधन आदि पर अनुसंधान कार्य जारी रखे। पौधशाला में जिक के प्रयोग से पौधों की वृद्धि में द्रष्टव्य सुधार हुआ तथा पोटैसियम खाद की आवश्यकता के 50 प्रतिशत सोडियम (आम नमक) से प्रतिस्थापना ने भी बेहतरीन परिणाम व्यक्त किया। चूने की आवश्यकता आंकने के लिए परिवर्तनीय अलूमिनियम प्रणाली सबसे उपयुक्त पायी गयी। भूमिशास्त्रपरक सूचना प्रणाली (जी आई एस) के अध्ययन के अंतर्गत एक बागान के सीमा नकशे को डिजिटलाइज़ किया। अध्ययन का सारांश यह निकला कि पहाडी क्षेत्र के दक्षिण में अन्य पार्श्वों की तुलना में कम वृद्धि के साथ अधिक उपज देखी गयी।

केरल के विभिन्न मृदा रूपों में विकसित रबड़ खेती मृदाओं की क्षरणशीलता हेतु मूल्यांकन किया गया तथा पाया गया कि रबड़ खेतीवाले मृदा में 28 प्रतिशत उच्च क्षरणशीलतावाले हैं। कुल 8926 मृदा एवं 1752 पत्र नमूनों का विश्लेषण किया गया

तथा विवेकी खाद प्रयोग हेतु 3683 अनुशंसाएं जारी कीं जिनमें 1110 बड़े बागानों के लिए थे। कुल 51187 लाटेक्स नमूनों का विश्लेषण शुष्क रबड़ संघटक के लिए किया तथा 593 नमूनों का बाष्पशील वसा अम्ल हेतु विश्लेषण किया।

जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग में कायिक भ्रूणोद्भव पर अध्ययन जारी रखे। आर आर आई आई 105 उपजाति के एस ओ डी (सूपर ओक्साइड डिसम्यूटेज़) एकीकृत जीन युक्त ट्रान्सजेनिक पौधे का ग्राफ्टिंग द्वारा गुणन किया। पत्र एवं बीजाण्ड संवर्धन से उच्च आवृत्ति कायिक भ्रूणोद्भव हेतु प्रणालियों को मानकीकृत किया। नई 400 श्रेणी की उपजातियों के कायिक भ्रूणोद्भव को मानकीकृत करने हेतु परीक्षण प्रगति में है। टापींग पानेल शुष्कण से संबद्ध जीनों के लक्षण - वर्णन हेतु दो व्यवकलित सी डी एन ए लाइब्रेरियों को तैयार किया तथा नई श्रेणियों की पहचान की।

शोषण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम आवृत्ति की टापींग प्रणालियों के विस्तार हेतु प्रयोगशाला से कृषि भूमि कार्यक्रम जारी रखा। कुलशेखरम क्षेत्र में जहाँ वर्षारक्षण का पारंपरिक रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है वहाँ वर्षारक्षण के साथ कम आवृत्ति की टापींग प्रणाली (हर चौथे दिन एवं साप्ताहिक) की सफलता को देखकर दो बागानों में इसे सफलतापूर्वक अपनाया। आर आर आई आई 105 में एक परीक्षण में सप्ताह में एक बार (डी/7) की टापींग में 10.3 कि.ग्रा. शुष्क रबड़ प्रति पेड की रिकॉर्ड फसल प्राप्त की गयी। कम आवृत्ति के नियंत्रित ऊर्ध्वमुखी टापींग ने अच्छा परिणाम दिखाया। साप्ताहिक ऊर्ध्वमुखी टापींग में एथिल का ग्रुव प्रयोग लेस प्रयोग से अधिक प्रभावकारी देखा गया। 10 दिनों में एक बार (डी/10) टापींग का शोषण परीक्षण शुरू किया है। 20,000 हे. से अधिक बागानों में

कम आवृत्ति की टापींग को विस्तृत किया है। लाटेक्स निरूपण इकाई में 206 छोटी जोतों में जांचे चलायीं तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में नया क्षेत्र स्तरीय परीक्षण शुरू किया।

पौधा रोग विज्ञान ने रोग एवं कीटों के नियंत्रण, रोग व मौसम संबंध, बहिस्राव प्रबंधन, मृदा सूक्ष्म जैविकी एवं आप्णिक रोग विज्ञान पर अनुसंधान जारी रखा। मे.हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन द्वारा विकसित छिडकाव तेल रबड़ में वाणिज्यिक उपयोग हेतु अनुमोदित किया। आर आर आई एम 600 उपजाति में फसल नुकसान 30 प्रतिशत आकलित किया गया तथा जी टी 1 एवं आर आर आई आई 118 उपजातियों में 70 प्रतिशत। आर आर आई आई 400 श्रेणी की उपजातियों में नया फसल नुकसान अध्ययन शुरू किया। आर आर आई आई 414 उपजाति में चूर्णिल आसिता रोग कम पाया गया। कोरनिस्पोरा पर सर्वेक्षण ने यह दिखाया कि कर्नाटक के सुल्लिया एवं सुब्रमण्या क्षेत्र समस्या क्षेत्र है। 400 श्रेणी की उपजातियों में आर आर आई आई 430 एवं आर आर आई आई 410 में कोरनिस्पोरा रोग का प्रकोप कम देखा गया। पिक रोग आर आर आई आई 429 में सबसे अधिक था। पौधा संरक्षण हेतु रबड़ बीज तेल के उपयोग पर अध्ययन जारी रखा तथा आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए।

इन्टरनाशनल रबड़ रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट बोर्ड (आई आर आर डी बी) द्वारा संयोजित कोरनिस्पोरा पर अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना इस अवधि के दौरान शुरू की गयी। टापींग पानेल शुष्कण (टी पी डी) पर जाँच जारी रखी तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में टापींग पानेल शुष्कण के प्रकोप का सर्वेक्षण शुरू किया गया। छादन फसल प्यूररिया फेसियोलोइड्स की वृद्धि को सुधारनेवाली दो आशाजनक पी जी पी आर आइसोलेट्स की पहचान

की गयी। वल्क भक्षक इल्लियों के जैविक नियंत्रण अध्ययन में एन्टोमोपैथोजनिक बासिलस थ्यूरिजियेन्सिस से अच्छा नियंत्रण पाया गया। अरोरोट निचोड से प्रभावी रूप में एक महीने तक दीमक का नियंत्रण किया जा सकता है।

शीट प्रक्रमण बहिस्राव के उपचार हेतु एक प्रोटोटाइप बेंच मॉडेल हाई रेट रियाक्टर को रूपायित किया। जलीय धारण समय (एच आर टी) को काफी मात्रा में कम किया जा सका। मधुमक्खी पालन एवं कोलनियाँ की उत्पादकता की समस्याओं के संबंध में एक सर्वेक्षण चलाया गया।

कृषि मौसमीय अध्ययनों ने दिखाया कि मध्यम भूमि में रबड़ खेती ने वर्षपात को अनुकूल रूप से प्रभावित किया है। कुल फसल उत्पादन पर सूखे के प्रभाव ने दिखाया कि यह वर्द्धित टापींग दिनों के कारण बढ़ाने के लिए साबित करने की सबूत नहीं है। तृश्शूर जिला के पालप्पिल्ली बागान में एक प्रादेशिक वेधशाला की संस्थापना की।

पौधा शरीरक्रिया विज्ञान प्रभाग में शरीरक्रिया विज्ञान अध्ययन से पता चला कि टापींग पानेल शुष्कण प्रकोपित पेड़ों में एथलीन वृद्धि के साथ मुक्त राडिकल स्तर की दृश्यमान वृद्धि हुई है। आर ए पी डी विश्लेषण के परिणामों से देखा गया कि एकजातीय एवं बहुजातीय पौदा समूह में दृष्टव्य कोई अन्तर नहीं है। उच्च फसलदार उपजाति आर आर आई आई 105 में प्रकाश संश्लेषी ऊर्जा अर्जन पर चलाये गये अध्ययन से पता चला कि अनुकूल कृषि मौसमिक परिस्थिति में इस उपजाति को प्रभावी प्रकाश उपयोगिता एवं फोटो संरक्षण प्रणाली है। सूखा के कारण अलग से व्यक्त सी डी एन ए क्षालन किये, अवक्षेप किये और एम्प्लिफाई की। आर आर आई आई 600 से अधिक सूखा के प्रति

सहनशीलतावाले चार जंगली अनुवृद्धियों की पहचान की गयी। आर आर एस दपचारी में सूखा रोधिता हेतु चयनित जीनरूप 34 ने अधिक प्रकाश संश्लेषण दिखाया।

रबड़ प्रौद्योगिकी प्रभाग में विभिन्न रबड़ उत्पादक क्षेत्र में उत्पादित शीट गुणता पर सर्वेक्षण चलाया गया तथा नमूना परीक्षणों के आंकड़ों का विश्लेषण पूरा किया गया। मोझों के उत्पादन हेतु अनिलोज़ाइम पी के उपयोग करके डी प्रोटीनीकृत स्वाभाविक रबड़ लाटेक्स (डी एन आर एल) का फैक्टरी मूल्यांकन हल्के पीले रंग को छोड़कर संतोष जनक परिणामों के साथ पूरा किया गया। डी एन आर एल के उत्पादन में पापेन के दोनों रूप बुकनी एवं द्रव, प्रभावी देखे गये। पाइलट (प्राथमिक) संयंत्र में स्किम लाटेक्स संसाधन प्रणाली सुधारने तथा स्किम मिश्रण के आसान संसाधन प्रणाली को मानकीकृत किया। आर आर आई आई 400 श्रेणी की उपजातियों की कच्चे रबड़ विशेषताओं का मूल्यांकन शुरू किया गया। नियोप्रीन एवं स्वाभाविक रबड़ के मिश्रण से तैयार किये आसंजकों की विशेषताओं के विभिन्न रालों पर प्रभाव का निर्धारण किया। परतयुक्त सिलिकेट प्रयुक्त स्वाभाविक रबड़ लाटेक्स नानो युग्म वल्कनीकृत फिल्म की वायवीय पारगम्यता कम की जा सकी है। स्वाभाविक रबड़/एस बी आर के कार्बन/सिलिका मिश्रित फिल्लर में रूपांतरण के रूप में इ एन आर का उपयोग किया था और इसी का ही उपयोग एन बी आर/ चिकनी मिट्टी मिश्रण में भी किया था। स्वाभाविक रबड़ के प्रबलन में पॉलीप्रोपलीन या हाई डेन्सिटी पॉलिथलीन की अल्प मात्रा मिलाना प्रभावी देखा गया है। स्वाभाविक रबड़ में छोटे अनुपात में पुनः चक्रण किये प्लास्टिक मिलाने से वल्कनाइसेट्स की काल प्रतिरोधिता में सुधार हुई है। चावल बनाने कि मिल के रॉलर के उत्पादन हेतु सिलिका मिश्रित

एन बी आर/ ई एन आर मिश्रण का फिनाॅलिक रेसिन में मूल्यांकन किया गया। शीट रबड़ सुखाने हेतु ताप अंतरण माध्यम के रूप में पानी के उपयोग करने के लिए सौर शुष्कक को संशोधित करने का कार्य शुरू किया गया। जूता/चप्पलों में प्रयोग हेतु छिड़कने योग्य आसंजकों के उत्पादन और चिकित्सा उपयोग हेतु पारदर्शक रबड़ योजक की प्रौद्योगिकियाँ विकसित कीं।

आर्थिकी प्रभाग ने रबड़ और रबड़ उत्पादों के विश्व व्यापार एवं टैरिफ-नीति, समय विश्लेषण, चयनित उपजातियों की लाटेक्स- काष्ठ फसल, रबड़ काष्ठ प्रक्रमण, भारत के रबड़ बागानों में मधुमक्खी पालन का प्रोत्साहन एवं बागान क्षेत्र में मज़दूरी ढाँचे पर अध्ययन जारी रखा।

उत्तरपूर्वी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में कार्यकलाप उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

चार प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन याने पश्चिम बंगाल के नाग्राकट्टा, त्रिपुरा में अगर्तला, असम में गुवाहटी एवं मेघालय में तुरा मिलकर अगर्तला में मुख्यालय के साथ उत्तर-पूर्वी अनुसंधान परिसर बनता है। इस अवधि के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सभी अनुसंधान परियोजनाओं और परीक्षणों की अच्छी प्रगति हुई।

प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन अगर्तला में 24 चालू अनुसंधान परियोजनाएं अच्छी प्रगति में थी। “त्रिपुरा की जलवायु स्थिति के अधीन हीविया के टापिंग पानेल शुष्कन ऊतकों में पोषक का अध्ययन” नामक एक नयी परियोजना शुरू की गयी। खनिज विज्ञान अध्ययन से पता चल गया है कि त्रिपुरा की मृदाओं में भारी मात्रा में भंडार किये गये पोटैसियम उपस्थित है। लेकिन उपलब्धता कम है। क्लोन

परीक्षण में आर आर आई आई 203, आर आर आई आई 208 एवं पी बी 235 उपजातियों को त्रिपुरा में रोपण हेतु चयन किया। शरीरक्रिया विज्ञान एवं शोषण अध्ययन जारी रखे। जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में पत्र मेसोफिल सेल प्रोटोप्लास्ट्स को अलग करने हेतु प्रोटोकॉल को मानकीकृत किया। करीब 250 जंगली जननद्रव्य संग्रह का अनुरक्षण किया। वर्षा आंकड़ों का साप्ताहिक विश्लेषण किया गया। चाय के अन्तरासस्यन परीक्षण में हरी चाय की उपज 2183 कि ग्रा प्रति हेक्टेयर थी।

प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, गुवाहटी में 15 चालू अनुसंधान परियोजनाओं की अच्छी प्रगति हुई। आर आर आई एम 600 उपजाति ने अन्य उपजातियों की तुलना में उच्च वृद्धि और उपज का प्रदर्शन किया। N60 P40 K40 के प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 60:40:40 कि ग्रा की दर की मात्रा तक खाद प्रयोग की उपज प्रतिक्रिया देखी गयी। अपक्व चरण में 60 कि ग्रा प्रति हेक्टेयर की दर पर सूपर फॉस्फेट के प्रयोग से अधिकतम वृद्धि दर्ज की गयी। 7 उद्दीपनों एवं जाड़े के मौसम में तीन महीनों के विश्राम के साथ चौथे दिन के टापिंग में फसल एवं शुष्क रबड़ संघटक अधिक थे।

ढूँठ पर जो तिरछा काट है उसे बड़ु पैच के नज़दीक कर दिया गया तब बड़ु ढूँठों के मुकुलन में सफलता एवं छोटे पौधों की वृद्धि अधिक पायी गयी। सर्वेक्षण ने चूर्णिल आसिता रोग के विभिन्न तीक्ष्णता स्तरों में प्रकोप की पुष्टि करता है। एस सी ए टी सी 88/13, एस सी ए टी सी 93/114, हैकेन 1, पी बी 86, पी बी 260, आर आर आई आई 208, आर आर आई आई 429, आर आर आई आई 417 आदि उपजातियाँ चूर्णिल आसिता रोग के विरुद्ध सहनशील पायी गयीं।

आर आर एस तुरा, मेघालय में आर आर आई एम 600 एवं आर आर आई आई 203 उपजातियों ने उच्चतम वृद्धि लगातार दिखाती रही। आर आर आई एम 600 एवं पी बी 311 उपजातियों में उपज प्रतिक्रिया सर्वाधिक रही। एक टापिंग परीक्षण शुरू किया गया। खाद परीक्षणों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए तथा रबड़ बागान के चाय के साथ अन्तरासस्यन के भी संतोषजनक परिणाम निकले हैं।

पश्चिम बंगाल के **प्रा अ स्टे नाग्रकट्टा** में तेरह चालू अनुसंधान परियोजनाओं एवं परीक्षणों ने अच्छी प्रगति की। आर आर आई आई 208 उपजाति का फसल निष्पादन सुधर गया तथा चीनी उपजातियाँ एस सी ए टी सी 88/113 एवं एच के 1 फसल की दृष्टि से बेहतर रही। पी बी 311, आर आर आई आई 203, आर आर आई एम 703, आर आर आई एम 605, आर आर आई एम 600 एवं आर आर आई आई 208 अन्य अच्छी उपजातियाँ हैं। रबड़ के साथ चाय के अन्तरासस्यन का अच्छा निष्पादन जारी रहा।

अन्य क्षेत्र

हिविया प्रजनन उपकेन्द्रों (एच बी एस एस) एवं अन्य प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशनों की अनुसंधान परियोजनाओं की भी इस अवधि के दौरान अच्छी प्रगति हुई।

एच बी एस एस, कर्नाटक में पी बी 235 उपजाति ने सर्वाधिक वृद्धि दिखाई तथा आर आर आई आई 118 उपजाति ने उच्च वृद्धि दिखायी। आर आर आई आई 105, आर आर आई आई 118, पी बी 235 एवं पी बी 311 ने अच्छी फसल दी। नयी उपजातियों में आर आर आई आई 414 सबसे सुस्वस्थ है जिसके पीछे है आर आर आई आई 429 एवं 430। बड़े पैमाने के उपजाति परीक्षण में

आर आर आई आई 203, पी बी 260 एवं पी बी 235 ने अन्य उपजातियों की तुलना में अधिक उपज दर्ज की। छह ऑर्टेट उपजातियों ने अच्छा फसल निष्पादन दिखाया।

एच बी एस एस परलियार से विभिन्न पैतृक संयोजन से हस्त परागण का परीक्षण किया गया। विभिन्न वर्षों में प्राप्त संकर मूल्यांकन के अधीन हैं। उपजाति परीक्षणों में पी बी 314 एवं आई आर सी ए 109 की बेहतर फसल प्राप्त हुई। ब्लॉक परीक्षणों में पी बी 311 एवं पी बी 235 की उपज उच्चतर रही। उपजातीय संयोजन परीक्षणों में आर आर आई आई 5 (15%) पी बी 235 (35%) एवं आर आर आई आई 105 (50%) के संयोजन सबसे उत्तम संयोजन का प्रदर्शन करना जारी रहा। जड अनुवर्धन पौधों की वृद्धि का प्रदर्शन पोली बैग पौधों से बेहतर रहा।

प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, पडियूर की सभी चालू अनुसंधान परियोजनाओं ने अच्छी प्रगति की। केरल के कण्णूर जिला के प्रा.अ.स्टेशन पडियूर में वृद्धि पर सिंचाई की अच्छी प्रतिक्रिया देखी गयी तथा खड़ के साथ काजू के अन्तरासस्यन के आशाजनक प्रारंभिक परिणाम निकले। उपजाति/जननद्रव्य मूल्यांकन जीन रूप एवं परिस्थिति प्रतिक्रिया आदि अन्य क्षेत्र स्तरीय परीक्षण की अच्छी प्रगति हुई।

प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, उड़ीसा की आठ चालू परियोजनाओं की वर्ष के दौरान अच्छी प्रगति हुई। 1987 उपजाति परीक्षणों में जी टी 1 एवं आर आर आई एम 600 ने आर आर आई आई 105 से अधिक उपज दर्ज की। आर आर आई आई 105 एवं आर आर आई एम 600 उपजातियों ने तुलनात्मक फसल प्रदर्शित की तथा जी टी 1 उपजाति की

फसल बहुत कम रही। 1996 उपजाति परीक्षण में आर आर आई आई 430 ने अच्छी मोटाई दर्ज की और आर आर आई आई 417 उसके पीछे रही जबकि आर आर आई आई 414 ने सबसे कम मोटाई दर्ज की।

प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, दपचारी (महाराष्ट्र) की 10 चालू अनुसंधान परियोजनाओं ने अच्छी प्रगति की। फसल की दृष्टि के आर आर आई आई 208 उपजाति सबसे उत्तम उपजाति बनी रही। बहुक्लोनीय पौधों से प्राप्त चयनों का क्लोन किया। जंगली जीनरूपों में मोटोग्रासो अनुवृद्धि ने बेहतर सूखा सहनशीलता दर्शायी। आर आर आई आई 105 उपजाति में सिंचाई एवं उद्दीपन के संयुक्त प्रभाव के परिणाम स्वरूप तीन के अन्तराल के टापींग के अधीन 2550 कि ग्रा प्रति 400 पेड प्रति वर्ष की भारी फसल प्राप्त हुई।

वार्षिक पुनरीक्षा बैठक

सभी चालू अनुसंधान परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु वार्षिक पुनरीक्षा बैठकें भारतीय खेती गवेषण संस्थान में 09.08.2004 से 20.08.2004 तक आयोजित कीं। वैज्ञानिकों ने परीक्षणों की खोजें/परिणाम हर प्रभाग की बैठक में बाहरी विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत कीं/किये। बैठक ने योजना के विरुद्ध प्रगति की पुनरीक्षा की तथा मूल्यांकन किया एवं भविष्य के अनुसंधान कार्य हेतु कार्ययोजना तैयार की।

दसवीं योजना के अनुसंधान संघटक की प्रगति की पुनरीक्षा केरल कृषि विश्व विद्यालय के कुलपति डॉ. के.वी. पीटर की नेतृत्व में अनुसंधान सलाहकार समिति ने की तथा उसपर एक रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की है।



महामहिम राष्ट्रपति श्री ए पी जे अब्दुल कलाम, भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान द्वारा विकसित नये रबड़ क्लॉन का विमोचन कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान की मुख्य घटनाएं/प्रकाशन/प्रशिक्षण कार्यक्रम

इन्टरनाशनल रबड़ रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट बोर्ड की चीन के कुमिंग में 6-12 सितंबर संपन्न वार्षिक सम्मेलन एवं बैठकों में डॉ एन एम मात्यु, निदेशक (अनुसंधान), डॉ के आर विजयकुमार, संयुक्त निदेशक एवं डॉ जेइम्स जेकब उपनिदेशक भाग लिए। पाँच अनुसंधान आलेख प्रस्तुत किये गये।

डॉ एन एम मात्यु, निदेशक श्रीलंका के कोलंबो में जुलाई 2004 में संपन्न बागान फसल सिंपोसियम में तथा 13 से 15 दिसंबर 2004 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न इन्टरनाशनल रबड़ कॉफ्रेंस एवं प्रोडक्ट एक्सिबिशन में भाग लिए।

वर्ष के दौरान भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान ने 18 वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ आयोजित की जिनमें 41 आलेख प्रस्तुत किये गए और सात आमंत्रित अभिभाषण/अतिथि भाषण के प्रबंध किये। श्रीलंका के रबड़ रिसर्च इंस्टिट्यूट के दो तकनीकी अधिकारियों को

भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदत्त किया।

भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान के 10 वैज्ञानिकों को विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में विभिन्न अनुसंधान विषयों पर उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। “नाचुरल रबड़ रिसर्च” नामक पत्रिका के भाग 17 संख्या 1 का प्रकाशन वर्ष के दौरान किया। 110 अनुसंधान लेख और चार डॉक्टरेट थेसिस भी प्रकाशित किये।

स्वर्ण जयंती समारोह

वर्ष 2005 भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान का स्वर्ण जयंती वर्ष है। उचित रूप से जयंती मनाने के लिए कार्यक्रमों/कार्यकलापों को रूपायित करने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय संगठक समिति गठित की है। भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान परिसर में नये स्वर्ण जयंती प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

भाग - VI

प्रक्रमण एवं उपज विकास

प्रक्रमण एवं उपज विकास विभाग ने रबड़ और रबड़ काष्ठ संसाधन इकाइयों विशेषकर छोटी जोत क्षेत्र को उनकी उपजों की गुणता, लागत प्रतियोगिताक्षमता व विभिन्न उपायों द्वारा इसके विपणन अवसंरचनाएं सुधारने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय समर्थन प्रदान करना जारी रखा। विभाग मुख्यतया दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो योजनाएं कार्यान्वित कर रह है याने,

- * प्रक्रमण गुणता सुधार एवं उत्पाद विविधीकरण
- * बाज़ार विकास का मुख्य रूप से कार्यान्वयन किया।

वर्ष 2004-05 के दौरान प्रक्रमण गुणता सुधार एवं उत्पाद विविधीकरण योजना के अंतर्गत तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ (टी एस आर) के प्रक्रमणकर्ताओं को गुणता सुधार, लागत में कटौती, पारिस्थितिक संरक्षण प्रणाली सुशक्त करने जैसे विभिन्न कार्य हेतु तकनीकी एवं वित्तीय समर्थन प्रदान किए तथा गुणता सुधार कार्यक्रम हेतु 16 टी एस आर प्रक्रमणकर्ताओं को 52.12 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस अवधि के दौरान 9 टी एस आर प्रक्रमणकर्ताओं को लागत कटौती के उपाय हेतु 20.39 लाख रुपये व 4 टी एस आर प्रक्रमणकर्ताओं को पारिस्थितिक संरक्षण उपाय हेतु 7.05 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। योजना के अंतर्गत 5 रबड़ काष्ठ प्रक्रमणकर्ताओं को गुणता सुधार एवं मूल्य संवर्धन हेतु और एक इकाई को अपशिष्ट उपयोग कार्य हेतु कुल 20.87 लाख रुपये का वित्तीय समर्थन प्रदान किया। पाला मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी, मीनच्चिल को-ऑपरेटिव

रबड़ मार्केटिंग सोसाइटी, कोषिकोड को-ऑपरेटिव सोसाइटी और अग्रिनको के ब्लॉक रबड़ फैक्टरियों के विस्तार करने/नवीकरण हेतु इंजीनियरी परामर्श सेवाएं प्रदत्त कीं।

रबड़ उत्पादक संघ क्षेत्र में टी एस आर के प्रक्रमण में लगे 2 प्रक्रमणकर्ताओं को सरकार के अनुमोदन के अनुसार शेयर पूंजी स्वरूप 50.7 लाख रुपये के ऋण देकर समर्थन किया। इसके अलावा वर्ष के दौरान रबड़ उत्पादक संघ क्षेत्र के तीन टी एस आर प्रक्रमणकर्ताओं एवं एक रबड़ काष्ठ प्रक्रमणकर्ता को ब्याज सहायिकी भी प्रदान की।

बोर्ड ने मांगानम के आदर्श टी एस आर फैक्टरी एवं के प स्टे चेतकल के प्राथमिक लाटेक्स प्रक्रमण संयंत्र और मांगानम के आदर्श रबड़ काष्ठ फैक्टरी द्वारा टी एस आर प्रक्रमणकर्ताओं को प्रक्रमण, गुणता नियंत्रण एवं पारिस्थितिक संरक्षण में निदर्शन और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कीं। आदर्श टी एस आर फैक्टरी ने ब्लॉक रबड़ के प्रक्रमण में श्रेडर के निष्पादन का मूल्यांकन किया। मध्यम स्तर के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए फैक्टरी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान फैक्टरी ने 2280 टण तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ का उत्पादन किया।

मांगानम के रबड़ काष्ठ प्रयोगशाला ने रबड़ काष्ठ प्रक्रमणकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग व केरला फोरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट को परीक्षण सेवाएं प्रदत्त कीं। प्रयोगशाला ने अनुसंधान

विभाग के साथ संयुक्त रूप से कुछ अनुसंधान परियोजनाएं चलायीं। रबड़ काष्ठ परीक्षण प्रयोगशाला एवं आदर्श रबड़ काष्ठ फैक्टरी के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

बाज़ार विकास योजना के अधीन रबड़ उत्पादक संघ क्षेत्र के द्वारा रबड़ विपणन हेतु 10 इकाइयों को देशी बाज़ार एवं निर्यात बाज़ार में रबड़ के विपणन के लिए शेयर पूँजी के एवज़ में 150 लाख रुपये प्रदत्त कर अवसंरचना को सुशक्त किया। विपणन में दक्षता सुधारने हेतु कंप्यूटर एवं उपकरणों के प्रापण हेतु रबड़ उत्पादक संघ क्षेत्र के 5 कंपनियों को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है।

विभाग ने विभिन्न उपायों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रबड़ काष्ठ को एक परिस्थिति अनुकूल लकड़ी के रूप में संवर्द्धन करने के कार्यकलाप जारी रखे। अग्रणी मासिका एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी बोर्ड ने रबड़ काष्ठ के संवर्द्धन का कार्य किया। रबड़ काष्ठ पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तिका प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई शुरू की। इस अवधि के दौरान रबड़ काष्ठ संवर्द्धन हेतु बोर्ड 18 राष्ट्रीय एवं 3 अंतर्राष्ट्रीय मेलाओं में भाग लिया।

बोर्ड के मुख्यालय भवन में वेट-राइज़र लगाने का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है तथा कार्य की पूर्ति हो रही है। भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान परिसर में स्वर्ण जयंती स्मारक भवन के निर्माण के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण जैसे एन बी सी सी, इंजीनियर्स इंडिया लि. एवं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से वास्तुशिल्पीय प्रस्ताव आमंत्रित किये तथा प्राप्त किये। 2 करोड़ रुपये लागत के प्रथम चरण का निर्माण कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने शुरू किया है तथा कार्य की अच्छी प्रगति हो रही है।

विभाग ने बोर्ड की विभिन्न योजनाओं याने रबड़ उत्पादक संघ के अधीन के स्वयं सेवी समितियों के द्वारा संसाधित रबड़ काष्ठ की मूल्य वृद्धि, तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता के अध्ययन हेतु रबड़ शीट के भंडारण के लिए आर्द्रता विमुक्त गुदाम की स्थापना, टी एस आर एवं रबड़ काष्ठ प्रक्रमणकर्ताओं की ऊर्जा परीक्षा, लाटेक्स को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करके ब्लॉक रबड़ की गुणता में सुधार का कार्यान्वयन किया।

रबड़ अधिनियम के अनुसार आयातित रबड़ की गुणवत्ता की जांच एवं देश में उत्पादित रबड़ के निरीक्षण प्रक्रमण अनुज्ञापत्र जारी करने/नवीकरण हेतु प्रक्रमणकर्ताओं के गुण के निर्धारण जैसे कार्य विभाग ने किये। स्वाभाविक रबड़ के देश में आयात करने के प्राधिकृत बन्दरगाहों के रूप में कोलकत्ता व विशाखपट्टनम को घोषित करते हुए 2001 दिसंबर में जारी आदेश भारत सरकार ने अगस्त 2004 में वापस ले लिया।

परिणामस्वरूप चेन्नै, बेंगलूर, हैदराबाद, कोची, मुंबई आदि जैसे अन्य बन्दरगाहों द्वारा रबड़ आयातीत होने लगे। बोर्ड ने राष्ट्रीय जांच घर, कोलकोत्ता, नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला, विशाखपट्टनम, मद्रास इंस्टिट्यूट ऑफ तकनोलजी, चेन्नै एवं आई आर एम आर ए के प्रयोगशाला, मुंबई में गुणवत्ता जांच चलाने के लिए प्रयोगशालाओं के अनुमोदन की संभाव्यताओं की परख की। इस लक्ष्य से आई आर एम आर ए के प्रयोगशाला को अनुमोदित करने में बोर्ड सफल रहा। विभिन्न बन्दरगाहों में आयातित रबड़ आ जाने के फलस्वरूप भारत सरकार के अनुमोदन के साथ आयातित रबड़ की यादृच्छिक जांच मात्र करने का निर्णय लिए। वर्ष के दौरान आयातित 66,198 मेट्रिक टन स्वाभाविक रबड़ का गुणता जांच परीक्षण किया गया और अनुमति दे दी।

निर्यात किये जानेवाले रबड़ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग ने निर्यात किये जानेवाले रबड़ की गुणवत्ता जाँच की। वर्ष के दौरान 11940 मे.टण ब्लोक रबड़ की जाँच की तथा निर्यात हेतु अनुमति दे दी। उसी प्रकार 9602 मेट्रिक टण गाढे लाटेक्स की जाँच की तथा निर्यात हेतु अनुमति दे दी। 27576 टण आर एस एस श्रेणी के रबड़ की निर्यात हेतु जाँच की।

विभाग के अधिकारियों ने प्रक्रमणकर्ताओं, कृषकों एवं निर्यातकों के लिए आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रबड़ सहकारी समितियों के शाक्तिकरण हेतु रबड़ बोर्ड एवं एन सी डी सी द्वारा आयोजित कार्यशाला, विश्व रबड़ कांग्रेस, रबड़ एक्स्पो एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कांफेडरेशन ऑफ इंडियन

इंडस्ट्री द्वारा एन्टी डम्पिंग पर आयोजित संगोष्ठी आई एस ओ एवं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चलाये प्रमाणन एवं अनुपालन निर्धारण में प्रतिभागिता की।

विभाग द्वारा विश्व बाज़ार के लिए 111 कि.ग्रा. आर एस एस बंडल तैयार करने हेतु विकसित हाइड्रॉलिक प्रेस का उपयोग वर्ष के दौरान रबड़ के निर्यात हेतु किया था।

केरल स्टेट कॉऑपरेटीव रबड़ मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा चलाये जा रहे रुबेक बलून्स (प्रा.) लि. को विभाग ने इंजीनियरिंग परामर्श सेवा प्रदत्त की।

संसाधकों के अनुज्ञापत्र जारी करने/अनुज्ञापत्र के नवीकरण हेतु सात आवेदन प्राप्त हुए जिनपर आवश्यक कार्रवाई की।



भाग - VII

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श विभाग के दो प्रभाग हैं याने प्रशिक्षण प्रभाग और तकनीकी परामर्श प्रभाग। प्रशिक्षण प्रभाग रबड़ बागान क्षेत्र और संसाधन व उपज विनिर्माण क्षेत्र समेत रबड़ उद्योग क्षेत्र के लाभ हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तकनीकी परामर्श प्रभाग उद्यमियों को रबड़ आधारित इकाइयों की संस्थापना हेतु तथा रबड़ उत्पन्न विनिर्माताओं को उत्पादन की समस्याएं सुलझाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करता है और रबड़ उत्पादों के परीक्षण द्वारा गुणवत्ता निर्धारण करता है। इसके अलावा विभाग स्वाभाविक रबड़ के विभिन्न रूपों में निर्यात हेतु तकनीकी समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है।

I) प्रशिक्षण प्रभाग

प्रशिक्षण प्रभाग रबड़ उद्योग के समग्र विकास के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए रबड़ खेती, रबड़ प्रक्रमण एवं रबड़ उपज विनिर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देता है। मुख्य रूप से प्रशिक्षण के लिए पहचाने गये लक्षित वर्ग ये हैं:-

- ◆ कृषक
- ◆ रबड़ व्यापारी/प्रक्रमणकर्ता
- ◆ उत्पादन प्रबंधक/अधीक्षक
- ◆ रबड़ उत्पाद विनिर्माता
- ◆ रबड़ उत्पादक संघ
- ◆ बोर्ड के कर्मचारी



श्रीलंका के प्रतिभागी

- ◆ महिला/एकादमिक विद्यार्थी
 - ◆ विदेशी भागीदार
 - ◆ रबड़ एवं रबड़ उत्पाद निर्यातक
 - ◆ रबड़ विपणन सहकारी समितियाँ
 - ◆ रबड़ आधारित उद्योग के उद्यमी
 - ◆ रबड़ काष्ठ प्रक्रमणकर्ता एवं निर्यातक
- प्रशिक्षण केन्द्र का लक्ष्य निम्न लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति है:-
- रबड़ कृषकों एवं रबड़ बागान श्रमिकों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रतियोगिताक्षमता का अद्यतन करना।
 - रबड़ संसाधकों एवं रबड़ उपज विनिर्माताओं को उपयुक्त प्रशिक्षण देना ताकि बेहतर गुणवत्ता एवं प्रतियोगिता क्षमता हासिल की जा सकें।
 - रबड़ उत्पादक संघों (र उ सं) एवं रबड़ विपणन सहकारी समितियों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रतियोगिताक्षमता का अद्यतन करना।
 - बोर्ड के कर्मचारियों की आवश्यक रुचि एवं प्रबंधकीय दक्षताएं विकसित करना।
 - अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

वर्ष 2004-05 के दौरान 97 बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये तथा कुल लाभान्वितों की संख्या 4790 थी जिनमें 997 महिलाएं और 50 अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभागी सम्मिलित हैं। लाभभोगियों के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वर्ग	लाभान्वितों की संख्या
1	अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	11
2	रबड़ खेती एवं बागान प्रबंधन	14
3	रबड़ संसाधन एवं गुणता नियंत्रण	106
4	रबड़ उपज विनिर्माण	158
5	रबड़ प्रौद्योगिकी विद्यार्थी	79
6	रबड़ आधारित उद्योग पर अभिमुखीकरण प्रशिक्षण	534
7	विपणन प्रबंधन	14
8	कृषकों को बाहरी स्थानों पर प्रशिक्षण	2057
9	सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	145
10	टापिंग स्कूल के टापर्स	145
11	बोर्ड के कर्मचारी	75
12	दौरा-सह-प्रशिक्षण के व्यक्ति	1452
योग		4790

II. तकनीकी परामर्श प्रभाग

देश में रबड़ माल विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी परामर्श प्रभाग तकनीकी सहायता प्रदान करता है। रबड़ आधारित उद्योगों की संस्थापना हेतु उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, रबड़ उत्पादों को विकसित करना, विद्यमान इकाइयों की उत्पादन समस्याएं सुलझाना तथा रबड़/रबड़ रसायनों/रबड़ सम्मिश्रों/उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर जांच द्वारा गुणता नियंत्रण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि इस प्रभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं। रबड़ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, बाज़ार

सर्वेक्षण रिपोर्टों, व्यापार निर्देशिकाओं की तैयारी आदि जैसे कार्यकलाप भी प्रभाग करते हैं। सभी सेवाएं परामर्श आधार पर प्रदान की जाती हैं। शैक्षिक एवं प्रायोगिक कार्यों के अलावा अनुसंधान एवं विकास कार्य भी चलाये जाते हैं।

स्वाभाविक रबड़ के उपभोग में वृद्धि लाने के मद्देनज़र केरल, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा में रबड़ इंडस्ट्रियल पार्कों की संस्थापना एवं स्वाभाविक रबड़ के प्रयोग के लिए नये क्षेत्रों की पहचान सामाजिक लाभ को विचार करते हुए रोड रबरण, स्वाभाविक रबड़ आधारित सीस्मिक बियरिंग एवं सिंचाई कनाल लाइनिंग के देशी विकास परियोजनाएं जारी रखीं। वर्ष 2004-05 के दौरान प्रभाग द्वारा किये गये मुख्य कार्य निम्न प्रकार है:-

कार्यकलाप	कार्यान्वयन की स्थिति
I. उद्योगों को तकनीकी समर्थन	
क. परीक्षण उपकरणों की खरीद	कुछ मदों की खरीद की तथा अन्य लक्षित सामग्रियों की खरीद हेतु कदम उठाए गये।
ख. एन ए बी एल मान्यता	दस्तावेज तैयार करने के कार्य पूरा किये तथा सभी संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।
ग. उपज विकास	उद्योग/उद्यमियों की पूछताछ के आधार पर 30 नये उत्पादों को विकसित किया जैसे सर्जिकल ट्यूबिंग, शू सॉल के लिए लाटेक्स फॉम, प्री-वल्कनाइस्ड लाटेक्स, डाम्पर पुल्ली कॉम्पाउंड, एक्स्ट्रूडेड रबड़ बैंड, इंडस्ट्रियल फ्लॉर वाइपर के लिए इम्पेल्लर शाफ्ट बुश एवं रबड़ बेल्ट (आयात प्रतिस्थापना)
घ. गुणता नियंत्रण/समस्या सुलझन	विद्यमान फैक्टरियों से करीब 6500 प्राचलों की जाँच हेतु 1400 नमूने प्राप्त किए।

कार्यकलाप	कार्यान्वयन की स्थिति
ड. परामर्श/सलाहकारी सेवाएं	रबड़ आधारित उद्योग की स्थापना हेतु 12 परियोजना रिपोर्टों/प्रोफाइलों की तैयारी की। विकास केन्द्र/टी एफ डी पी सी, त्रिपुरा को आवश्यक तकनीकी सलाह प्रदत्त की।
च. स्वाभाविक रबड़ प्रोटीन एलेर्जी संबंधी कार्य	भा.र.ग.सं. के रबड़ प्रौद्योगिकी प्रभाग के साथ सहयोगी परियोजना में कम प्रोटीन लाटेक्स को विकसित किया तथा इंडिया एक्स्पो 2005 में आयोजित संगोष्ठी में इसपर एक आलेख प्रस्तुत किया।
छ. प्रशिक्षण कार्यकलाप/संगोष्ठियाँ/शैक्षणिक कार्य	तकनीकी परामर्श प्रभाग ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। रबड़ उद्योग के विकास को लक्षित करके विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में प्रतिभागिता की।
ज. जाँच एवं सलाहकारी सेवा हेतु एकत्रित परामर्श शुल्क	5.00 लाख रुपये
II. रबड़ इंडस्ट्रियल पार्क परियोजनाएं	
क) रबड़ पार्क, कोची, केरल	परियोजना के पूर्तीकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदत्त की।
ख) त्रिपुरा के रबड़ पार्क	ए एस आई डी ई योजना के अधीन मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त की तथा टी आई डी सी, त्रिपुरा के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई शुरू की।
ग) रबड़ पार्क, नागरकोइल, तमिलनाडु	ए एस आई डी ई योजना के अधीन अनुमोदन हेतु मंत्रालय को परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

कार्यकलाप

कार्यान्वयन की स्थिति

III. स्वाभाविक रबड़ के विविधीकृत उपयोग पर योजनाएं

<p>i) सडकों का रबरण (के स अ सं नई दिल्ली के साथ सहयोगी परियोजना)</p>	<p>एन आर एम बी के निष्पादन मूल्यांकन के परिणाम आशाजनक रहे अतः अध्ययन जारी रखे। विभिन्न मौसमिक स्थितियों में निष्पादन के मूल्यांकन हेतु परियोजना सडकों का निर्माण किया। परियोजना को प्रचलित करने हेतु संगोष्ठियाँ आयोजित कीं तथा स्थानीय निकायों को सहायिकी देने हेतु मंत्रालय को एक प्रस्ताव अग्रेषित किया।</p>
<p>ii) सीस्मिक बियरिंग (एस ई आर सी, चेन्नै के)</p>	<p>एस ई आर सी चेन्नै के साथ सहयोगी परियोजना में स्वाभाविक रबड़ आधारित सीस्मिक बियरिंग (एस ई आर सी, चेन्नै के साथ सहयोगी परियोजना) का देश के अंदर ही विकास किया। इन बियरिंगों की जांच एस ई आर सी में की तथा परिणाम आशाजनक रहे। बियरिंग पर अध्ययन की पुष्टि एवं विश्वसनीयता हेतु 36 छोटे आकार के आइसोलेटर्स तैयार किए तथा एस ई आर सी को अग्रेषित किये और परिणामों की प्रतीक्षा है। इसके अलावा आई आर एम आर ए प्रयोगशाला ठाणे में रबड़ मिश्रणों के मूल्यांकन किये गये।</p>
<p>iii) कनाल लाइनिंग (मे. केरी, पीची केरल के साथ सहयोगी परियोजना)</p>	<p>चलाये गये प्रारंभिक प्रयोगशाला स्तर के अध्ययन आशाजनक रहे और उसी प्रकार कनाल नमूनों 18 बाहरी अध्ययन शुरू किया गया।</p>

III. स्वाभाविक रबड़ हेतु निर्यात संवर्द्धन योजना

भारत सरकार के नीति परक हस्तक्षेप एवं लगातार के अनुसंधान एवं विकास कार्यों के परिणामस्वरूप भारतीय रबड़ बागान क्षेत्र ने आकर्षक बहुमुखी वृद्धि हासिल की है। रबड़ क्षेत्र ने स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन क्षेत्र एवं उपभोग वृद्धि में महत्वपूर्ण देन दी है जो 1990 के दशकों में रबड़ कृषकों को बेहतर

भाव सुनिश्चित किया। 1996 से स्वाभाविक रबड़ के भाव दोनों देशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार घटते रहे जो 2001 तक जारी रहा।

रबड़ माल विनिर्माताओं द्वारा स्वाभाविक रबड़ के असामयिक आयात एवं वर्ष 2001-02 के दौरान स्वाभाविक रबड़ के आयात पर परिमाणपरक नियंत्रण

हटाने से, जिसके फलस्वरूप मांग पूर्ति संतुलन उलटा गया, देशी बाज़ार में भावों के गिरावट का कारण बना। स्वाभाविक रबड़ के निर्यात को प्रोत्साहित करने की योजना रूपायित करने का प्रयास शुरू किया गया तथा जिसे भारत सरकार ने 2001-02 में 9.20 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से इसे अनुमोदित कर दिया। योजना में स्वाभाविक रबड़ के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु कई उपाय लक्षित हैं तथा स्वाभाविक रबड़ के निर्यातकों को 2000 मेट्रिक टण स्वाभाविक रबड़ के निर्यात हेतु ब्लोक रबड़ सान्द्रिकृत लाटेक्स एवं रिब्ड स्मोकड शीट (आर एस एस) के गुणता प्रमाणन, पैकेजिंग एवं परिवहन के लिए क्रमशः 5 रु. प्रति कि.ग्रा, 4.50 रु. प्रति कि.ग्रा तथा 3.50 रु. प्रति कि.ग्रा की दर पर वित्तीय सहायता देने की योजना भी है। फरवरी 2002 में केरला स्टेट कॉ ऑपरेटिव रबड़ मार्केटिंग फेडरेशन (रबड़ मार्क) को भी इस क्षेत्र में लाते हुए भारत सरकार एवं केरल सरकार के बीच हिस्से में 17.40 करोड़ रुपये के नये परिव्यय से इसे परिशोधित किया गया। बोर्ड द्वारा किये गए संगठित प्रयास के परिणामस्वरूप 2001-02 तक विश्व स्वाभाविक रबड़ बाज़ार में एकदम अनजान भारतीय स्वाभाविक रबड़ सख्त प्रतियोगितावाले विश्व बाज़ार में ताक दिया गया। बोर्ड ने 150 स्वाभाविक रबड़ निर्यातकों को आर सी एम सी (पंजीकरण सह-सदस्यता) जारी किया।

पिछले 4 वर्षों के स्वाभाविक रबड़ के निर्यात की प्रगति नीचे में दी गयी है:-

10वीं योजना अवधि के दौरान एक चालू योजना के रूप में इसे कार्यान्वित करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ था फिर भी योजना के अधीन स्वाभाविक रबड़ के निर्यात के लिए निर्धारित 1.02 लाख टण का निर्यात योजना अवधि के प्रथम दो सालों में ही हासिल कर दिया था 10वीं योजना अवधि के दौरान योजना के लिए आबंटित कुल परिव्यय 36.50 करोड़ रुपये था। जो भारी निर्यात के कारण प्रथम दो सालों में ही समाप्त हो गया। सरकार ने योजना की पुनरीक्षा की तथा वित्तीय प्रोत्साहन पिछले वर्षों के विद्यमान दरों से घटाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया तथा व्यक्त किया गया कि वर्ष 2004-05 के 50,000 टण स्वाभाविक रबड़ के निर्यात के लक्ष्य में 34,000 मेट्रिक टण तक के निर्यात के लिए ही सहायता उपलब्ध होगी। यहाँ यह सूचित करना समीचीन है कि निर्यात प्रोत्साहन राशि में कटौती के कारण स्वाभाविक रबड़ के निर्यात गति धीमी हो गयी तथा वर्ष 2004-05 के दौरान 50,000 टण के निर्यात के लक्ष्य के विरुद्ध 46169 टण का निर्यात किया गया। इस निर्यात के द्वारा देश ने 225.45 करोड़ रुपये के समतुल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

वर्ष	निर्यातित स्वाभाविक रबड़ (मे.टण)	विदेशी मुद्रा प्राप्त (दशलक्ष अमरीकी डॉलर)
2001-02	6995	3.490
2002-03	55311	37.965
2003-04	75905	76.235
2004-05	46169	50.100

स्वाभाविक रबड़ के निर्यात के प्रोत्साहन के कारण हुई मुख्य उपलब्धियाँ हैं:-

- ▶ स्वाभाविक रबड़ की गुणवत्ता एवं पैकेजिंग सुधार के फलस्वरूप विदेशी खरीदारों द्वारा भारतीय स्वाभाविक रबड़ की विस्तृत स्वीकृति।
- ▶ वर्ष 2004-05 के दौरान निर्यातित स्वाभाविक रबड़ के पूरे परिमाण का रबड़ बोर्ड ने निरीक्षण किया तथा गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी किये।
- ▶ भारतीय स्वाभाविक रबड़ के अधिक मूल्य वर्द्धित रूपों का निर्यात किया - स्वाभाविक रबड़ के मूल्य वर्द्धित रूपों का हिस्सा वर्ष 2002-03 के 20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 48 प्रतिशत हो गया।

स्वाभाविक रबड़ के मूल्य वर्द्धित रूपों के विवरण नीचे में दिये गये हैं:-

स्वाभाविक रबड़ का मूल्य वर्द्धित रूप	2002-03		2003-04		2004-05	
	मे.टण में	प्रतिशत में	मे.टण में	प्रतिशत में	मे.टण में	प्रतिशत में
ब्लॉक रबड़	4635	88.38	19804	26.09	11556	25.03
अपकेंद्रित लाटेक्स	6925	12.52	17124	22.56	10494	22.73
आर एस एस	43751	79.10	38977	51.35	24119	52.24
कुल निर्यातित स्वाभाविक रबड़	55311 मे.टण		75905 मे.टण		46169 मे.टण	

वर्ष के दौरान विभाग की मुख्य घटनाएं ये रही:-

- 1) जर्मनी में अक्टूबर 2004 के दौरान आयोजित 'के -2004' अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बोर्ड ने

प्रतिभागिता की तथा प्रदर्शनी में प्राप्त पूछताछ हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की।

- 2) मुंबई में फरवरी 2005 में आयोजित "एक्स्पो 2004" प्रदर्शनी के दौरान बोर्ड ने खरीदार-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
- 3) प्रभाग ने विदेशी खरीदारों संबंधी बाज़ार सूचना स्वाभाविक रबड़ निर्यातकों को देने तथा बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु विदेशी खरीदारों से प्राप्त मत वापस प्रदत्त करना जारी रखा।
- 4) कुलालपुर में द्वितीय इन्टरनाशनल ग्लाउस काँफ्रेंस तथा स्वाभाविक रबड़ प्रोटीन एलर्जी पर ए एन आर पी सी द्वारा आयोजित कार्यकारी समूह की प्रथम सम्मेलन में प्रतिभागिता की। स्वाभाविक रबड़ प्रोटीन एलर्जी पर वर्किंग ग्रुप

के सदस्य के रूप में तकनीकी परामर्श प्रभाग के एक रबड़ प्रौद्योगिकी विद् को नामांकित किया।



भाग - VIII

वित्त एवं लेखा विभाग

लेखा प्रणाली का रूपायन एवं प्रचालन, बजट तैयार करना, वित्तीय प्राक्कलन एवं रिपोर्ट, बजट नियंत्रण का पालन, प्रभावी निधि प्रबंधन, प्रणालियों व प्रक्रियाओं की स्थापना एवं रख रखाव, आन्तरिक लेखा परीक्षा की निगरानी एवं संवैधानिक लेखा परीक्षा, वित्तीय उपयुक्तता एवं कारोबार की नियमितता पर सलाह देना, कंप्यूटर प्रयोगों का निरीक्षण, लागत नियंत्रण की निगरानी, परियोजनाओं/योजनाओं का मूल्यांकन, कर संबंधी कार्य आदि वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख कार्य हैं। वर्ष के दौरान विभाग ने निम्न लिखित कार्य किये।

1. वार्षिक बजट, निष्पादन बजट, विदेशी यात्रा बजट आदि की तैयारी।
2. 'शून्य' आधारित बजटिंग के अधीन बजट की पुनरीक्षा एवं परिशोधन और बजट नियंत्रण का पालन।
3. बोर्ड के लेखाओं का रख-रखाव, वार्षिक लेखा व तुलन पत्र की तैयारी, महालेखाकार, केरल द्वारा लेखा परीक्षा के लिये लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा किये गये लेखे रबड़ बोर्ड/मंत्रालय/संसद को प्रस्तुत करना।
4. समय समय पर भारत सरकार को अनुदान की मांग प्रस्तुत करना, भारत सरकार से निधि स्वीकार करना तथा इसकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करना।
5. वित्तीय औचित्य एवं विनियमन की नियमितता पर सलाह देना और भुगतान नियमित करना।
6. प्राकृतिक रबड़ के मूल्य निर्धारण करने में और उत्पादन लागत निश्चित रूप से जानने में वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा को सहायता देना।
7. परियोजना रिपोर्ट एवं योजनाओं के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी।
8. बोर्ड के कार्यकलापों से संबंधित केन्द्रीय आयकर, कृषि आयकर एवं बिक्री कर मामलों का कार्य निष्पादन।
9. रबड़ बोर्ड एवं रबड़ उत्पादक संघों द्वारा संयुक्त रूप से अभिवर्द्धित कंपनियों के कार्यकलापों का समन्वय करना।
10. वित्तीय लेखे, वेतन रोल आदि के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत डाटा प्रोससिंग।
11. समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य हकदारों का संवितरण।
12. पेंशन निधि एवं सामान्य भविष्य निधि का प्रबंधन तथा उससे संवितरण का नियमन।
13. कंप्यूटरीकरण एवं बोर्ड के सभी विभागों से नेट संपर्क स्थापित करने की योजना का कार्यान्वयन।

वार्षिक लेखे 2004-05

वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखे निर्धारित समय पर महालेखाकार, केरल को सौंपे गये। महालेखाकार केरल से प्राप्त 2003-04 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित लेखाओं व

प्रमाणपत्र संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने हेतु सरकार को प्रस्तुत किया।

2004-05 का संशोधित प्राक्कलन और 2005-06 का बजट प्राक्कलन

2004-05 के लिये संशोधित बजट और 2005-06 के लिये बजट प्राक्कलन समय पर तैयार किये तथा सरकार को प्रस्तुत किये। 2004-05 के लिये 91.50 करोड़ रु. के प्लान एवं 18.44 करोड़ रु. नोन-प्लान दोनों को मिलाकर अनुमोदित बजट 109.94 करोड़ रु. था जिसके बदले वर्ष का वास्तविक खर्च 109.04 करोड़ रु. था (90.68 करोड़ रु. प्लान एवं 18.36 करोड़ रु. गैर प्लान)। वर्ष 2005-06 के लिये अनुमोदित बजट 114.43 करोड़ रु. है जिसमें 96.60 करोड़ रुपये योजना (95.00 करोड़ रुपये बजट समर्थन एवं 1.60 करोड़ रुपये आई ई बी आर) एवं 17.83 करोड़ रुपये गैर योजना (बजट समर्थन 12.00 करोड़ तथा 5.83 करोड़ रुपये आई एवं ई बी आर) के सम्मिलित हैं।

निधियों का प्रबंधन

सामान्य निधि

वर्ष 2004-05 के दौरान बजट समर्थन के रूप में सरकार से 100.00 करोड़ रु. प्राप्त हुए। आंतरिक संसाधन लगभग 9.20 करोड़ रु. था। वर्ष का कुल व्यय 109.04 करोड़ रु. था।

सामान्य भविष्य निधि/पेंशन निधि

2005 मार्च 31 को सामान्य भविष्य निधि में 25.91 करोड़ रु. और पेंशन निधि में 17.58 करोड़ रु. बाकी थे। अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए निधियों के संचय का निवेश दीर्घावधि सेक्यूरिटी में किया है। बोर्ड 2007 अभिदाताओं के

सा.भ.नि.खातों का अनुरक्षण करता है। वर्ष के दौरान सेवा निवृत्तों की सूची में 655 व्यक्ति थे।

लागत लेखे

वित्त व लेखा विभाग की लागत लेखा इकाई ने लागत लेखा आंकड़ों के एकत्रण करने एवं विश्लेषण करने और लागत आंकड़े अद्यतन करने के कार्य जारी रखे। सरकार एवं अन्य सांविधिक निकायों एवं अभिकरणों द्वारा मांगी गई सूचनाएं समय समय पर प्रस्तुत कीं। वित्त व लेखा विभाग ने बिक्री कर एवं कृषि आय कर मामलों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया तथा उचित सलाहें दी गईं।

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग निदेशक (वित्त) के नियंत्रण में कार्यरत है। यह प्रभाग विभिन्न विभागों/प्रभागों/अनुभागों/कार्यालयों/स्थापनाओं के कार्यों व कार्य स्थितियों की जानकारी अध्यक्ष को प्रदत्त करने व नियंत्रित करने एवं उचित उपाय अपनाकर इनको ठीक करने का प्रमुख उपकरण है। प्रभाग विभिन्न विभागों को अपने उत्तरदायित्वों को प्रभावी रूप से पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु केरल के महा लेखाकार कार्यालय के लेखापरीक्षा विभाग एवं बोर्ड के बीच संपर्क कार्य भी प्रभाग करता है।

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग के मुख्य कार्य बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों/स्थापनाओं का निरीक्षण/लेखा परीक्षा चलाना, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों/आमेलन मामलों तथा अन्य संदर्भित विभिन्न मामलों का सत्यापन और अध्यक्ष के निदेशों के अनुसार विशेष लेखा-परीक्षाएं चलाना आदि है। रिपोर्ट अवधि के दौरान बोर्ड के 52 कार्यालयों/संस्थापनाओं में आन्तरिक लेखा परीक्षा के निरीक्षण चलाये गये। पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ आदि संबंधी करीब 300 फाइलों का सत्यापन

किया तथा निर्यात प्रोत्साहन देने हेतु 75 मामलों में पूर्व लेखा-परीक्षा भी की।

वर्ष 2003-04 के लिए बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) केरल द्वारा जुलाई से अगस्त 2004 तक किया गया। जिसमें 18 लेखा परीक्षा पैरा थे तथा लेखापरीक्षा पूछताछ हेतु उत्तर तैयार किये तथा प्रस्तुत किए।

इलक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग

वित्त एवं लेखा विभाग के अधीन कार्यरत

इलक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग प्रभाग कंप्यूटरीकृत कार्यों तथा उसके प्रयोग की देख-रेख करता है। प्रभाग ने वेतन सूचियों की तैयारी की वित्तीय लेखाकरण, सामान्य भविष्य निधि खाते पेंशन भोगियों के खातों का अनुरक्षण तथा बजट की तैयारी और नामांकन सूची आदि संबंधी कार्य किये। बोर्ड की इार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं के प्रापण व अनुरक्षण के कार्य प्रभाग करता है।



भाग - IX

अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार भारत में उत्पादित सारे रबड़ का उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण एवं संग्रह करने का अधिकार रबड़ बोर्ड को है। एकत्रण लागत घटाकर भारत की समेकित निधि में इस प्रकार एकत्रित उपकर का जमा किया जाता है। रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 14 के अधीन रबड़ के सभी लेनदेन बोर्ड से जारी अनुज्ञापत्र के अधीन नियंत्रित किये जाते हैं। हर अनुज्ञापत्र द्वारा किये गये कारोबार किये रबड़ के परिमाण की घोषणा आवधिक विवरणियों के द्वारा बोर्ड को करनी है। रबड़ के अन्तरराज्यीय परिवहन रबड़ नियम 1955 के नियम 43 के अधीन विहित प्रपत्र 'एन' में घोषणा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रबड़ व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं एवं रबड़ माल विनिर्माताओं द्वारा अर्जित रबड़, बेचे गए रबड़ एवं स्टॉक में रखे गये रबड़ के संबंध में अनुरक्षित लेखा बहियों की सत्यता के सत्यापन हेतु सामयिक निरीक्षण चलाये जाते हैं। इन कार्यों की निगरानी एवं निष्पादन बोर्ड के अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा किये जाते हैं जिसमें अनुज्ञापन प्रभाग, उत्पाद शुल्क प्रभाग एवं बाज़ार आसूचना प्रभाग सम्मिलित हैं। इन प्रभागों द्वारा किये गये का संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गये हैं:-

1 उत्पाद शुल्क प्रभाग

रबड़ के अर्जन हेतु विनिर्माताओं को अनुज्ञापत्र जारी करना, रबड़ के उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण, उसके एकत्रण तथा भारत की समेकित निधि में जमा करना आदि उत्पाद शुल्क प्रभाग द्वारा किये गये मुख्य कार्य हैं।

अनुज्ञापत्र जारी करना एवं नवीकरण करना

अनुज्ञापत्र जारी करने के कार्य में प्रत्याशित विनिर्माता यूनिटों को नये अनुज्ञापत्र और वर्तमान विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्र का अगले वर्ष हेतु नवीकरण आदि सम्मिलित हैं। वर्ष 2004-2005 के दौरान जारी किए अनुज्ञापत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	अनुज्ञापत्र का प्रकार	अनुज्ञापत्रों की संख्या
1.	नये अनुज्ञापत्र	286 सं.
2.	अनुज्ञापत्र का नवीकरण	4526 सं.
	वर्ष 2004-05 के दौरान जारी कुल अनुज्ञापत्र	4812 सं.

इस अवधि के दौरान अनुरोध के आधार पर 12 इकाइयों के अनुज्ञापत्र रद्द किये थे। 31.3.2005 के अंत में कुल अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की संख्या 4800 थी। प्रभाग ने रबड़ बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों रबड़ व्यापारियों एवं अन्य जनता के संदर्भ हेतु प्रभाग ने अनुज्ञापत्र विनिर्माताओं की सूची तैयार की।

3122 विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्रों का वर्ष 2005-06 के लिए वर्ष के दौरान नवीकरण किया।

प्राधिकृत पत्र का पंजीकरण

वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा उनके एजेंटों/व्यापारियों के नाम 667 प्राधिकरण पत्रों का पंजीकरण किया था।

रबड़ की खरीद हेतु प्राधिकृत पत्र

वर्ष के दौरान अग्रिम उपकर संग्रह करने के बाद प्रायोगिक परीक्षणों के लक्ष्य से रबड़ अर्जित करने के

लिए नियमित अनुज्ञापत्र के स्थान पर विशेष प्राधिकृत पत्र 5 संगठनों/संस्थाओं को जारी किये थे।

रबड़ पर उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण एवं एकत्रण

वर्ष 2003-2004 के दौरान के 8797 लाख रुपये के निर्धारण के स्थान पर वर्ष 2004-05 के रबड़ पर कुल उपकर का निर्धारण 9246 लाख रुपये रहा। रिपोर्ट अवधि के दौरान एकत्रित रबड़ पर उत्पाद शुल्क (उपकर) 9575 लाख रुपये रहा जबकि पूर्व वर्ष में यह 8504 लाख रुपये रहा। वर्ष के दौरान विनिर्माताओं से एकत्रित कुल अर्धवार्षिक विवरणियाँ (प्रपत्र 'एम') 10707 रहीं। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत संपर्क अधिकारियों तथा निरीक्षण कर्मियों ने 1713 निरीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं, जिनपर उचित कार्रवाई की थी/शुरू की।

अनुज्ञापत्र शुल्क और सेवा प्रभार के तौर पर वर्ष 2004-05 के दौरान विनिर्माताओं से 13.06/- लाख रु. संग्रहित किये थे। इसके अलावा उपकर के देरी से जमा करने के कारण दंडस्वरूप ब्याज के रूप में 5.83 लाख रु. की रकम का भी संग्रहण किया था।

2 अनुज्ञापन प्रभाग

कोची स्थित अनुज्ञापन प्रभाग के मुख्य कार्य रबड़ व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं का अनुज्ञापन तथा उनकी शाखाओं व अभिकर्ताओं का पंजीकरण, नियमों के पालन न करनेवाले व्यापारियों एवं प्रक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू करना आदि है।

व्यापारियों के अनुज्ञापन

वर्ष 2004-05 के दौरान 1101 नये व्यापारी अनुज्ञापत्र जारी किये तथा 1786 व्यापारी अनुज्ञापत्रों का नवीकरण किया। 31 मार्च 2004 के अनुसार 9842 के विरुद्ध कुल अनुज्ञापत्रित रबड़ व्यापारियों

की संख्या बढ़कर 31 मार्च 2005 को 10175 हो गयी। इसमें 9051 व्यापारी केरल के हैं।

केरल में व्यापारियों का जिलावार वितरण

क्रम सं.	जिला का नाम	व्यापारियों की संख्या
01	कोट्टयम	2206
02	कोल्लम	1349
03	पत्तनंतिट्टा	1132
04	एरणाकुलम	1112
05	तिरुवनन्तपुरम	864
06	कण्णूर	464
07	मलप्पुरम	435
08	पालक्काड	392
09	इडुक्की	391
10	आलप्पुषा	210
11	कोषिकोड	182
12	तृशूर	175
13	कासरगोड	81
14	वयनाड	58
केरल के कुल अनुज्ञापत्रित व्यापारी		9051

प्रक्रमणकर्ताओं का अनुज्ञापन

वर्ष के दौरान 10 प्रक्रमणकर्ताओं के अनुज्ञापत्र का नवीकरण किया तथा एक प्रक्रमणकर्ता के अनुज्ञापत्र को रद्द किया। 31 मार्च 2005 के अनुसार अनुज्ञापत्रित प्रक्रमणकर्ताओं की कुल संख्या 136 थी।

31 मार्च 2005 के अनुसार अनुज्ञापत्रित प्रक्रमणकर्ताओं की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुज्ञापत्रों की संख्या
1.	केरल	118
2.	तमिलनाडु	12
3.	कर्नाटक	5
4.	त्रिपुरा	1
कुल अनुज्ञापत्रित प्रक्रमणकर्ता		136

व्यापारियों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के अनुज्ञापत्रों का निलंबन एवं प्रतिसंहरण

रबड़ अधिनियम एवं नियम के उपबंधों के उल्लंघन करने पर 17 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र एवं एक प्रक्रमणकर्ता के अनुज्ञापत्र को वर्ष के दौरान निलंबित कर दिया तथा 97 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र रद्द कर दिए गए।

शाखाओं एवं अभिकरणों का पंजीकरण

वर्ष के दौरान व्यापारियों/प्रक्रमणकर्ताओं की 197 शाखाएं पंजीकृत की जिससे शाखाओं की 31.3.2005 के अनुसार कुल संख्या बढ़कर 1004 हो गयी। अनुज्ञापत्रितों के अनुरोध के आधार पर 20 शाखाओं को रद्द कर दिया।

अनुज्ञापत्रित व्यापारियों एवं विनिर्माताओं का राज्यवार वितरण

(31 मार्च 2005 के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य का नाम	विनिर्माताओं की संख्या	राज्य का नाम	व्यापारियों की संख्या
01	केरल	896	केरल	9051
02	महाराष्ट्र	542	तमिलनाडु	200
03	तमिलनाडु	483	पंजाब	143
04	पंजाब/चण्डीगढ़	472	त्रिपुरा	130
05	उत्तर प्रदेश	426	कर्नाटक	126
06	पश्चिम बंगाल	403	दिल्ली	117
07	गुजरात	374	महाराष्ट्र	92
08	हरियाना	332	पश्चिम बंगाल	75
09	कर्नाटक	199	उत्तर प्रदेश	67
10	दिल्ली	195	हरियाना	42
11	आंध्र प्रदेश	160	गुजरात	41
12	राजस्थान	111	असम	28
13	मध्य प्रदेश	61	राजस्थान	23
14	पोंडिच्चेरी	29	मेघालय	14
15	झारखंड	25	आंध्र प्रदेश	7
16	दादरा एवं नगरहवेली	15	चण्डीगढ़	4
17	छत्तीसगढ़	13	पोंडिच्चेरी	3
18	गोआ	11	नागालैंड	3
19	उड़ीसा	10	झारखंड	3
20	उत्तरांचल	9	मध्य प्रदेश	1
21	असम	9	गोआ	1
22	त्रिपुरा	9	छत्तीसगढ़	1
23	हिमाचल प्रदेश	8	आन्डमान व निकोबार	1
24	जम्मू एवं कश्मीर	5	बिहार	1
25	बिहार	3	उड़ीसा	1
अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की संख्या		4800	अनुज्ञापत्रित व्यापारियों की संख्या	10175

3. बाज़ार आसूचना प्रभाग

रबड़ पर उपकर के अपवंचन को रोकने की प्रभावी प्रणाली के रूप में बाज़ार आसूचना प्रभाग कार्यरत है। बाज़ार आसूचना प्रभाग के मुख्य कार्य हैं:

- क) रबड़ व्यापारियों के व्यापार परिसरों का निरीक्षण एवं बोर्ड को प्रस्तुत विवरणों और विवरणियों आदि की सच्चाई जांचने हेतु उनके लेखाओं व रिकॉर्डों का सत्यापन।
- ख) रबड़ व्यापार हेतु अनुज्ञापत्र एवं शाखाओं के पंजीकरण आदि के आवेदनों की असलीयत की जांच करने हेतु निरीक्षण करना।
- ग) रबड़ के झूठे एवं गैर अनुज्ञापत्रित व्यापारियों को पकड़ना तथा श्रेणीकरण में अवैध कार्य सहित रबड़ व्यापार में गलत काम को रोकने हेतु कदम उठाना।
- घ) व्यापारियों/विनिर्माताओं एवं संसाधकों द्वारा रिपोर्ट किये गये कारोबार की सच्चाई की जांच हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों की आपसी जांच।
- ङ) रबड़ पर उपकर के अपवंचन रोकने हेतु रबड़ द्वारा परिवहन की जाँच, जाँच चौकियों एवं रेल पार्सल घरों की अचानक जांच।
- च) वालयार, कावलकिणर एवं मंजेश्वरम के प्रमुख 3 जाँच चौकियों में 4-4 पदधारियों को तैनात करके रबड़ के अंतर्राज्यीय परिवहन की निकट की निगरानी सशक्त करना।

रबड़ के व्यापार करने हेतु आवेदित आवेदकों एवं व्यापार परिसर की उपयुक्तता का पता लगाने, व्यापारियों की शाखाओं के पंजीकरण एवं नये और अतिरिक्त परिसर के अनुमोदन हेतु तथा फील्ड

लाटेक्स एकत्रण हेतु विशेष प्राधिकरण जारी करने के लिए निरीक्षण भी चलाये जाते हैं।

निरीक्षण दस्ते के कार्यकलाप

केन्द्रीय निरीक्षण दस्ता मुख्यालय कोट्टयम में कार्यरत है। कोची, पालक्काड, तलिपरम्बा और मार्तण्डम में कार्यरत बाज़ार आसूचना निरीक्षकों ने रबड़ के अनियमित व्यापार को रोकने तथा जिससे उपकर संग्रहण बढ़ाने में बड़े हद तक सहायता की है। बड़ी संख्या में दोषी रबड़ व्यापारियों से मासिक विवरणियाँ एकत्रित करने में भी निरीक्षण सहायक रहे हैं।

वर्ष के दौरान बाज़ार आसूचना प्रभाग ने 1456 अनुज्ञापत्रित व्यापारियों, 116 गैर अनुज्ञापत्रित व्यापारियों, 3 अप्राधिकृत गुदामों का निरीक्षण किया तथा 310 मामलों में अनियमितताएं पायी गयीं जिनमें 1622 मेट्रिक टन कम/बेहिसाब स्टॉक अनियमित बिक्री का पता लगाया और सम्मिलित मामलों में रबड़ पर उपकर स्वरूप 20,97,760 रु. एकत्रित किये। दस्ते ने 1052 सड़क जाँचें, जाँच चौकियों/सीमा क्षेत्र का 105 अचानक निरीक्षण, रेल पार्सल घरों में 2 निरीक्षण भी चलाये। बाज़ार आसूचना दस्ते के निरीक्षणों ने गलत व्यापार करने में लगे लोगों में जागरूकता पैदा की जिसके फलस्वरूप झूठे व्यापार के रबड़ परेषण रोकने में सहायता मिली।

निरीक्षण रिपोर्टों, प्रपत्र एन घोषणाओं एवं जांच चौकियों के दैनिक विवरणों की संवीक्षा हेतु विशेष ध्यान दिया गया तथा जहाँ अनियमित प्रेषण देखे गये ऐसे मामलों पर निरीक्षण के प्रबंध करने हेतु संपर्क अधिकारियों/निरीक्षकों (बा.आ.दस्ता) को समय पर भेज दिया गया था। गंभीर अनियमितताओं का पता लग जाने के आधार पर 12 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिये तथा उपकर के रूप में 3,41,321/- रु. का संग्रहण किया गया।

जाँच चौकियाँ/रबड़ का अन्तर्राज्य परिवहन

रबड़ के अन्तर्राज्य परिवहन पर निगरानी सशक्त करने हेतु केरल के पालक्काड जिला के वालयार एवं कासरगोड जिला के बेंग्रा मंजेश्वरम और तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिला के कावलकिणर के तीन वाणिज्यक जाँच चौकियों में रबड़ परेषणों के साथ भेजे गये दस्तावेजों की नियमित जाँच की गयी।

तीन जाँच चौकियों द्वारा बरती गई निगरानी रबड़ के अवैध परिवहन का पता लगाने में सहायक रही। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वालयार, मंजेश्वरम व कावलकिणर जाँच चौकियों के अधिकारियों ने विभिन्न त्रुटियों के कारण से रबड़ के 197 परेषण रोके रखे जिन्हें वैध दस्तावेजों/संतोषजनक स्पष्टीकरण की प्रस्तुति/उपकर के जमा करने पर सीमा पार करने की अनुमति दी गयी। त्रुटियों के लिए परेषक विश्वासजनक सबूत प्रस्तुत न करने/स्पष्टीकरण न देने पर सुरक्षा जमा के रूप में उपकर के समतुल्य 9,01,359/- रु. की रकम एकत्रित की गयी। वाणिज्यक कर/पुलिस पदधारियों ने विना प्रवैध दस्तावेज/संदेहात्मक स्थिति में सीमा पार करने के लिए कोशिश किए रबड़ के परेषण रोक दिए जिनके निपटान/अंतिम निर्णय हेतु संबंधित क्षेत्र के बोर्ड की जांच चौकी के पदधारियों निरीक्षकों (बा.आ.) ने आवश्यक सभी सहायताएं प्रदान कीं। निरीक्षण दल ने रबड़ के गुप्त परिवहन का पता लगाया तथा 14,88,893 रु. एकत्रित किये।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान तीनों जांच चौकियों से प्राप्त दैनिक विवरणों के अनुसार उन चौकियाँ से होकर 2003-04 के 42,038 परेषण के स्थान पर वर्ष के दौरान 45549 परेषण पार किये थे।

2004-05 के दौरान विभिन्न श्रेणी के 16500 बुक प्रपत्र 'एन' घोषणाओं का मुद्रण किया और विभिन्न बागानों, प्रक्रमणकर्ताओं, व्यापारियों एवं विनिर्माताओं को 14374 प्रपत्र एन बुकों की आपूर्ति की। बाज़ार आसूचना प्रभाग में 64705 प्रपत्र एन घोषणाओं की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई तथा जिनमें अधिकतम की संवीक्षा की। जहाँ विसंगतियाँ देखी गयी, वहाँ संबंधित पार्टियों से स्पष्टीकरण मांगे गए और उचित कार्रवाई की।

मासिक विवरणियों की आपसी जाँच

विभिन्न व्यापारियों/विनिर्माताओं/प्रक्रमणकर्ताओं/बागानों से प्राप्त मासिक विवरणियों व प्रपत्र-एन घोषणाओं की प्रतिलिपियों की यादृच्छिक दुतरफी जांच की गई एवं 213 मामलों में विसंगतियां पायी गयीं। असंगत कारोबार के मामलों में 1,85,27,512/- रु. की वसूली वर्ष के दौरान की गयी जबकि यह वर्ष 2003-04 के दौरान 46,40,519/- रुपये थी।

इस तरह निरीक्षण दल, जाँच चौकी मशीनरी एवं आपसी जाँच आदि के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2003-04 के 1,05,26,981/- रु. के स्थान

क्र.सं.	जाँच चौकी का नाम	पार किये परेषणों की संख्या	
		2004-05	2003-04
1.	वालयार/केरल	24633	23493
2.	मंजेश्वरम/केलर	9627	9665
3.	कावलकिणर/तमिलनाडु	11289	8880
	कुल पार किये परेषण	45549	42038

पर वर्ष 2004-05 के दौरान 2,33,56,845/-रु. की रकम उपकर के स्वरूप एकत्रित की।

4. उप कार्यालय/संपर्क कार्यालय

रबड़ पर उपकर संग्रह सुधारने और विविध मंत्रालयों तथा व्यापार व उद्योग के साथ संपर्क बनाए रखने की दृष्टि से प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में – याने चेन्नै, बेंगलूर, सेकन्दराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, मुम्बई, कोलकत्ता, जलंधर और नई दिल्ली में—नौ उप कार्यालयों का बोर्ड रख रखाव करता है। रबड़ के व्यापार में अनुज्ञापत्र देने में या रबड़ माल विनिर्माताओं को रबड़ खरीदने में आवेदकों की योग्यता का निर्धारण एवं रबड़ व्यापारियों और विनिर्माताओं से रबड़ पर उपकर व विवरणियों के एकत्रण में लगे रहना आदि इन कार्यालयों

के कार्यों में सम्मिलित हैं। रबड़ माल विनिर्माताओं एवं व्यापारियों द्वारा की गयी खरीद और उनके द्वारा रखी गयी स्टोक का यादृश्चिक सत्यापन किया गया। व्यापारियों एवं विनिर्माताओं के बही खाते एवं अभिलेखों का सत्यापन भी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि उनके द्वारा प्रापण किये गये सारे रबड़ के लेखे सही रूप से दर्ज किये हैं तथा उपकर के निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया है और बोर्ड को प्रस्तुत विवरणियों में रिपोर्ट किये गये कारोबार सही एवं ठीक है। रबड़ पर उपकर राजस्व के नुकसान को रोकने हेतु रबड़ अधिनियम एवं रबड़ नियमों के उपबंधों के विरुद्ध कार्यरत गैर अनुज्ञापत्रित रबड़ व्यापार एवं रबड़ माल विनिर्माण की पहचान हेतु अचानक निरीक्षण चलाये गये।



भाग - X

सांख्यिकी एवं योजना

सामान्य सांख्यिकी

सांख्यिकी एवं योजना विभाग द्वारा अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक की अवधि के दौरान किये गए कार्यकलापों में रबड़ की पूर्ति, माँग, स्टॉक तथा मूल्य के आंकड़ों का नियमित रूप से अनुवीक्षण एवं उनकी बोर्ड एवं सरकार को प्रस्तुति सम्मिलित हैं। 24/7/04 एवं 20/11/04 को संपन्न बोर्ड की बैठकों में रबड़ की माँग एवं पूर्ति की स्थिति का सामयिक पुनरीक्षण किया गया। विभाग ने इन बैठकों में चर्चा हेतु स्वाभाविक रबड़ क्षेत्र में विद्यमान स्थिति तथा भविष्य के रुख दिखानेवाले सांख्यिकीय आंकड़ों सहित टिप्पणियों को तैयार करके प्रस्तुत किया।

रबड़ कृषकों, व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं एवं विनिर्माताओं से हर महीने एकत्रित सांविधिक विवरणियों का संकलन एवं विश्लेषण किया। छोटी रबड़ जोत क्षेत्र के संदर्भ में उत्पादन, स्टॉक आदि में अन्तर का पता लगाने के लिए छोटी जोत क्षेत्र में नमूना अध्ययन जारी रखा। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का संकलन किया गया तथा मासिक आधार पर रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात एवं स्टॉक आंके गए। “रबड़ स्टैटिस्टिकल न्यूज़” (मासिक) में प्रकाशन हेतु आवश्यक सांख्यिकीय सूचनाओं, स्वाभाविक रबड़, कृत्रिम रबड़ एवं सुधारित रबड़ के उत्पादन, उपभोग, स्टॉक, आयात/निर्यात के रुख, स्वाभाविक रबड़ का भाव तथा अन्य कई विवरणों का मासिक आधार पर संकलन किया। बोर्ड ने

“इंडियन रबड़ स्टैटिस्टिक्स भाग 27, 2004 का प्रकाशन सितंबर 2004 महीने में किया जिसमें प्रकाशन में रबड़ के अधीन क्षेत्र, स्वाभाविक, कृत्रिम एवं सुधारित रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात, भाव आदि एवं रबड़ माल विनिर्माता, व्यापारी, रबड़ के उत्पाद, श्रमिक आदि के अलावा विश्व रबड़ सांख्यिकी की विस्तृत जानकारी है।

विभाग ने सरकार एवं रबड़ उद्योग से संबद्ध विभिन्न संगठनों को संबंधित सांख्यिकीय सूचना प्रदत्त की। रबड़ के निर्यात/आयात, उत्पादन, भाव आदि एवं रबड़ उद्योग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित संसदीय प्रश्नों एवं विधान सभा प्रश्नों के उत्तर देने हेतु आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की।

वर्ष 2003-04 के दौरान देश में संसाधित रबड़ के विभिन्न वर्गों के उत्पादन, संस्थापित क्षमता आदि के निर्णय करने के लक्ष्य से सान्द्रीकृत लाटेक्स, ब्लॉक रबड़, पी एल सी के संसाधकों एवं क्रीप मिलों से उनकी वार्षिक रिपोर्टें संग्रहित की थीं। अंतिम उत्पादों के आधार पर रबड़ के उपभोग आंकने, उपभोग के अनुसार विनिर्माताओं के वर्गीकरण हेतु रबड़ माल के विनिर्माताओं से वर्ष 2003-04 की वार्षिक विवरणियाँ एकत्रित की थीं। विनिर्माताओं से एकत्रित मासिक विवरणियों से स्वाभाविक रबड़, कृत्रिम रबड़, सुधारित रबड़ आदि के राज्यवार उपभोग तैयार किये। स्वाभाविक रबड़ के विभिन्न आंकड़ों के संकलन करने के लिए बड़े कृषकों से भी वार्षिक विवरणियाँ एकत्रित कीं।

योजना

स्वाभाविक रबड़ पर वर्ष 2005-06 का वार्षिक योजना प्रस्ताव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किया। रबड़ बोर्ड की उपलब्धियाँ एवं रबड़ बागान उद्योग के निष्पादन की पुनरीक्षा पर व्यापक टिप्पणी तैयार की और वर्ष 2004-05 हेतु कार्रवाई योजना तैयार की तथा तिमाही पुनरीक्षा रिपोर्टें नियमित रूप से सरकार को प्रस्तुत कीं।

III विश्व संगठनों को सूचना का प्रदान

सांख्यिकी एवं योजना विभाग ने एसोसिएशन ऑफ नाचुरल रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ (ए एन आर पी सी), कुलालंपुर, मलेशिया एवं अंतर्राष्ट्रीय रबड़

अध्ययन ग्रुप (आई आर एस जी), लंदन जैसे विश्व संगठनों को भारत में स्वाभाविक रबड़ उद्योग के संबंध में सूचना प्रदान करना जारी रखा।

भारत सरकार की ओर से अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड ने सितंबर 2004 में चीन के कुमिंग में संपन्न आई आर आर डी बी बैठक, पापुआ न्यू गिनिया में अक्टूबर 2004 में संपन्न ए एन आर पी सी की 28वीं कार्यकारी समिति बैठक, दिसंबर 2004 में चीन में संपन्न मेड इन इंडिया शो-2004 एवं फरवरी 2005 में मलेशिया के कुलालंपुर में संपन्न ए एन आर पी सी असेंबली में प्रतिभागिता की। अध्यक्ष ने उपर्युक्त अवसर पर स्वाभाविक रबड़ की देशीय रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सांख्यिकीय सारणियाँ

सारणी - 1

स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं उपभोग
(सभी आंकड़े मेट्रिक टनों में हैं)

महीना	उत्पादन	आयात*	निर्यात	उपभोग#
अप्रैल 2004	47550	4717	1278	59020
मई "	47300	6685	2023	60695
जून "	49205	7788	1714	62640
जुलाई "	53110	7245	896	64265
अगस्त "	63590	5446	972	64210
सितंबर "	73130	7890	6471	64525
अक्तूबर "	75395	4169	10534	62455
नवंबर "	89065	4658	9879	61115
दिसंबर "	91455	3318	7317	65150
जनवरी 2005	80110	6481	992	63515
फरवरी "	38205	6546	1735	63505
मार्च "	41550	3775	2358	64310
योग	749665	68718	46169	755405

* आयात स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकत्ता

उपभोग में देशी एवं आयातित रबड़ सम्मिलित हैं।

सारणी - 2

हर महीने के अन्त के स्वाभाविक रबड़ की स्टोक
(सभी आंकड़े मेट्रिक टनों में)

महीना	कृषक, व्यापारी एवं संसाधक	विनिर्माता	योग
अप्रैल 2004	33295	46495	79790
मई "	29765	38750	68515
जून "	29230	32270	61500
जुलाई "	23130	31040	54170
अगस्त "	31335	28765	60100
सितंबर "	40490	30770	71260
अक्तूबर "	48590	29730	78320
नवंबर "	64970	35305	100275
दिसंबर "	79066	43804	122870
जनवरी 2005	88365	53615	141980
फरवरी "	67260	55040	122300
मार्च "	55095	51105	106200

सारणी - 3

कृत्रिम रबड़ के उत्पादन, आयात एवं उपभोग
(सभी आंकड़े मेट्रिक टणों में हैं)

महीना		उत्पादन*	आयात	उपभोग
अप्रैल	2004	7865	8663	17550
मई	"	7542	8673	18745
जून	"	7922	8516	19190
जुलाई	"	8035	9814	18690
अगस्त	"	7888	9784	18260
सितंबर	"	7638	10112	18440
अक्तूबर	"	7403	10747	19195
नवंबर	"	7875	10059	19060
दिसंबर	"	8208	9917	19075
जनवरी	2005	7566	10333	19090
फरवरी	"	7542	7453	18575
मार्च	"	9025	9024	18780
योग		94209	113095	224650

* अस्थायी आंकड़े

सारणी - 4

संसाधित रबड़ के उत्पादन एवं उपभोग
(सभी आंकड़े मेट्रिक टनों में हैं)

महीना	उत्पादन*	उपभोग
अप्रैल 2004	6150	6095
मई ”	5965	5905
जून ”	6055	6015
जुलाई ”	5980	5955
अगस्त ”	6025	5985
सितंबर ”	6070	6040
अक्तूबर ”	6590	6385
नवंबर ”	6305	6310
दिसंबर ”	6005	6155
जनवरी 2005	6085	6185
फरवरी ”	5640	5750
मार्च ”	6190	6125
योग	73060	72905

*विनिर्माताओं द्वारा देशी खरीद

सारणी - 5

भारत में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव
(रु./क्विन्टल)

महीना	आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	आई एस एन आर-5	आई एस एन आर-10	आई एस एन आर-20	आई एस एन आर-50
अप्रैल 2004	6163	6063	5963	5779	5673	5996	5896	5616	5511
मई ”	6232	6132	6032	5855	5749	6070	5970	5605	5508
जून ”	6678	6578	6478	6343	6113	6369	6269	5793	5699
जुलाई ”	6911	6811	6711	6560	6271	6739	6639	5832	5744
अगस्त ”	5982	5882	5782	5572	5358	5844	5744	5064	4956
सितंबर ”	5592	5492	5392	5163	4976	5504	5404	4870	4715
अक्तूबर ”	5616	5516	5416	5277	5101	5578	5478	5145	4958
नवंबर ”	5571	5471	5371	5207	5043	5542	5442	5093	4942
दिसंबर ”	5519	5419	5319	5188	4995	5469	5369	5010	4838
जनवरी 2005	5668	5568	5468	5311	5152	5624	5524	5170	5010
फरवरी ”	5524	5424	5324	5149	5008	5496	5396	5063	4896
मार्च	5795	5695	5595	5447	5338	5728	5628	5351	5128
वार्षिक औसत	5938	5838	5738	5571	5398	5830	5730	5301	5159

सारणी - 6

अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव
(रु./क्विन्टल)

महीना	बैंकोक					कुलालंपुर		
	आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	एस एम आर-5	एस एम आर-10	एस एम आर-20
अप्रैल 2004	6102	6035	5973	5940	5890	5772	5702	5678
मई "	6421	6352	6289	6255	6203	5935	5763	5739
जून "	6365	6298	6237	6203	6153	5908	5580	5556
जुलाई "	6058	5991	5929	5895	5844	5698	5429	5405
अगस्त "	5900	5833	5772	5738	5688	5572	5450	5425
सितंबर "	5838	5771	5710	5677	5627	5630	5411	5386
अक्तूबर "	5928	5861	5800	5767	5717	6059	5675	5650
नवंबर "	5744	5671	5615	5582	5532	6088	5611	5587
दिसंबर "	5377	5311	5248	5214	5164	5409	5240	5217
जनवरी 2005	5310	5242	5180	5146	5095	5383	5285	5262
फरवरी "	5655	5587	5524	5490	5439	5639	5545	5522
मार्च "	5865	5797	5734	5701	5650	5649	5475	5452
वार्षिक औसत	5880	5812	5751	5717	5667	5729	5514	5490

31.03.2005 के अनुसार रबड़ बोर्ड के सदस्यों की सूची

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. श्री एस मरिया डसलफिन, आई ए एस | अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड |
| 2. श्री एस.रामचन्द्रन,
निदेशक,
वैकुण्ठम प्लान्टेशन लि.
पी बी नं.1004, गीता विहार
2/3309, चालक्कुषी रोड,
पट्टम पालस पी.ओ.,
तिरुवनन्तपुरम - 695 004 | उपाध्यक्ष, धारा 4 की उपधारा (3) के
उपबंध(ख)के अधीन तमिलनाडु राज्य के
बड़े कृषकों के प्रतिनिधि |
| 3. श्री वयलार रवी
माननीय सांसद (राज्य सभा) | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ड) के अधीन सांसद |
| 4. श्री पी.सी.तोमस
माननीय सांसद (लोक सभा)
बी-702, न्यू एम.एस.फ्लाट्स
बी के एस मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ड) के अधीन सांसद |
| 5. श्री एल.राजगोपाल
माननीय सांसद (लोक सभा)
43-मीना बाग,
नई दिल्ली - 110 011 | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ड) के अधीन सांसद |
| 6. सरकार के सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
तमिलनाडु सरकार, चेन्नै - 9 | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ख) के अधीन तमिलनाडु सरकार के
प्रतिनिधि |
| 7. कृषि उत्पादन आयुक्त,
केरल सरकार, सचिवालय,
तिरुवनन्तपुरम - 695 001. | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ग) के अधीन केरल सरकार के प्रतिनिधि |
| 8. आयुक्त एवं सचिव
जनजाति कल्याण विभाग
(बागवानी कार्य देखनेवाला विभाग)
त्रिपुरा सरकार, अगर्तला | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(घ) के अधीन अन्य हितों के प्रतिनिधि |
| 9. श्री रघुपति सिंघानिया
प्रबंध निदेशक,
जे के इंडस्ट्रीज़ लि., लिंक हाउस,
बहादुरशाह सफर मार्ग,
नई दिल्ली - 110 002 | धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(घ) के अधीन रबड़ माल विनिर्माताओं
के प्रतिनिधि |

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10. श्री ए जेकब, एफ सी ए
प्रबंध निदेशक,
वेलिमला रबड़ कंपनी लि.
उप्पुट्टिल बिल्डिंग्स, के.के.रोड
कोट्टयम - 686 001</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ग) के अधीन केरल राज्य के बड़े कृषकों
के प्रतिनिधि</p> |
| <p>11. श्री के जेकब तोमस
प्रबंध निदेशक
मे.वाणियंपारा रबड़ कंपनी लि.
वाणक्काला बिल्डिंग्स, के.के.रोड
कोट्टयम - 686 001</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ग) के अधीन केरल राज्य के बड़े
कृषकों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>12. श्री एम डी जोसफ
मण्णिपरंबिल
कांजिरप्पल्ली - 686 507</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (ग)
के अधीन केरल राज्य के बड़े कृषकों
के प्रतिनिधि</p> |
| <p>13. श्री एट्टुमानूर राधाकृष्णन
राघवमन्दिरम
ओणमतुरुत्तु.पी.ओ - 686 602
कैप्पुषा (भाया)
एट्टुमानूर, कोट्टयम जिला</p> | <p>रबड़ अधिनियम 1947 की धारा
4 की उपधारा 3 के उपबंध (घ)
के अधीन अन्य हितों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>14. प्रो. के.के.एब्राहम,
अध्यक्ष,
इंडियन ब्लॉक रबड़ प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन
कयत्तिन्करा
मारतोमा चर्च रोड, पाला</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ)
के अधीन अन्य हितों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>15. श्री सी अनन्तकृष्णन
पुत्तन वीडु,
वीयन्नूर पी.ओ, तिरुवट्टार
नागरकोइल, कन्याकुमारी जिला</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ)
के अधीन श्रमिक हितों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>16. अधिवक्ता पी लालाजी बाबु
लाली विलास,
भारतीपुरम पी.ओ.
कोल्लम जिला, केरल</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ)
के अधीन श्रमिक हितों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>17. श्री कानम राजेन्द्रन,
कोच्चुकाला पुरयिडम,
कानम पी.ओ.,
कोट्टयम - 686 515</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ)
के अधीन श्रमिक हितों के प्रतिनिधि</p> |

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>18. श्री पी बी सत्यन
प्लावडा कोच्चुवीडु
साउथ वाषक्कुलम पोस्ट
आलुवा - 683 105</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ग) के अधीन केरल राज्य के छोटे
कृषकों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>19. श्री पी.आर.मुरलीधरन
पतालिल हाउस
एस एन पुरम पोस्ट, पाम्पाडी
कोट्टयम - 686 502</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (ग)
के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों
के प्रतिनिधि</p> |
| <p>20. प्रबंध निदेशक
प्लान्टेशन कोर्पोरेशन ऑफ केरला लि.,
कोट्टयम - 686 004</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध
(ग) के अधीन केरल सरकार के प्रतिनिधि</p> |
| <p>21. श्री तोमसकुट्टी
पारगण रबड़ इंडस्ट्रीस,
45ए, फेस-2,
पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया,
बैंगलूर - 560 058</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ)
के अधीन रबड़ माल विनिर्माताओं
के प्रतिनिधि</p> |
| <p>22. अधिवक्ता एम.एस.करुणाकरन,
बी एम एस कार्यालय
मंजमट्टतिल,
रेलवे स्टेशन के सामने
कोट्टयम</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ)
के अधीन श्रमिक हितों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>23. अधिवक्ता अशोकवनम चन्द्रसेनन
गौरीशम,
एडाईक्कोडु.पी.ओ. - 629 152
कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (घ)
के अधीन अन्य हितों के प्रतिनिधि</p> |
| <p>24. श्री जोर्जकुट्टी अगस्ती,
चीरंकुन्नेल हाउस,
इंजियानी पी.ओ, पारत्तोड
कोट्टयम - 686 512</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (ग)
के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों
के प्रतिनिधि</p> |
| <p>25. डॉ ए के कृष्णकुमार
रबड़ उत्पादन आयुक्त
रबड़ बोर्ड, कोट्टयम - 2</p> | <p>धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंध (च)
के अनुसार पदेन सदस्य</p> |

ANNUAL REPORT

2004-2005



THE RUBBER BOARD
Ministry of Commerce and Industry
Govt. of India

Contents

Part-I	INTRODUCTION	1
Part II	CONSTITUTION AND FUNCTIONS	4
Part III	RUBBER PRODUCTION	6
Part IV	ADMINISTRATION	13
	▶ Establishment	
	▶ Marketing	
	▶ Labour Welfare	
	▶ Legal	
	▶ Hindi Section	
	▶ Publicity and Public Relations	
	▶ Vigilance	
Part V	RUBBER RESEARCH	22
Part VI	PROCESSING & PRODUCT DEVELOPMENT	28
Part VII	TRAINING & TECHNICAL CONSULTANCY	31
Part VIII	FINANCE & ACCOUNTS	37
Part IX	LICENCING & EXCISE DUTY	39
Part X	STATISTICS AND PLANNING	44
	STATISTICAL TABLES	45
	LIST OF MEMBERS OF THE BOARD	48



Part - I

INTRODUCTION

The Rubber Board was constituted by the Government of India as a body corporate under the Rubber Act 1947 with the primary objective of the overall development of the rubber industry in the country. Natural rubber often referred to as nature's most versatile raw material is obtained from the latex produced by the tree "*Hevea brasiliensis*". This raw material finds its use in about 35,000 products and contributes substantially to the industrial and economic development of the country. The Board established a strong development and extension network and as a result, the rubber plantation sector achieved an impressive all-round growth in expansion of area and increase in production and productivity. Simultaneously, the Board gave thrust to research also and the Rubber Research Institute of India (RRII) was established in 1955 for carrying out research on biological and technological improvement of rubber.

The Board has been encouraging scientific planting of rubber right from its inception, and since the sixth plan period, an integrated scheme for development of rubber plantations, namely, the Rubber Plantation Development Scheme for promoting both new planting and replanting has been in operation and this is rated by the World Bank as one of the successful schemes. Besides, development and extension support is given to growers for increasing productivity, improving the quality of produce through individual as well as community efforts, facilitating formation of grass roots level organizations of growers and empowering them to ensure sustainable development through rubber cultivation.

The development of rubber plantation in non-traditional region, especially in northeastern states has also achieved significant growth where rubber development is taken up adopting an integrated approach. Special mention needs to be made about the rubber based settlement programmes for tribal shifting cultivators in the north-east and in other states such as Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala ensuring overall socio-economic development and eco-restoration.

The Board has also been adopting several measures to promote diversified as well as non-conventional uses of natural rubber by supporting rubber products manufacturing sector, extending assistance for skill upgradation and infrastructure development.

The Rubber Research Institute of India has made significant contributions by breeding and releasing the popular clone RRII 105, one of the highest yielding clones in the world. Four new clones under RRII 400 series having a potential yield of more than 2500 kg. per hectare have been released by the RRII. The RRII has also evolved agro-technologies on various cultural practices of '*Hevea*'. The Institute made remarkable contribution in improving the processing of rubber and evolving speciality rubbers, which can effectively substitute synthetic rubbers. Research on special environment protection systems to check pollution in processing factories, energy saving mechanisms for processing, rubber wood processing, ancillary income generation activities and rubber based cropping system have yielded useful results.

Performance during 2004-05

Production Sector

The production of natural rubber (NR) in the country was 749,665 tonnes during 2004-05 as against 711,650 tonnes produced in 2003-04. The growth in NR production declined to 5.3 percent during 2004-05 against the growth of 9.6 percent in 2003-04. The reason for the drop in growth is mainly due to the adverse weather condition that prevailed during the first and last quarters of the year. But, the country's average productivity increased to 1705 kg/ha during 2004-05, which is the highest in the world. The increase in productivity was the result of the implementation of the productivity enhancement schemes of the Board.

Consumption Sector

The performance of the rubber goods manufacturing sector improved significantly with the revival of the industrial sector. The rubber goods manufacturing industry in India showed a growth rate of 5.0 percent with a consumption of 755,405 tonnes during 2004-05 as against 719,600 tonnes during 2003-04 with 3.5% growth. The auto tyre-manufacturing sector improved its growth slightly from 7.1 percent in 2003-04 to 7.4 percent in 2004-05. The non-tyre sector achieved an impressive growth of 2.3 percent during the year against the negative growth of 0.3 percent of the previous year attributed the overall growth to 5.0 percent.

The production, consumption and growth rate of Natural Rubber for the year 2004 - 05 and the preceding three years are furnished below :-

Year	Production (in MT)	Growth rate	Consumption (in MT)	Growth rate
2001-02	6,31,400	0.2%	638,210	1.1%
2002-03	6,49,435	2.9%	6,95,425	9.0%
2003-04	7,11,650	9.6%	7,19,600	3.5%
2004-05	7,49,665	5.4%	7,55,405	5.0%

Import & Export of NR

As per the statistics published by the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics(DGCI&S), the imports during 2004-05 upsurges to 68,718 tonnes as against 44,199 tonnes in 2003-04 and 26,217 tonnes during 2002-03. The Govt. of India lifted the port restriction on import of NR on 6th August 2004, which had been imposed in December 2001. The reinstatement of advance licence, removal of port restriction and the domestic

price ruled above the international market price are the major factors for the upsurge in import of NR.

The quantity of NR exported by the country during 2004-05 was 46,169 tonnes as against 75,905 tonnes during 2003-04 and 55,311 tonnes during 2002-03. The decrease in the quantity of export was due to the reduction in the rate of incentive and the narrow price difference of the domestic and international market.

Price of NR

Natural rubber prices both in the domestic as well as in the international markets witnessed an upward trend during the year 2003-04 and the same trend continued throughout the year 2004-05. There was a hike in the price from April to July 2004 in tandem with the international price. NR prices in the domestic market set an all time high of Rs.67.50 kg in mid July 2004, prior to this the highest ever recorded price was in June 1995, when RSS-4 price touched Rs.65.50 per kg.

The domestic price of RSS-4 declined in August and September 2004 the period being the peak production season. The price moved marginally upward in October 2004 but gradually declined during November and December 2004. Thereafter, the prices improved in the domestic market. The annual average price of RSS-4 was Rs.55.71 per kg during 2004-05 compared to Rs.50.40 during 2003-04.

The international market also showed a steady increase up to June 2004 and then, it declined during July to September 2004. During October 2004, the price improved a little and then declined gradually till January 2005. Thereafter, the price increased during February and March 2005 in the international market. The annual average price of RSS-3 was Rs.57.51 per kg during 2004-05 against Rs.52.78 in the previous year.

The yearly average prices of RSS-4 in the domestic market for the last four years were :-

Year	Price per quintal
2001-02	Rs.3,228/-
2002-03	Rs.3,919/-
2003-04	Rs.5,040/-
2004-05	Rs.5,571/-

✧ ✧

Part - II

CONSTITUTION AND FUNCTIONS

CONSTITUTION OF THE BOARD

As per Section 4 (3) of the Rubber Act 1947, the Board shall consist of :-

- a) A Chairman to be appointed by the Central Government;
- b) Two members to represent the State of Tamilnadu, of whom one shall be a person representing the rubber producing interests;
- c) Eight members to represent the State of Kerala, six of whom shall represent the rubber producing interests, three of such six being persons representing the small growers;
- d) Ten members to be nominated by the Central Govt., of whom two shall represent the manufacturers and four labour;
- e) Three members of Parliament, of whom two shall be elected by the Lok Sabha and one by the Rajya Sabha;
- f) The Executive Director (ex-officio);
- g) The Rubber Production Commissioner (ex-officio).

The position of Executive Director has not been filled so far. List of members of the Board as on 31.3.2005 is given at the end of this report.

Functions of the Board

The functions of the Board as laid down under Section 8 of the Rubber Act 1947 are-

- (1) to promote by such measures as it thinks fit the development of the rubber industry.
- (2) the measures may provide for-
 - a) undertaking, assisting or encouraging scientific, technological and economic research;

- b) training students in improved methods of planting, cultivation, manuring and spraying;
- c) the supply of technical advice to rubber growers;
- d) improving the marketing of rubber;
- e) the collection of statistics from owners of estates, dealers and manufacturers;
- f) securing better working conditions and the provisions and improvement of amenities and incentives for workers;
- g) carrying out any other duties which may be vested in the Board under rules made under the Act.

(3) It shall also be the duty of the Board-

- a) to advise the Central Govt. on all matters relating to the development of rubber industry, including the import and export of rubber;
- b) to advise the Central Govt. with regard to participation in any international conference or scheme relating to rubber;
- c) to submit to the Central Govt. and such other authorities as may be prescribed, half yearly reports on its activities and the working of the Act;
- d) to prepare and furnish such other reports relating to the rubber industry as may be required by the Central Govt. from time to time.

Eight Committees have been constituted by the Board to review its activities vis-à-vis to monitor the progress of implementation of the functions as laid down under Section 8 of the Rubber Act. These are Executive Committee, Research & Development Committee, Market Development Committee, Planting

Committee, Statistics & Import/Export Committee, Labour Welfare Committee, Staff Affairs Committee and Committee on Rubber Development for North East.

Shri. Ettumanoor V Radhakrishnan (representing 'other interests' in the Board) was the Vice-Chairman for the period upto 19.11.2004. Shri. S Ramachandran, representative of large rubber growers in the State Constituency of Tamil Nadu was elected as the Vice-Chairman on 20.11.2004 for a period of one year.

Shri. SM Desalphine IAS continued as the Chairman of the Board during 2004-05.

ORGANISATIONAL SET UP

The activities of the Rubber Board are carried out through eight Departments viz. Rubber Production, Administration, Research, Processing & Product Development, Training & Technical Consultancy, Finance & Accounts, Licensing & Excise Duty and Statistics & Planning; headed respectively by the Rubber Production Commissioner, the Secretary, the Director (Research), the Director (P&PD), the Director (T&TC), the Director (Finance), the Director (L&ED) and the Jt. Director (S&P). During the year under report, as the post of Secretary was lying vacant, the Director (L&ED) continued to discharge the non-statutory functions of Secretary.

The Headquarters of the Board along with the Administration, Rubber Production, Finance & Accounts, Licensing & Excise Duty and Statistics & Planning Departments are located at the Board's own premises in Keezhukunnu, Kottayam-686 002. The Departments of Research, Processing &

Product Development and Training & Technical Consultancy are located at the Rubber Research Institute of India campus at Puthupally in Kottayam - 686 009.

There are nine Sub Offices under the Licensing & Excise Duty Department. The Rubber Production Department has 4 Zonal Offices, 2 Nucleus Rubber Estate & Training Centres, 42 Regional Offices, 167 Field Stations, 13 Regional Nurseries including 2 District Development Centres, one Central Nursery and 19 Tappers' Training Schools located at different rubber growing regions.

The Research Department runs two Regional Research Stations in Kerala and a Regional Station each in Tamilnadu, Karnataka, Maharashtra, Orissa, West Bengal, Assam, Mizoram, Meghalaya and Tripura. Besides, the Research Dept. also runs Pilot Block Rubber Factory and the Pilot Plant for Radiation Vulcanisation of Natural Rubber latex located at Kottayam. The Pilot Latex Processing Factory located at the Central Experiment Station at Chethackal and the Model Technically Specified Rubber (TSR) Factory established under the World Bank Assisted Rubber Project are run by the Department of Processing and Product Development.

The Chairman exercises administrative control over all the Departments and Offices of the Board. The total number of Officers and staff under the Board as on 31.3.2005 was 1977 consisting of 319 Group 'A' Officers, 613 Group 'B' Officers, 856 Group 'C' staff and 189 Group 'D' staff. Very cordial relations were maintained between the staff and the executive personnel. Their good work has resulted in taking the Board to greater heights.

The activities of the different departments are summarized in the following pages.

Part III

RUBBER PRODUCTION

The Rubber Production Department is responsible for planning, formulation and implementation of schemes for promoting rubber cultivation, production of natural rubber and improving quality of the produce. The major programmes formulated and implemented during the year are as follows.

1. Rubber Plantation Development Scheme
2. Promotion of cultivation of rubber among Scheduled castes / Scheduled tribes through Block planting & Group planting schemes
3. Advisory and Extension services to growers for scientific planting and production
4. Supply of plantation requisites for improving production and processing.
5. Scheme for upgradation of small holders' produce.
6. Promotion of group activities, self help groups etc among small holders.
7. Training of rubber tappers & growers.

Computerization

The Board has computerized the Rubber Production (RP) functions in both Head office and Regional offices through Rubber Board Information System (RBIS), which was developed by M/s ALIT, Bangalore. All the Regional Offices have started processing applications under Rubber Plantation Development Scheme through RBIS system.

I. Rubber Plantation Development (RPD) Schemes

a) RPD Scheme in Traditional area and Non-traditional area other than North East Region

The RPD scheme provides free technical support and financial assistance for undertaking replanting (RP) of old / uneconomic plantations and new planting (NP). The planting target for the year 2004-05 was 4200 ha (NP 1000 ha + RP 3200 ha.). The performance of the RPD Scheme during 2004 - 05 and 2003 - 04 are furnished below : -

Details	2004-2005	2003-2004
1. Number of applications	17302.00	14699.00
2. Area as per applications (ha)	11437.72	10112.16
3. Number of permit issued	11251.00	11396.00
4. Total permitted area (Ha)	6630.37	6909.30*
a) RP Permit Area (ha.)	3605.82	5018.70
b) NP Permit Area (ha)	3024.55	1890.60

*area as on 31-03-2005.

A total amount of Rs. 8.77 crore has been paid as financial assistance in Traditional and Non-traditional areas (other than NE) under the RPD scheme during 2004 - 05 (including spill over payment of previous year).



Making of rubber sheets

b) Insurance of Rubber plantations

Rubber plantations are insured against natural calamities. All immature plantations are compulsorily covered under the RPD scheme and mature plantations are insured on a voluntary basis up to 22 years of age. Insurance of immature plantations outside the RPD scheme is optional to the growers. The details of plantations insured, and compensation paid are furnished below :-

Details	Achievement during 2004-05	Cumulative Total upto 31-03-2005
Immature area insured(ha)	641.41	101487.92
No of holdings	1187	152136
Mature area insured(ha)	97.95	12887.28
No. of holdings	10	6614
Compensation paid (Rs. In lakhs)	20.56	295.56
No. of beneficiaries	1125	8054

c) Planting material generation (Traditional area)

With the twin objective of generating quality planting material and regulating general market price, the Board produces and distributes them to a limited extent every year. The planting materials produced are issued to the needy growers for raising source bush material or for raising plantations.

In Traditional area, the Board owns 7 nurseries with an area of 44.15 ha and the production details are furnished below:-

Item	Units produced and distributed 2003-04	Units produced and distributed 2004-05
Green budded stumps	146136	157394
Brown budded stumps	693326	514551
Total	839462	671945

d) Block plantation project for SC/ST.

This special programme is implemented jointly by the Board and the State Governments of Kerala, Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka and Tripura. The

project, which adopts an integrated approach, aims at an overall development of SC/ST categories. The concerned State Governments are financially supporting the project. The details are given below :-

State	Cumulative total as on 31-03-2004		Planting area 2004 - 05		Cumulative total as on 31-03-05	
	Area (ha)	No. of beneficiaries	Area (ha)	No. of beneficiaries	Area (ha)	No. of beneficiaries
Kerala	2063	5971	59	159	2122	6130
Karnataka	250	418	Nil	Nil	250	418
Andhra Pradesh	98	70	Nil	Nil	98	70
Orissa	225	328	Nil	Nil	225	328
Total	2636	6787	59	159	2695	6946

e) Distribution of leguminous cover crop seeds (Traditional & Other Non-traditional)

The scheme is formulated and implemented by the Extension wing, on a need basis, for providing *Pureria* and *Mucuna* seeds for establishing leguminous cover crop in the field. The physical achievements of the scheme are given below :-

Item distributed in traditional area	Stock as on 01-04-2004	Quantity purchased/ received during 2004-05	Distributed during 2004-05
	Kg	Kg	Kg
<i>Pureria</i>	334.6	86.2	365.3
<i>Mucuna</i>	68.5	359.5	387.95

f) Tappers' Training**i) Regular Tappers' Training School.**

There are 18 regular Tappers' Training Schools run by the Board at different plantation centres, for imparting training to small growers and workers in tapping.

During the year, training was imparted to 1444 beneficiaries including 235 in SC/ST category in 97 batches against 1387 beneficiaries in the previous year. An expenditure of Rs.11.33 lakh was incurred for the scheme.

ii) Short -duration intensive Tapper's Training Programmes

Apart from the conventional Tappers' Training schools, Board also conducts short-term intensive training courses in various practical aspects of scientific tapping with emphasis on improvement in tapping. During the period under report, 7959 persons were given training in 490 batches under the scheme against 6562 persons in the previous year. An expenditure of Rs. 20.57 lakh was incurred for the scheme.

g) Promotion of Rubber Producers' Societies (RPSs)

For effective transfer of technology, and for empowerment of the smallholding sector which accounts for 88% of the production of NR, Board adopts a group approach by promoting formation of voluntary organi-

zation of small farmers at village level, namely Rubber Producers Societies. RPSs are envisaged to function as the extension arm of the Board and to facilitate a meaningful devolution of extension functions to render effective service to the small growers. Efforts are also being made to revitalize the defunct RPSs by using participatory approach.

Model RPSs (technology transfer centres)

Board has established 35 RPSs, 30 in traditional area and 5 in non-traditional areas, as model RPSs, with infrastructure facilities required for functioning as centres for technology transfer and model primary processing centres. These model RPSs are functioning as training centres of growers, workers, etc. Training programmes are conducted on various subjects such as plantation management, quality sheet making and grading, bee-keeping, manuring, plant protection, tapping, etc. For the effective utilization of information technology for knowledge upgradation and sharing of information, computers have also been provided in major centres.

Scheme for granting financial assistance to RPSs to set-up infrastructure facilities for quality upgradation and effluent treatment.

The scheme is aimed at supporting RPSs to set-up crop collection centres and group processing facilities for a better raw material supply chain with the upgraded quality of NR. An amount of Rs.2,50,88,796/- was disbursed to 202 RPSs during the current year.

h) Women empowerment programme

Development officer (Women Development) in the central office and nodal officers in Regional Offices are well equipped by the department to provide logistic support to the women Empowerment

programmes (income generation as well as training activities) initiated by RPSs. The women Self-Help Groups (SHG) are supported strongly in the areas of training and marketing of their products.

i) Farmer education programme

Interpersonal Interaction

To provide technical know-how to farmers, visit to their fields are conducted by the extension officers regularly, in connection with various schemes and for advisory purposes. During such field visits, the extension officers also conduct demonstrations, if needed.

Group Interaction

Owing to the wide ratio of the extension officials and growers numbering almost about a million, the Department has been promoting a group approach to maintain contact with the planting community. Campaign programmes are being conducted every year and the topic highlighted during 2004-05 was "Strengthening of RPSs". In addition to the regular campaign, seminars and group meetings are also conducted frequently. The details of meeting conducted during the year are tabulated below :-

Type of meeting	No. of meetings	No. of Participants
Campaign meeting	2095	60023
Full day seminar	89	8576
Half day seminar	667	25020
Group meeting	1921	33081
RPS Meeting	5194	51386
Other meeting	1047	8319
Use of Audio visual equipments	656	23440

J) Sasthradarshan Programme

Under this programme, growers are brought from non-traditional and North Eastern states to the traditional rubber growing areas in Kerala and given training on various aspects of rubber cultivation. During 2004-05, 304 growers were trained in 25 batches including 4 batches organized by the Development Unit, Govt. of Tripura. The details are given below :-

State	Batch	No. of trainees
Tripura	12	136
Assam	7	96
Orissa	3	38
Goa	2	21
Andhrapradesh	1	13
Total	25	304

k) Training Programme for Technical Officers

As a part of HRD programme of the Board, 30 Extension Officers were trained in Kerala Agricultural University on "IT enabled Services in Agriculture" & "Utilization of Audio Visual Aids for effective communication with special emphasis on movie making and editing". 32 Technical Officers were trained by the Board's Training Centre on three topics viz., "Competence Enhancement", "Methodology for Research in Extension and Programme Evaluation" and "Promise to Win". In addition, one Technical Officer was deployed for training on "Agriculture Water Management" at CWRDM, Kozhikode.

l) Price Stabilization Fund (PSF)

The objective of the PSF, a Trust Fund Account under the aegis of NABARD, is to provide income support to small rubber growers when price of rubber falls below remunerative level. 18594 growers were enrolled under the scheme as on 31st March 2005.

II. Rubber Development Scheme in NE Region**a) Rubber Plantation Development Scheme**

The details of implementation of RPD scheme in North Eastern region during the year are furnished below :

Type of rubber plantation	Target area (ha)	Permits issued	Planted Area (ha)
Re-planting	30	1	2.88
New Planting	2000	2908	2084.39
Total	2030	2909	2087.27
Total Amount Disbursed	482.77 Lakh		

b) Block Planting Project

This special project is implemented jointly by the Board, and State Governments which provide the financial support for the project. The project, which adopts an integrated approach, aims at an overall development of SC/ST categories. During the year, Block plantations were developed in 202 ha with 156 beneficiaries and the cumulative block plantation area up to 31st March 2005 was 2962 ha.

c) Integrated Village Level Rubber Development

During the 10th plan, an integrated approach for rubber sector development has been adopted on a village level, which covers three components, namely :

- Revitalization of sick plantations established after 1997 and restocking of poor plantations.
- Expansion of the area adopting group approach, implementation of productivity enhancement measures for mature plantations and creating processing and marketing facilities on a group basis.
- Productivity enhancement measures.

The progress under the scheme during 2004-05 is shown below :-

Components	2003-04		2004-05	
	Area (ha)	No. of beneficiaries	Area (ha)	No. of beneficiaries
Revitalization	51.44	107	80.96	126
Restocking	100.56	135	123.98	206
Productivity Enhancement	3200.00	4310	4315.00	4996
Total	3352.00	4552	4519.94	5328

d) Demonstration of Agro Management Practices (NE Region)

Rubber being a relatively new crop in the NE Region, strong extension support is required to make the farmers adopt scientific agro management practices in their plantations. Farmer's trainings are being conducted through Nucleus Rubber Estate & Training Centres (NRETC), Rubber Research and Training Centre (RRTC) and District Development Centres (DDC). Undertaking demonstration plots are also a part of the extension support programme and the Board developed 194 Demonstration plots spending Rs. 2.07 Lakh during the year.

e) Farmer Education programme in NE region

i) Interpersonal Interaction

To disseminate technical knowhow to farmers, the extension officers visits regularly to their fields in connection with various schemes and for advisory purposes. Demonstrations are also conducted during such visits.

ii) Group Interaction

Campaigns and other mass contact

programmes are being conducted regularly to popularize the modern techniques of rubber cultivation and processing. The details of such meetings are furnished below:

Type of meeting	2004-05	
	No. of meeting	No. of Participants
Campaign meeting	167	5315
Full day seminar	4	455
Half day seminar	11	328
Group meeting	502	9812
RPS Meeting	37	805
Other meeting	4	55
Use of audio visual equipments	11	251
RRTC/DDC	46	708

f) Distribution of Estate Inputs (Including quantity of materials supplied under Integrated Village Level Rubber Development scheme)

Board distributed the following estate inputs in the NE Region :

Items distributed	No. of Beneficiaries	Quantity (MT)
Urea	5490	339
MOP		251.5
MRP		759.95
Rainguarding polythene sheet	114	1.39
RG Compound	NIL	NIL

There are 7 nurseries owned by the Board with an area of 31.2 Ha in Non-traditional area / North Eastern region. Under Quality Planting Material Generation Scheme, 5,11,298 brown budded stumps

produced by the Board's nurseries in NT/NE region during 2004-05. In addition, a scheme for distribution of Cover Crops is also formulated and implemented by the Extension wing on a need basis, for providing Pureria and Mucuna seeds for establishing leguminous cover crop in the field. 414 kgs of Pureria seeds were distributed in the NE region during the year.

g) Women empowerment programme (Educational campaign programme and farmers' meeting)

Training programmes specially formulated for empowerment and welfare of women are being implemented in the North Eastern States.

Details of the Programme	2004-05	
	No. of Beneficiaries	Financial Assistance (Rs)
Tapper's training	105	32570
Crop processing	85	11175
Health Camp	1547	66104
Apiculture	85	6475

h) Tapper's Training School (NE Region)

i) Regular Tappers' Training Programme

There are 3 Tappers' Training Schools in North Eastern region for imparting training to small growers and workers. During the current year, training was imparted to 340 beneficiaries including 258 SC/ST category in 22 batches against 331 beneficiaries in the pervious year spending a sum of Rs. 2.49 lakh as expenditure.

ii) Short Term intensive Tappers' Training Programmes (NE)

Apart from the conventional regular Tappers' Training schools, Board also conducts short-term intensive training courses in NE region. During the period under report, 1565 persons were given training in 102 batches under the scheme against 1345 persons in the previous year. An expenditure of Rs. 4.41 lakh was incurred.

i) Boundary Protection

In view of the necessity of fencing rubber plantations, schemes have been formulated for providing financial assistance to small growers for protecting boundaries of young plantations in NE Region. For protection using Bamboo, 2287 growers including 1491 under SC/ST category were benefited. A few growers also got benefited for protection of holdings using barbed wire. A sum of Rs. 25.50 Lakh was disbursed as financial assistance under the boundary protection scheme.

In addition to the above, certain other schemes to provide assistance for infrastructure facilities such as rollers, smoke houses, etc., and bee keeping are also being implemented to provide necessary supply and services, taking into consideration the backwardness of the North Eastern Region. Total financial assistance of Rs. 5.27 lakh was disbursed during the year, for the schemes.

j) Group Processing Centres

In order to improve infrastructural facilities for crop collection and processing, financial assistance was provided for setting up of group processing centres and a total amount of Rs. 105.44 Lakh was utilized for this scheme during the year.

Part - IV

ADMINISTRATION

The Administration Dept. consists of the following Sections and Divisions :

- 01 Establishment Division (Board Secretariat, Personnel, Entitlement and General Administration)
- 02 Marketing Division
- 03 Labour Welfare Section
- 04 Legal Section
- 05 Hindi Section

1. ESTABLISHMENT DIVISION

a) Personnel Administration

During the year 2004-05, four candidates from outside and five in-service candidates were appointed against direct recruitment vacancies. Selection Committees / Departmental Promotion Committees (DPC) were properly constituted for selection of personnel befitting job requirements. Periodical returns on the personnel recruited / promoted at reservation points were sent to the Government.

Of 300 employees/officers who were given promotion/higher grade, 242 were regular promotions, 44 higher grade awarded under Cadre review/ ACP scheme and 14 under Career improvement for Scientists.

b) Board Secretariat

The important functions of the Board's Secretariat Section are constitution / reconstitution of the Board and its Sub Committees, convening the meetings of the Board and its Committees, monitoring implementation of the decisions of the Board, etc.,

Meetings of the Board and its committees

The following meetings of the Board and of the Committees were held during the year:-

Board meetings

151 st meeting	-	24.07.2004
152 nd meeting	-	20.11.2004

Committee meetings

* Executive Committee	-	22.06.2004
		28.01.2005
* R&D Committee	-	22.06.2004
* Combined meeting of the Executive and Staff Affairs Committee	-	13.12.2004
		23.12.2004
* Staff Affairs Committee	-	18.11.2004
* Statistics & Import/Export Committee	-	07.06.2004
		01.11.2004
* Market Development Committee	-	07.06.2004
		30.10.2004
		18.11.2004
		19.03.2005
* Planting Committee	-	18.11.2004
* Labour Welfare Committee	-	19.03.2005
* Committee on Rubber Development for North East	-	30.08.2004
		04.02.2005
		14.02.2005

c) Entitlement

Sanction of interest bearing advances

Financial assistance to the tune of Rs.1.01 Crore was disbursed to 62 employees of the Board as House Building advance during the year 2004-05. A sum of Rs.28,71,744/- was disbursed towards other advances to 81 employees as per details given below:-

Sl. No.	Type of advance	No. of employees	Amount disbursed in Rs.
1	Car Advance	9	10,61,504
2	Motor Cycle/ Scooter Advance	44	12,82,940
3	Cycle Advance	13	19,500
4	Computer Advance	15	5,07,800
	Total	81	28,71,744

On completion of recovery/refund of House Building Advances along with interest, re-conveyance deeds were executed in 64 cases.

Retirement and grant of retirement benefits

Retirement benefits were disbursed to 66 employees in time including 11 employ-

ees through voluntary retirement during the year 2004-05. Also, family pension was granted to the families of 4 employees who died in harness. The Board has 518 pensioners and 142 family pensioners as on 31.03.2005.

In addition, the entitlement section maintains properly all service books and personal files. During the year 2004-05, service books and personal files were opened for four new appointments of the Board.

d) General Administration (GA)

The GA section deals with issue of office orders and circulars, inward and despatch of letters, stationary and other local purchase, asset and vehicle maintenance, and house keeping activities for headquarters.

I. Overall manpower strength of the Board as on 31st March 2005

The department-wise and group-wise particulars are detailed below:-

Sl. No	Name of the Department	Group "A"	Group "B"	Group "C"	Group "D"	TOTAL
1	Rubber Production	182	381	448	100	1111
2	Research	61	140	172	57	430
3	Licensing & Excise Duty	23	29	78	5	135
4	Administration	14	13	56	15	98
5	Processing & Product Development	19	17	39	4	79
6	Finance & Accounts	6	17	30	2	55
7	Training & Technical Consultancy	9	10	22	4	45
8	Statistics & Planning	5	6	11	2	24
	TOTAL	319	613	856	189	1977

Total number of Officers and staff as on 31/03/2005 was 1977.

II. Groupwise information on Female Employees and their percentages to that of total staff strength as on 31.3.2005.

Group	A	B	C	D	Grand Total
No. of female employees	76	245	357	24	702
Total groupwise staff strength	319	613	856	189	1977
% of female employees	23.82	39.97	41.70	12.70	35.51

2. MARKETING DIVISION

The main functions of the Division are collection, compilation and dissemination of prices of natural rubber (NR) in both domestic and international market during the year. The daily prices of the predominantly traded forms of NR, (i.e) RSS-4 and RSS-5 grades of sheet rubber at Kottayam and Kochi were collected, compiled and reported to the news agencies and press for publication and other agencies including the Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India. The prices of other grades of rubber were also published on daily/ weekly/ bi-weekly basis.

Similarly, the daily prices of various grades of natural rubber (NR) from Bangkok and Kuala Lumpur markets were collected, compiled and furnished to the news agencies/ press for publication and the Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India. The domestic and international prices of various grades of rubber were also updated daily and made available in the website of the Rubber Board.

The 6th revised edition of Directory of Rubber Goods Manufacturers in India brought out during the year, which contains the name and address of the manufacturers with the classification of products under each state.

In addition, the Division monitored the Import of natural rubber into the country through various seaports and compiled a consolidated report on imports of NR. The daily report on Import and Export of natural rubber prepared and submitted to Ministry of Commerce & Industry.

3. LABOUR WELFARE SECTION

Under Section 8(2)(f) of the Rubber Act 1947, the Board shall implement schemes to secure better working conditions and provisions for the improvement of amenities and incentives for the rubber plantation workers.

With a view to inculcate and generate interest among the tappers/workers of rubber plantation industry, who are indispensable for the development and promotion of rubber cultivation, the Board has implemented several welfare schemes under different sub-components for the benefit of the tappers/workers and their family members.

A sum of **Rs.168.81 lakh** was disbursed under various schemes against the budgeted target of Rs.169 lakh with the achievement of 99.88%.

Purpose and the performance of the sub-components during 2004-2005

a) Educational stipend scheme

The scheme provides financial assistance for different courses of studies including professional courses undergone by children of rubber plantation workers both in the colleges and schools. The stipend consists of lump sum grant and Hostel/Boarding fee.

b) Merit Award Scheme

The scheme is intended to encourage children of rubber plantation workers, who pass out meritoriously in their academic courses of study, by providing cash award ranging from Rs.1000/- to Rs.5000/- for various courses.

c) Housing Subsidy Scheme

The purpose of the scheme is to promote house construction among rubber plantation workers. The prime intention of the scheme is to provide financial assistance to tappers of smallholdings not covered under the Plantation Labour Act (PLA) 1951. The maximum amount of subsidy will be 25% of estimated cost of construction or Rs.7500/- whichever is less. In North-Eastern Region, houses built with mud walls, split bamboo walls and grass/leaves would be eligible for a maximum subsidy of Rs.6000.

For the houses with split bamboo walls and G I sheet roof, half mud wall with split bamboo wall with or without wooden frames and roofed with G I sheet, the maximum subsidy would be Rs.7500. The tappers/workers in the organized sector, employed in the estates measuring not less than 1 hectare, covered under PLA 1951, are also eligible for assistance under the scheme.

d) Scheme for providing sanitary facilities

The purpose of the scheme is to maintain hygienic environment among the rubber tappers of unorganized sector. This scheme assists the tappers to build latrine as per the plan and estimate prescribed by the Board. The amount of financial assistance will be either 75% of the cost of construction or Rs.3000/- whichever is less.

e) Medical Attendance Scheme

This scheme is introduced for tappers in the unorganized sector of rubber holdings. This provides reimbursement of medical expenses incurred for treatment of the tappers suffering from illness, and also compensation to the tappers in lieu of their inability to attend duty in consequence of illness. As an encouragement for the promotion of small family norms among the tappers working in the rubber small holding sector, a lump sum amount will be given to the tappers who have undergone sterilization operation.

f) Housing and sanitary subsidy scheme for SC/ST/OBC

This scheme is exclusively for SC/ST/OBC tappers who are employed in the unorganized rubber holdings sector. Assistance under the scheme is granted for construction of house with latrine to the extent of Rs.14, 000/- per applicant.

g) Group Insurance cum Deposit Scheme

This is an important social security measure introduced for the security of the workers against death and injuries caused by accidents. It is applicable to plantation workers who are not covered under the Plantation Labour Act 1951. The scheme also encourages a habit of saving among the workers. The first phase started during the financial year 1986-87 and it reached the XI phase in 2000-2001.

Each of these yearly schemes is individual schemes and will be in operation for a period of ten years. The workers enrolled in the scheme have to renew the policy every year by remitting their contribution. Phase I to VI were completed and 5 phases remained for renewal during the year. A sum of Rs.34,69,512 was disbursed to 1474 tappers towards payment on maturity under phase V in 2004-05.

A new Contributory Group Insurance Scheme was commenced during 2001-2002, which provide Insurance coverage for an amount of Rs.50,000/- exclusively for tappers in the small holdings with the beneficiary contribution of Rs.250/- and the Board's contribution of Rs.150/- per year.

This scheme provides higher compensation against accidents and promotes the habit of saving among the tappers. During the year 2004-2005, the Insurance Company has paid an amount of Rs.20,000/- against one accident death and Rs. 58,842/- against 19 accidental injuries as compensation.

Performance of the Labour Welfare schemes for the year 2004-05

Sl. No.	Name of Sub-component	Budget allocation for 2004-05 Rs. in Lakh	No. of applications received	Total no. of beneficiaries	Total Amount Disbursed Rs. in Lakh
1.	Educational stipend	45.48	12234	7484	45.48
2.	Educational Merit Award	3.00	259	220	2.89
3.	Medical Attendance	9.60	729	488	9.54
4.	Housing Subsidy	57.36	2007	765	57.36
5.	Housing / Sanitary for SC/ST	8.96	332	117	8.94
6.	Sanitary Subsidy	19.71	1858	657	19.71
7.	Group Insurance cum Deposit Scheme	11.39	8883	8883	11.39
8.	Operating Expenses	13.50			13.50
Total		169.00	26302	18614	168.81

4. LEGAL SECTION

During the year, legal documents such as MOU, agreements, lease deed, indemnity bond, etc., to be executed by the Board were drafted/prepared as and when required. Appropriate steps were taken through lawyers to safeguard the interest of the Board. 10 new cases were filed in addition to the pending cases. Besides, steps were taken to conduct arbitration cases filed against the Board. Para-wise comments and necessary instructions were given to Standing Counsels of the Board and the Central Government pleaders in cases pending in High Court and Supreme Court. The section prepared and filed replies and represented the Board in consumer disputes before Redressal Forum in various districts, during the hearing.

Necessary assistance was given to RRS Dhenkanal, RRDS Andamans, Central Experiment Station, Chethackal, RRII Farm, HBSS Nettana and Paraliar, Nurseries/farms of RP Dept. etc. in dealing with labour matters. The Section prepared draft amendments proposed by the Board to Rubber

Act/ Rubber Rules and provided necessary details of various acts and rules related to Board's employee and workers.

Necessary advice/views were given in 283 files referred to the Legal Section during the year under report. The title deeds and the documents were scrutinized for determining the eligibility under the Rules was done in the case of 37 applications for House Building Advances.

5. HINDI SECTION

The Rubber Board is a notified office under Rule 10(4) of Official Language Rules. The Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry awarded the second prize to the Board for excellence in implementation of the Official Language Policy of the Government of India during the year 2003-04.

Among the members of Kottayam Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), the Board was awarded 1st prize for implementation of the various official language schemes. The

Board also received overall trophy for securing highest points in various competitions conducted in connection with the Joint Hindi Week Celebrations of Kottayam TOLIC.

The Dy. Director (OL) and Hindi Officer attended state level Official Language Conference conducted by Hindustan Latex Ltd. at Trivandrum. Dy. Director (OL) attended the Regional OL Conference held at Bangalore and a seminar conducted by NIPA at Bangalore on questionnaire relating to visit of Parliament Committee on Official language.

The Official Language (Hindi) Section of the Rubber Board undertook the following activities during the year:-

1. Visit of Parliamentary Committee

The Drafting and Evidence Committee of Parliament on Official Language headed by Smt. Sarala Maheswari, Member of Parliament visited Kottayam. Reports on functioning and progress of implementation of the Official Language Schemes of the Govt. of India in the Rubber Board and in other member organisations of the TOLIC were prepared/collected and presented to the Committee.

2. Official Language Implementation Committee

Four meetings of the Official Language Implementation Committee of the Board were held during the year. The Agenda for the meeting were prepared in accordance with the instructions of the Department of Official Language. Quarterly progress reports on Official Language implementation were presented in the meetings for discussion and the same were forwarded to the Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India and Regional Implementation Office, Kochi.

Official Language Implementation

Committees were formed in various Sub-ordinate Offices of the Board during the year and the activities were monitored.

3. Hindi Fortnight/Hindi Day Celebration

Hindi fortnight was celebrated from 19th September 2004 to 28th September 2004 in the Head Quarters and Rubber Research Institute of the Board and Hindi day was celebrated in 30 subordinate offices of the Board. Various competitions were conducted for the employees of the Board and received good responses from employees for the competitions. Different eminent personalities in the locality attended these functions.

4. Hindi Teaching Scheme

As per the policy of the Union, Hindi teaching in 'C' region is to be completed by the year 2005. Hindi Typewriting classes were conducted at Board's Head office since no such scheme is functioning for typewriting at Kottayam. Five officials attended and passed Hindi Typewriting examinations during the year. 14 officials passed Pragya examination during the year and 16 officials passed Praveen examination of the Hindi Teaching Scheme during the year. Cash award and personal pay were awarded to those officials who passed the Hindi examinations.

5. Publication of Rubber Samachar Bi-monthly Bulletin in Hindi

The bi-monthly Hindi bulletin "Rubber Samachar" were brought out during the year. Write-ups of employees/their family members and other useful information were featured in these issues.

6. Hindi Workshop

Hindi Workshops were conducted in 25 Subordinate Offices viz. Regional Offices at Kanhangad, Sreekandapuram,

Thalassery, Thrissur, Thiruvananthapuram, Nedumangad, Punalur, Changanassery, Kozhikkode, Palakkad, Mannarkkad, Kottarakkara, Muvattupuzha, Kottayam, Pathanamthitta, Thodupuzha, Erattupetta, Pala, Kothamangalam, Ernakulam, Marthandam, Kanjirappally, Adoor and Taliparamba and Licensing Division at Kochi, CES Chethackal . A total of 470 officers/employees were imparted training in Official Language through these workshops.

Two day Hindi workshops were organised for the officials of the Rubber Board Head Office, RRII and Training Centre. 45 nos. of officials were imparted training in these workshops. A combined Hindi Workshop was organised for the officials of RO, Ernakulam and LD, Kochi. Director (OL), Department of Commerce attended the workshop as expert faculty.

7. Town Official Language Implementation Committee

Shri S.M. Desalphine, Chairman of the Board continued in the post of Chairman, Kottayam Town Official Language Implementation Committee and Smt. P.K.Santhakumari, Deputy Director (OL) continued to hold the post of Member Secretary. Two meetings of the Kottayam Town Official Language Implementation Committee were conducted during the year.

Shri. S.M. Desalphine, IAS, Chairman, Rubber Board and the Chairman of the Town Official Language Implementation Committee, presided over the meeting. Shri. P.Vijayakumar, Research Officer, Regional Implementation Office, Kochi represented the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs in the meeting. One day Hindi Workshop and Hindi Week Celebrations were conducted for the member organisations of the TOLIC and a meeting of TOLIC Core Committee was also held during the year.

8. Official Language Inspection

The Director (OL), Department of Commerce, Govt. of India inspected the official language implementation work in the Board's Regional Office, Ernakulam. The Board also arranged inspections on the progress of Official Language Implementation Schemes in 26 subordinate offices during the year.

9. General

As per Section 3(3) of the Official Language (OL) Act, the documents like office memoranda, circulars, Government orders were translated into Hindi. Proof reading of different bilingual forms, translation of forms etc. were undertaken to ensure printings of forms in bilingual. Special attention was given to send replies in Hindi for the letters received in Hindi. Necessary guidelines also provided to officers regarding implementation of OL Policy. In addition, A Hindi Library is maintained in the Hindi section of the Board and continued writing Aaj Ka Sabda at Head Office/ subordinate offices of the Board.

Annual Report, Annual Accounts of the Board were translated and rendered necessary assistance in its bilingual publication. Translated various reports/answers to questions as and when required by the Ministry of Commerce and Parliamentary Committees.

Officials were encouraged and motivated to perform their work in Hindi through incentive scheme. A total of 238 officials participated in the scheme. The Board conducted competitions in Noting and Drafting, Essay writing and Hindi Typewriting on behalf of Kendriya Hindi Sachivalaya Parishad, New Delhi. Smt.K.Mohanakumari, Assistant, RRII stood first in Noting and Drafting competition at All India Level and Smt. R. Naga lakshmy Ammal, Steno. Gr.II , Head Office stood state first in Typewriting competition.

DIVISIONS UNDER THE DIRECT CONTROL OF THE CHAIRMAN

1. Publicity and Public Relations Division

The following activities were conducted by the P&PR Division:

Publications:

12 issues of "Rubber" magazine were brought out during the year. The monthly average circulation is 17,000 copies with 6490 life subscribers. 11,000 Copies of "Rubber Grower's Companion 2005" and 1000 Nos. of "Rubber and its Cultivation" were printed and distributed.

12 issues of the 'Rubber Statistical News' and 3 issues of "Inside Rubber Board" (an in-house journal) were published during the year. The officers of the division published 24 articles in 'Agriculture Column' of Malayalam Dailies, Farm Journals and Rubber Magazine.

Press release and Advertisements:

33 Press Releases and 91 advertisements (including display and classified) were issued, on behalf of the Board.

All India Radio

Three talks/interviews of officers of the division on the 'Farm & Home programme' were recorded and broadcast through All India Radio. Deputy Director functioned as the Co-ordinator for a 12-episode programme on rubber in the All India Radio.

Seminar and Meetings

The officers of the Division participated and spoke in several seminars, meetings and other public functions connected with the activities of the Board, Rubber Producers' Societies, Inter-media Publicity Co-ordination Committee, and Public Sector Public Relations Forum.

Exhibition

The Division participated in the following exhibitions :-

- 1) Industrial Expo - 2005 at Pathanamthitta
- 2) Index - 2005 at Kottayam
- 3) UPASI Exhibition - Coonoor - 2004
- 4) Rubber Expo, Mumbai - 2005

HQ Library

The P & PR Division manages the Board's Head Quarters Library. 647 new books were added to the Library during the year and the classification and cataloging of books were in progress.

2. Vigilance Division

The Vigilance Division of the Board investigated 14 complaints against 10 officers of Group A & B status and 4 officials of Group C status during the year. The allegations comprised in these complaints ranged from failure to account the source properly for the immovable property transactions, negligent manner of driving the office vehicle under the influence of intoxicants, failure to implement the guidelines of Technical Experts, irregularities in the stock of rubberwood boards/doors, performing security duties in a negligent manner resulting in the theft of Board's property, misuse of official position for personal gains, neglect of official duties by continuously staying abroad, unauthorized absence from duties in defiance of the directions/orders of the Board, etc.

After completion of proper investigation, appropriate action was recommended / taken against the erring Board's employees wherever found necessary. 3 major penalty proceedings and 5 minor penalty action were instituted against 8 officials of the Board during the year.

Annual statements of Immoveable property as on 31.12.2004 were called for from all officers of Group A & B status.

The statements thus received were properly dealt with. The Vigilance Division also processed 113 applications relating to transactions in immovable property and 61 applications pertaining to transactions in movable property.

190 files/cases were referred to the Vigilance Division from other Divisions/Sections/Offices for comments/advice. All these files were properly dealt with and returned promptly with comments/advice thereon.

As per instructions received from the Central Vigilance Commission, the Board observed the "Vigilance Awareness Week" from 1.11.2004 to 6.11.2004. Besides administering the pledge, meetings of beneficiaries/ clients of the Board were held at Thiruvananthapuram, Kottayam, Kozhikode, Mangalore, Guwahati and Agartala. A large number of growers, dealers, manufacturers, representatives of Rubber Producers' Societies, etc. participated in the beneficiaries meetings.



Part - V

RUBBER RESEARCH

The Rubber Research Institute of India (RRII) was established in 1955 with its headquarters at Kottayam. The main research farm with the central experimental station (CES) of the Institute is located in an area of 250 ha. at Chethackel, Ranni in Pathanamthitta district, Kerala State. Moreover, there are 9 Regional Research Stations (RRSs) spread across the country in the states of Kerala, Tamilnadu, Karnataka, Maharashtra, Orissa, West Bengal, Assam, Meghalaya and Tripura. The Institute conducts research and development works in the fields of plant breeding, germplasm conservation, biotechnology, exploitation technology, agronomy and soil science, plant pathology, plant physiology, economics and rubber technology. RRII has 119 scientists and 311 supporting staff. All the research projects of the Rubber Research Institute of India (RRII) progressed well during the period. The activities of the Institute are briefly narrated below:-

The Botany division continued research activities for the development of high yielding clones. In the large-scale trial, RRII 400 series clones recommended for planting, continued to show superior yield in the second year of tapping by 32 to 57% higher than the popular clone RRII 105. Two other clones viz. RRII 402 and RRII 52 also showed superior yield. Eighty clones were identified for nursery evaluation trials. Eleven ortet clones from Mundakkayam estate and hybrid clones such as 772, 575 etc showed superior yield than RRII 105. Under the lab to land programme, 127 small growers and 5 large growers were given budwood material of RRII 400 series clones for experimental planting.

As part of the breeding programme, 4000 hand pollinations were carried out during the year. A study showed that there was no reduction in the wet weight of wood as a result of ethrel stimulation. Studies on different planting materials showed highest growth rate for plants from green buds. Young budded plants showed only comparable growth rate with that of the green budded plants.

Conservation, characterization and evaluation of germplasm were continued in the Germplasm Division. Fortyone selected accessions from the 1981 wild germplasm collections were received from the Malaysian Rubber Board through the National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi. Evaluation of the wild 1981germplasm materials in different agro-climates in the traditional rubber growing regions and in the non-traditional regions covering Maharashtra, West Bengal, Assam and Tripura was continued. The wild accessions (1981) showed more polymorphism. High resistance to abnormal leaf fall disease was observed in 95 accessions and three accessions were identified for resistance to powdery mildew disease. Rapid screening for drought tolerance was done in 200 accessions and visual scoring in 975 accessions. In Nagrakata, North Bengal, accession MT 3452 was found to be the most vigorous, while accessions MT 1072, AC 3514 and RO 2908 showed higher test tap yield.

In the Genome Laboratory, studies on development of molecular markers for biotic and abiotic stress tolerance and for cloning and characterization of agronomically important genes were continued.

Reverse transcriptase gene was identified in Hevea. A project on molecular mechanism for drought tolerance was initiated and studies on microsatellite markers were continued.

Agronomy/Soils division continued research on agro-management techniques involving intercropping and cropping system, water conservation, weed management, nutrient management etc. Nursery growth was improved significantly by application of zinc and substitution of potassium fertilizer with sodium (common salt) up to 50% of the requirement also showed better results. An exchangeable aluminum method was found to be the most suitable for calculating lime requirement. Under the studies on Geographic Information System (GIS) boundary map of one estate was digitalized. The study concluded that the southern side of hills showed comparatively higher yield with the lower growth when compared to other sides.

Rubber growing soils developed on different landforms in Kerala were evaluated for its erodability and found that about 28 per cent of the rubber growing soils are highly erodable. A total of 8926 soil and 1752 leaf samples were analysed and 3683 recommendations issued for discriminatory fertilizer application, out of which 1110 were for large estates. A total of 51187 latex samples were tested for DRC and 593 samples for volatile fatty acids.

In Biotechnology Division, studies on somatic embryogenesis were continued. Transgenic plant of the clone RRIL 105 integrated with SOD (Superoxide dismutase) gene was multiplied by bud grafting. Methods were standardized for high frequency somatic embryogenesis from leaf and ovule explants. Experiments to standardize somatic embryogenesis of the new 400 series clones are in progress. In order to charac-

terize the genes linked to Tapping Panel Dryness (TPD), two subtracted cDNA libraries were constructed and novel sequences identified.

In the field of exploitation technology, lab to land programme for extending low frequency tapping systems was continued. Success of low frequency tapping (fourth daily and weekly) with rainguarding in the Kulasekharam region, where rainguarding is not practiced traditionally, led to successful adoption of the system in two estates. In one trial, record yield of 10.3 kg dry rubber/tree was obtained in d/7 system of tapping from clone RRIL 105. Experiment on low frequency controlled upward tapping (CUT) showed good results. Under weekly CUT, groove application of ethrel was found more effective than lace application. Exploratory trial was initiated on tapping once in 10 days (d/10). Low frequency tapping was extended to more than 20,000 ha of estates. In the Latex Diagnosis Unit, tests were extended to 206 smallholdings and new field experiments initiated in Kanyakumari district, Tamilnadu.

Plant Pathology division continued research projects on plant protection covering control of disease and pests, disease weather relationship, effluent management, soil microbiology and molecular plant pathology. The experiment on evaluation of crop loss due to abnormal leaf fall disease was concluded. Crop loss is estimated at 30% in the clone RRIM 600 and 7% in the clones GT1 and RRIL 118. New crop loss study in RRIL 400 series clones was initiated. Powdery mildew disease was found to be less in clone RRIL 414. Survey on corynespora revealed that Sullia and Subramania in Karnataka are problem areas. Among the 400 series clones, RRIL 430 and RRIL 410 showed low incidence of corynespora disease. Pink disease was

more in clone RRIL 429. Studies on rubber seed oil for plant protection were continued and promising results were obtained.

The international project on *Corynespora*, coordinated by the International Rubber Research and Development Board (IRRDB), was started during the period. Investigation on Tapping Panel Dryness (TPD) was continued and started the survey on incidence of TPD in Kanyakumari District, Tamilnadu. Two promising PGPR isolates were identified to improve the growth of the cover crop *Pueraria phaseoloides*. Studies on biocontrol of bark feeding caterpillar showed good control with entomopathogenic *Bacillus thuringiensis*. Termites could be effectively controlled for one month with arrowroot extracts.

A prototype bench model high rate reactor was fabricated for treatment of sheet processing effluent. The hydraulic retention time (HRT) could be considerably reduced. A survey was carried out on problems in bee keeping and the productivity of colonies.

Agrometeorological studies showed that rubber cultivation was favorably influenced rainfall in midlands. The effect of drought on overall crop production showed that it was not evident due to increased tapping days. A regional observatory was established in Palappilly Estate in Thrissur district.

In Plant Physiology division, the physiological studies showed that free radical level significantly increased with ethylene increase in TPD affected trees. Results of RAPD analysis showed that no significant difference between monoclonal and polyclonal seedling populations. Study on photosynthetic energy acquisition in the high yielding clone RRIL 105 revealed that the clone has effective light utilization and photo protection mechanisms under favourable agro-climate. Differentially expressed cDNAs due to drought were eluted, precipi-

tated and amplified. Four wild accessions with more drought tolerance than clone RRIL 600 were identified. The genotype 34 selected for drought tolerance, from the polyclonal plants at RRS, Dapchari showed more photosynthesis.

In Rubber Technology division, the survey on quality of sheet rubber produced at different rubber growing regions was conducted and data analysis of samples testing was completed. Factory evaluation of De-proteinised Natural Rubber Latex (DNRL) prepared using Anilozyme P for the production of gloves was completed with satisfactory results except for a slightly yellowish colour. Both the powder and liquid form of Papain were found to be effective for the production of DNRL. Standardized the procedure to improve processing of skim latex in pilot plant and easy processing of the skim coagulum. Evaluation of raw rubber properties of clones belonging to the RRIL 400 series was initiated. Effect of different resins on properties of adhesives prepared using blends of neoprene and NR was assessed. NR latex nano-composites using layered silicates could reduce air permeability of the vulcanized films. Epoxidised NR was used as modifier in carbon / silica quantities of mixed filler reinforced NR and SBR and also in NBR / clay systems. Addition of small quantities of polypropylene or high density polyethylene was found to be effective in reinforcing natural rubber. Addition of recycled plastics in small proportions to NR improved the ageing resistance of vulcanizates. A phenolic resin was evaluated in silica filled NBR / ENR blend for the production of rice de-husking roller. Modification of the solar dryer was initiated to use water as a heat transfer medium for drying the sheet rubber. The project on "Flame retardant conveyor belt cover

compound" sponsored by a firm M/s. Cleanline Products Pvt. Ltd, Pune was continued and encouraging results have been obtained. Technology for the production of sprayable adhesive for footwear application and transparent rubber connector for medical application were developed.

The Economics Division continued studies on time series analysis of Global Trade and Tariff Policy of rubber and rubber products, latex timber yield of selected clones, rubberwood processing, sustainability of bee-keeping under rubber plantations in India and wage structure in the estate sector.

Activities in the North Eastern Region and in other regions:

NE Region

Four Regional Research Stations namely, Nagrakatta in West Bengal, Agartala in Tripura, Guwahati in Assam and Tura in Meghalaya in the northeast forms the North Eastern Research complex with its headquarters at Agartala. All the research projects and experiments progressed well in the NE region during the period.

In RRS, Agartala, 24 ongoing research projects were in good progress. A new project on 'Study of Nutrient in the Tapping Panel Dry Tissues of Hevea under Tripura Climatic Conditions' has been initiated. The minerological studies showed presence of a good amount of stored potassium in the soils of Tripura. But availability is low. In the clone trial, clones RR II 203, RR II 208 and PB 235 were selected for planting in Tripura. Physiological studies and exploitation studies were continued. In the biotechnology lab, protocol was standardized to isolate leaf mesophyll cell protoplasts. Around 250 wild germplasm collections were maintained.

Weekly analysis of rainfall data was carried out. In the tea intercropping experiment, yield of green tea was 2183 kg/ha.

In RRS Guwahati, 15 ongoing research projects progressed well. Clone RRIM 600 continued to show higher growth and yield compared to other clones. Yield response to fertilizer application was noticed up to the dose of $N_{60} P_{40} K_{40}$ @ 60:40:40 kg/ha/year. Application of superphosphate @ 60 kg/ha registered the highest growth in the immature phase. Yield and dry rubber content were high under fourth daily tapping with 7 stimulations and with three months of tapping rest during winter.

Sprouting success of budded stumps and growth of the young plants were higher when the slanting cut on the stump was made closer to the bud patch. Survey confirms that the occurrence of powdery mildew disease with varying degrees of severity. Clones SCATC 88/13, SCATC 93/114, Haiken 1, PB 86, PB 260, RR II 208, RR II 429, RR II 417, etc were tolerant to powdery mildew disease.

In RRS Tura, Meghalaya, the clones RRIM 600 and RR II 203 continued to show the highest growth. Yield response was the highest in the clones RRIM 600 and PB 311. A tapping experiment was initiated. Good results were obtained from fertilizer trials and intercropping of tea with rubber plantation also gave satisfactory results.

In the RRS, Nagrakatta, West Bengal, thirteen ongoing research projects and experiments progressed well. The yield performance of the clone RR II 208 was improved and the Chinese clones SCATC 88/113 and HK1 were superior in terms of yield. Other good clones are PB 311, RR II 203, RRIM 703, RRIM 605, RRIM 600 and RR II 208. Intercropping of tea with rubber continued to show good performance.

Other Regions

Research projects in the Hevea Breeding Sub Stations (HBSS), and other Regional Research Stations (RRS) also progressed well during the year.

In HBSS, Karnataka, the clone PB 235 continued to show the highest growth and clone RRIL 118 showed high growth. Clones RRIL 105, RRIL 118, PB 235 and PB 311 yielded well. Among the new clones RRIL 414 is the most vigorous one, followed by clones RRIL 429 and 430. In a large-scale clone trial, RRIL 203, PB 260 and PB 235 yielded higher than others. Six ortet clones showed good yield performance.

In HBSS, Paraliyar, hand pollination was attempted with different parental combinations. Hybrids obtained in different years were under evaluation. In the clone trials, PB 314 and IRCA 109 were yielded much superior. In block trials, PB 311 and PB 235 yielded higher. In the trial of clonal composites, the composition of RRIL 5 (15%), PB 235 (35%) and RRIL 105 (50%) continued to be the best combination. The root trainer plants continued to exhibit better growth than poly bag plants.

All the ten ongoing research projects in RRS, Padiyoor progressed well. At RRS Padiyoor in Kannur district of Kerala, irrigation resulted in good growth response and the intercropping of cashew with rubber showed promising initial results. Other field trials on clone/germplasm evaluation, genotype x environment interaction, etc progressed well.

Eight ongoing research projects in RRS, Orissa progressed well during the year. In the 1987 clone trial, clone GT1 and RRIM 600 recorded higher yield over RRIL 105. The clone RRIL 105 and RRIM 600 showed comparable yield and clone GT1 yielded much less. In the 1996 clone trial, clone RRIL 430 indicated better girth followed by RRIL

417, but RRIL 414 recorded less girth.

Ten ongoing research projects in RRS, Dapchhari (Maharashtra) progressed well. Clone RRIL 208 continued to be the best clone in terms of yield. Selections obtained from polyclonal plants were cloned. Among the wild genotypes Mattogrosso accessions showed better drought tolerance. In clone RRIL 105 combined effect of irrigation and stimulation resulted in very high yield of 2550 kg/400 trees/year under d/3 frequency of tapping.

Annual Review Meeting:

Annual review meetings for evaluation of all the ongoing research projects were held at RRIL from 09.08.2004 to 20.08.2004. Scientists presented the findings / results of the experiments in presence of external experts in the meeting from every division, which was reviewed and evaluated the progress against the plan and formulated the action plan for future research work

A review of the progress of the research component of the X Plan was done by the Research Advisory Committee headed by Dr. K.V. Peter, Vice-Chancellor, Kerala Agricultural University in June and July 2004 and a report thereon was submitted to the Government of India.

Major events/publications/training programmes during the year:

Dr. N.M. Mathew, Director (Research), Dr. K.R. Vijayakumar, Joint Director and Dr. James Jacob, Deputy Director attended the annual conference and meetings of the International Rubber Research and Development Board held at Kunming in China during 6-12 September 2004. Five research papers were presented.

Dr. N.M. Mathew, Director, attended the Plantation Crops symposium held at Colombo, Sri Lanka during July 2004 and the International Rubber Conference and Prod-

uct Exhibition held at Jakarta, Indonesia during 13-15 December 2004.

During the year, Rubber Research Institute of India conducted 18 scientific seminars in which 41 papers were presented and seven invited talks/guest lectures were also arranged. RRII imparted international level training to two technical officers from the Rubber Research Institute of Sri Lanka.

Ten scientists from RRII were deputed to various universities/institutes abroad for advanced training in different research disciplines. The first issue of the new journal

“Natural Rubber Research” Vol. 17. No.1, 2004 was published during the year. 110 research papers and four Doctorate thesis were also published.

Golden Jubilee Celebrations

The year 2005 marks the Golden Jubilee year of RRII. A National level Organizing Committee has been constituted to evolve programmes/activities to celebrate the jubilee in a befitting manner. Construction of a new Golden Jubilee laboratory building was started at the RRII campus.



Part - VI

PROCESSING AND PRODUCT DEVELOPMENT

The Department of Processing and Product Development continued to provide technical and financial support to rubber and rubberwood processing units and in particular the small holding sector for improving the quality, cost competitiveness and infrastructure for marketing through various measures. The Department mainly implementing two schemes during the Tenth Five Year plan, namely,

- * Processing Quality Upgradation and Product Diversification
- * Market Development

During 2004-05, under the scheme on Processing Quality Upgradation and Product Diversification, technical and financial support was given to Technically Specified Rubber (TSR) processors for various activities for quality improvement, cost reduction and strengthening environmental protection systems, and an amount of Rs.52.12 Lakh was given as financial assistance to 16 TSR processors for quality improvement activities. During this period, an amount of Rs.20.39 Lakh was given as financial assistance to 9 TSR processors towards cost reduction measures and an amount of Rs.7.05 Lakh was given to 4 TSR processors for environmental protection measures. Under the scheme, 5 rubberwood processors were supported with a financial assistance of Rs.20.87 Lakh for quality improvement and value addition and one unit was financed for waste utilization activity. Engineering consultancy service was provided for expansion/renovation of the block rubber factories for Pala Marketing Co-operative Society, Meenachil Co-operative Rubber Marketing Society, Kozhikode District Co-


operative Society and Agreenco.

In RPS sector, two processors engaged in processing of TSR were supported with the loans to the tune of Rs.50.7 Lakh in lieu of share capital as approved by the Government. In addition, interest subsidy also provided to three TSR processors and one rubberwood processor in the RPS sector during the year.

Board provided demonstration and training facilities in the processing, quality control and environmental protection measures to TSR processors through the Model TSR factory at Manganam and Pilot Latex Processing Plant at CES Chethackal and Model Rubberwood factory at Manganam. The Model TSR factory evaluated the performance of shredder in processing of block rubber. The factory was awarded second prize among medium scale industries for pollution control systems. The factory produced 2280 Tonnes of TSR during the year.

The rubberwood testing lab at Manganam provided the testing services to processors and consumers of rubberwood, CPWD and the Kerala Forest Research Institute. The laboratory also undertook certain research projects jointly with the Research Department. Training programmes were also organized through the rubberwood testing laboratory and the model rubberwood factory.

Under the Market Development scheme, the infrastructure for marketing of rubber through the RPS sector was strengthened by providing loans to the tune of Rs.150 Lakh to 10 units in lieu of share capital for marketing rubber in the domestic market as well as in the export market.



Rubberwood processing

Financial assistance was offered to five RPS sector companies for procurement of computers and accessories to improve the efficiency in marketing.

The Department continued its activities to promote rubberwood as an eco-friendly timber in various applications in the national and international markets through various measures. The Board also promoted rubberwood through advertisement in leading magazines and newspapers. Action was initiated to bring out a Brochure on rubberwood of international standard. The Board participated in 18 national fairs and 3 international fairs for rubberwood promotion during the period.

The work of wet-riser for the HO building of the Board was awarded to CPWD and the work is being completed. After approval of the Govt., for the Golden Jubilee Memorial Building at Rubber Research Institute of

India premises, architectural proposals were invited and received from public sector agencies like NBCC, Engineers India Ltd. and CPWD. After evaluation, the first phase of the work costing Rs.2 crore was entrusted with CPWD. CPWD started the work and it is in good progress.

The Department implemented various schemes of the Board, namely, value addition of processed rubberwood through Self Help Groups (SHGs) under RPSs, establishment of a dehumidified godown for sheet rubber to study the techno-economic feasibility, energy audit of TSR and rubberwood processors and quality improvement of block rubber through use of latex raw material.

As per the Rubber Act, the department performed activities such as quality check of imported rubber and inspection of rubber produced in the country, to assess the merit

of the processors to issue/renewal of processors licence. The Govt. of India has withdrawn the orders issued in December 2001, with regard to designating Kolkata and Vishakapatnam as the ports of entry for natural rubber (NR), in August 2004.

As a result rubber started getting imported through other ports like Chennai, Bangalore, Hyderabad, Cochin, Mumbai etc., the Board explored the possibilities of approving laboratories of National Test House, Kolkata, Naval Science & Technological Laboratory, Vishakapatnam, Madras Institute of Technology, Chennai and the laboratory of IRMRA in Bombay to expedite the quality check. The Board was successful in approving the laboratory of IRMRA for the purpose. As a result of the arrival of imported rubber in different ports, with the approval of Govt. of India, it was decided that only random check be conducted for the imported rubber. During the year, 66,198 MT of natural rubber imported were put to quality check and cleared.

To ensure quality of rubber being exported, the Department undertook quality check of rubber exported. During the year,

11940 MT of block rubber was inspected and cleared for export. Similarly, 9602 MT of latex concentrate was inspected and cleared for export. 27576 tonnes of RSS grades were also inspected for export.

Officers of the Department participated in various training programmes organized for processors, growers and exporters and in the workshop jointly organized by Rubber Board and NCDC on strengthening rubber co-operatives, World Rubber Congress, Rubber Expo and international conference, seminar on Anti Dumping organized by the Confederation of Indian Industry, Certification and Conformity Assessment by ISO and BIS.

The Hydraulic Press developed by the Department for making 111 kg RSS bundles for the world market was used for export of rubber during the year.

The Department also provided engineering consultancy service to the Rubek Balloons (P) Ltd., run by the Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation.

Seven applications received from processors were processed for issue / renewal of processors' licence.



Part - VII

TRAINING AND TECHNICAL CONSULTANCY

The Department of Training & Technical Consultancy consists of two Divisions viz. Training Division and Technical Consultancy Division. The Training Division is conducting different training programmes for the benefit of the rubber industry comprising the Rubber plantation sector, Processing and Product manufacturing sector. The Technical Consultancy Division provides technical assistance to entrepreneurs for setting up of rubber-based industry, problem solving techniques for rubber goods manufacturers and quality assessment by testing the rubber products. In addition, the department also provides technical support and guidance for exporting the different forms of natural rubber (NR).

I. TRAINING DIVISION

The Training Division imparts training on various aspects related to rubber cultivation, rubber processing and rubber products manufacturing for making available trained manpower for the overall development of the industry. The major target groups identified for training are:-

- * *Farmers*
- * *Rubber Dealers*
- * *Rubber Processors*
- * *Production Managers/ Superintendents*
- * *Rubber Products Manufacturers*
- * *Rubber Producers Societies*
- * *Employees of the Board*
- * *Women/ Academic students*
- * *Overseas participants*
- * *Rubber and Rubber Products Exporters*
- * *Rubber Marketing Co-operative Societies*
- * *Entrepreneurs from Rubber based industry*
- * *Rubber wood processors and exporters*

The Training centre aims to achieve the following objectives :-

- Update the technical and managerial competitiveness of the Rubber growers and Rubber plantation workers.
- Impart suitable training to rubber processors and rubber products manufacturers so as to achieve better quality and competitiveness.
- Update the technical and managerial, competitiveness of Rubber Producers' Societies and Rubber Marketing Co-operative Societies.
- Develop the required aptitude and managerial skills of the employees of the Board.
- Conduct the international training programmes.

During the year 2004-05, the training programmes were conducted in 97 batches and the total beneficiaries were 4790 includes 997 women and 50 SC/ST candidates. A brief profile of the beneficiaries are:-

Category	No. of participants
International Training Programmes	11
Rubber Cultivation & Plantation Management	14
Rubber Processing & Quality Control	106
Rubber Product manufacture	158
Rubber Technology Students	79
Orientation Training on Rubber Based Industry	534
Marketing Management	14
Outstation Training to Farmers	2057
General Training Programmes	145
Tappers from Tapping School	145
Employees of the Board	75
Persons on Visit - cum - training	1452
Total	4790

II. TECHNICAL CONSULTANCY DIVISION

The *Technical Consultancy Division* provides technical assistance to promote rubber goods manufacturing industry in the country. The major activities of the Division are providing technical assistance to entrepreneurs for the setting up of rubber-based industry, problem solving techniques to the existing units, quality control by testing of rubber/ rubber chemicals/rubber compounds/rubber products as per national and international standards and new product development activities. The Division also undertakes promotional activities like conducting workshops and seminars, preparation of

market survey reports, trade directories, etc for the manufacturing sector.

All these services are offered on a consultancy basis. Besides academic activities and applied R&D works are also undertaken.

With the aim of increasing the consumption of Natural Rubber in the country, the Division is engaged in the setting up of *Rubber Industrial Parks* in Kerala, Tamilnadu, and Tirpura and exploring the possibility of new application of Natural Rubber, considering the social benefits, continued through the projects such as Road Rubberisation, indigenous development of NR based Seismic Bearings and Irrigation Canal Lining.

The major assignments undertaken by the Division during 2004-05 are furnished below :-

I. TECHNICAL SUPPORT TO INDUSTRY

Activities	Status of the assignment
a Purchase of testing equipments	Purchased few items and steps were taken for other targeted items.
b NABL Accreditation	Completed the documentation work and trained all personnel concerned.
c Product Development	Developed 30 new products based on enquiries from industry / entrepreneurs such as surgical tubing, latex foam for shoe sole, pre-vulcanised latex, damper pulley compound, extruded rubber band, impeller shaft bush and rubber belt for industrial floor wiper (import substitution).
d. Quality Control/Problem solving	Received 1400 samples from the existing factories for testing of about 6500 parameters.

Activities	Status of the assignment
e. Consultancy/ Advisory services	12 Project reports/profiles prepared for setting up of rubber-based industry. Provided necessary technical advices to Development Centre/TFDPC, Tripura .
f. NR Protein allergy related works	Developed low protein latex in collaborative project with Rubber Technology Division of RRII and presented a paper on this study in the seminar conducted in "India Expo 2005"
g. Training activities/ Seminars/ Academic works	Technical Consultancy division organized and conducted the specialised training programmes. Also, participated in Workshops/seminars/ arranged by various departments towards rubber industry promotion
h. Consultancy fee collected for Testing and Advisory service	Rs.5.00 lakh

II. RUBBER INDUSTRIAL PARK PROJECTS

Activities	Status of the assignment
a) Rubber Park in Kochi, Kerala	Provided technical assistance for completion of the Project.
b) Rubber Park in Tripura	Sanction was obtained from the Ministry under the ASIDE scheme and initiated works towards implementation jointly with TIDC, Tripura.
c) Rubber Park in Nagercoil, Tamilnadu	Revised proposal presented to the Ministry for approval under ASIDE scheme

III. SCHEMES ON DIVERSIFIED USES OF NATURAL RUBBER

Activities	Status of the assignment
i) Rubberisation of roads (Collaborative project with CRRI, New Delhi)	Results of the performance evaluation of NRMB were promising and hence, the study has been continued. The project roads were constructed for studying the performance in different climatic conditions. Conducted seminars to popularize the project and a proposal forwarded to the Ministry for granting subsidy to local bodies.
ii) Seismic Bearings (Collaborative project with SERC, Chennai)	Developed indigenously NR based Seismic Bearings in collaboration with SERC, Chennai. These Bearing were tested at SERC and the results were encouraging. For conformity and reliability of the studies on the bearings, 36 nos. of reduced size isolators were fabricated and forwarded to SERC and awaiting for results. Besides these, the rubber compounds were evaluated at IRMRA Laboratory, Thane.
iii) Canal Lining (Collaborative project with M/s KERI, Peechi, Kerala)	Initial lab scale studies conducted were encouraging and thus, the outdoor studies started with the canal models.

III. EXPORT PROMOTION SCHEME FOR NATURAL RUBBER (NR)

The Indian rubber plantation sector has achieved an impressive all-round growth as a result of policy interventions of the Govt. of India and continued research and development. The rubber sector has significantly contributed to the growth of the NR production and consumption in the country, which ensure a better price to the rubber growers in 1990's. Since November 1996, the price of NR had declined steadily both in the international as well as domestic markets, which continued till 2001.

The untimely imports of NR by the rubber goods manufacturers and removal of Quantitative Restrictions on import of NR during 2001-02 upset the demand-supply balance, which resulted the price fall in the domestic market. The initiatives to formulate the export promotion scheme for NR and was approved by the Government in 2001-02 with the total outlay of Rs 9.20 crore.

The scheme envisaged a lot of measures to promote NR export and provide financial assistance to NR exporters at the rate of



Block rubber for Export

Rs 5.00 per kg, Rs 4.50 per kg, and Rs 3.50 per kg for Block Rubber, Centrifuged Latex and Ribbed Smoke Sheets respectively for quality certification, packaging and transportation for exporting 20,000 MT of Natural Rubber.

This scheme was revised in February 2002 by bringing Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation (Rubber Mark) into the scenario with a new outlay of Rs 17.40 crore to be shared by the Govt. of India and Govt. of Kerala. As a result of the concerted efforts made by the Board, the Indian natural rubber (NR), which was quite unknown to the world market until 2001-02, carved a niche in the highly competitive global NR market. The Board issued RCMC (Registration-cum-Membership) to 150 Natural Rubber exporters.

The progress of the NR export during last 4 years are furnished below:-

Year	NR Exported (MT)	Foreign Exchange Realisation (US \$ million)
2001-02	6995	3.490
2002-03	55311	37.965
2003-04	75905	76.235
2004-05	46169	50.100

Though the scheme was approved for implementation during the 10th Plan as an on-going scheme, the original target fixed under the scheme to export 1.02 lakh tonnes of NR was achieved within the first two years of the plan period. Total outlay allocated for the scheme in the 10th Plan was 36.50 crore, which was exhausted in the first two years due to heavy exports. The Govt. has reviewed the scheme and decided to reduce

the financial incentive to 50% of the prevailed rates in the previous years and specified that the assistance would be available for export upto 34,000 MT of NR during 2004-05 against the export target of 50,000 tonnes of NR. It is pertinent to mention that the reduction in export incentive has reduced the pace of export and the quantity of NR exported during 2004-05 was 46169 tonnes against the target of 50,000 tonnes. Through this export, the country has earned foreign exchange equivalent to Rs 225.45 crore.

The major achievements due to promotion of NR exports are :

► Improvement in quality and Packaging of NR leads to wide acceptance of NR from India by the foreign buyers.

► The Rubber Board inspected and issued Quality Certificates for the entire quantity of NR exported during 2004-05.

► Exported more value added forms of Indian NR - the share of value added forms of NR had gone up to 48% during 2004-05 from 20% in the year 2002-03.

The details of value-added forms of NR are furnished below :-

Value-added Form of NR	2002-03		2003-04		2004-05	
	In MT	In %	In MT	In %	In MT	In %
Block Rubber	4635	8.38	19804	26.09	11556	25.03
Centrifuged Latex	6925	12.52	17124	22.56	10494	22.73
RSS	43751	79.10	38977	51.35	24119	52.24
Total NR exported	55311 MT		75905 MT		46169 MT	

Major events during the year are :-

1. The Board had participated in the international exhibition '**K-2004**' held at Germany during October 2004 and took follow-up actions for the enquiries received in the exhibition.

2. The Board organized a Buyer-Seller Meet during the exhibition "Expo 2004" held at Mumbai in February 2005.

3. The division continued to provide

market information to NR exporters on overseas buyers and conveyed the feedback received from them for giving better services.

4. Participated in the 2nd International Gloves Conference and the first working Group on NR Protein Allergy arranged by ANRPC, Kuala Lumpur. One Rubber Technologist from TC Division nominated as a member of the working Group on NR Protein Allergy.

◆ ◆

Part - VIII

FINANCE & ACCOUNTS

The Finance & Accounts Department is concerned with designing and operating the Accounting system, preparing budget, financial statements and reports, exercising budgetary control, effective Management of Funds, establishment and maintaining systems and procedures, overseeing internal audit and arranging for Statutory audit, advising on financial propriety and regularity of transactions, supervising computer applications, overseeing cost control, evaluation of projects/schemes, handling tax matters etc. The Department undertook the following activities during the year:-

1. Preparation of Annual Budget, Performance Budget, Foreign Travel Budget etc.
2. Review and Revision of budget under Zero Based Budgeting and exercising budgetary control.
3. Maintenance of the accounts of the Board, preparation of Annual Accounts and Balance Sheet, presentation of the accounts for audit to the Accountant General, Kerala and the audited accounts to the Rubber Board/Ministry/Parliament.
4. Placing demands for grant from Govt. from time to time, receiving funds from Government and ensuring its optimum utilization.
5. Advising on financial propriety and regularity of transactions and regulating payments.
6. Assisting the Cost Accounts Branch of the Ministry of Finance in ascertaining the cost of production and in fixing price of Natural Rubber.
7. Preparation of financial statements for project reports and schemes.
8. Dealing with Central Income Tax, Agricultural Income Tax and Sales Tax matters

relating to the activities of the Board.

9. Co-ordinating the activities of the companies jointly promoted by the Rubber Board and RPSs.

10. Computerised Data Processing in the field of financial accounting, pay roll etc.

11. Disbursement of pay and other entitlements of the employees of the Board based on the orders issued by Govt. of India from time to time.

12. Management of Pension Fund and General Provident Fund and regulating disbursements there from.

13. Implementation of the Scheme of Computerisation and Networking of all departments of the Board.

Annual Accounts 2004-05

Annual Accounts for the year 2004-05 were presented to AG Kerala within the stipulated time. The Audit Report and the Audited Accounts with the certificate received from the AG Kerala for the year 2003-04 were submitted to the Govt. for placing it on the table of both houses of Parliament.

Revised Estimates 2004-05 and Budget Estimates 2005-06

The Revised Budget for 2004-05 and Budget Estimates for 2005-06 were prepared within the time frame and submitted to the Government. Budget sanctioned for the year 2004-05 was Rs.109.94 crore comprising Rs.91.50 crore under Plan and Rs.18.44 crore under Non Plan as against which the actual expenditure for the year was Rs.109.04 crore (Plan Rs.90.68 crore and Non Plan Rs.18.36 crore). The sanctioned budget for the year

2005-06 is Rs.114.43 crore comprising Rs.96.60 crore under Plan (Budgetary support of Rs.95.00 crore and IEBR of Rs.1.60 crore) under Plan and Rs.17.83 crore under Non Plan (Budgetary support - Rs.12.00 crore plus I & EBR - Rs.5.83 crore).

Management of Funds

General Fund

Fund amounting to Rs.100.00 crore was received from Government as budgetary support during the year 2004-05. The internal resources during the year were about Rs.9.20 crore. The total expenditure during the year was Rs.109.04 crore.

General Provident Fund/Pension Fund

The balance under the General Provident Fund as on 31st March 2005 was Rs.25.91 crore and that under Pension Fund Rs.17.58 crore. The accumulations in the funds are invested in long-term securities to obtain optimum returns. The Board is maintaining GPF accounts for 2007 subscribers. There were 655 pensioners on the rolls during the year.

Cost Accounts

The Cost Accounts Division of the F&A department continued to collect, analyse and update cost data. Information sought for from the Government, Statutory Bodies and other agencies were furnished as and when required. The F & A department examined various aspects relating to Sales Tax and Agricultural Income Tax and given appropriate advice.

Internal Audit Division

The Internal Audit Division functions under the control of Director (Finance). It is an important tool of the Chairman to ascertain the state of affairs and the status

of the working condition in different Departments/ Divisions/ Sections/ Offices/ Establishments and to set right the matters by taking prompt remedial measures. The division assists various departments in discharging their functions and responsibilities more effectively. The IA division also undertakes the liaison work for the audit of the Accounts of the Board by Accountant General (Audit), Kerala.

The main functions of the Internal Audit Division are inspection/audit of various offices/establishments of the Board, verification of pension and retirement benefits/absorption cases and other referred cases on various matters and conducting special audits as directed by Chairman. During the period under report Internal Audit/Inspection was conducted in 37 offices/ establishments of the Board. About 300 files relating to verification of pension, retirement benefits etc. were scrutinized including pre-audit of 75 cases for payment of Export Incentive.

For the year 2003-04, Audit of the Accounts of the Board was undertaken by Accountant General (Audit), Kerala during July to August 2004, with 18 audit paragraphs and the reply for the audit queries has been prepared and submitted.

Electronic Data Processing

The Electronic Data Processing Division, functions under the F & A Department, takes care of the computerized programmes and its application. The Division processed pay rolls and handled the financial accounting, GPF Account, Pensioners account, work relating to the preparation of Budget, Nominal Rolls etc. The Division looks after procurement and maintenance of Hardware and Software requirements of the Board.

Part - IX

LICENSING & EXCISE DUTY

The Rubber Board is vested with the responsibility of assessment and collection of duty of excise (cess) on all rubber produced in India under Section 12 of the Rubber Act 1947. The cess so levied and collected is remitted to the Consolidated Fund of India after deducting the cost of collection. All transactions in natural rubber are regulated by licences issued under Section 14 of the Rubber Act 1947. The quantity of rubber transacted by every licensee is to be declared to the Board through periodical returns. Interstate transport of rubber is regulated by a declaration in Form 'N' prescribed under Rule 43 of the Rubber Rules 1955. Periodical inspections are conducted to verify the correctness of the books of accounts maintained by the rubber dealers, processors and manufacturers of rubber products in respect of the rubber acquired, disposed and stock held by them. These functions are monitored and discharged by the Licensing & Excise Duty Department of the Board, which consists of Licensing division, Excise Duty division, and Market Intelligence division. The functions discharged by these Divisions are summarized below:

1. EXCISE DUTY DIVISION

The issuance of licence to manufacturers to acquire rubber, assessments of the duty of excise (cess) on rubber, its collection and remittance to the Consolidated Fund of India are the important functions attended to by the Excise Duty Division.

Issuance of Licence and Renewal of Licence

The main activity of the function includes the work connected with the issue of new licences to prospective manufacturing units

and renewal of the existing licence for the subsequent year.

The details of licences issued during 2004-05 are furnished below:-

Sl. No.	Type of Licence	No. of Licence
1.	Fresh (new) Licence	286
2.	Renewal Licence	4526
<i>Total No. of Licences issued in 2004-05</i>		4812

During the period, licences in respect of 12 units were cancelled on the basis of their request. The total number of licensed manufacturers as on 31.3.2005 was 4800. The division prepared the list of licensed manufacturers for reference to the various offices of the Rubber Board, Rubber Dealers and other public.

The licences in respect of 3122 manufacturers were renewed for the year 2005-06 during the year.

Registration of letter of authorization

667 letters of authorization were registered by various manufacturers in favour of their agent / dealers to purchase rubber during 2004-05.

Letter of authorization to purchase rubber

Special authorization were issued to 5 organizations / institutions during the year to acquire rubber for experimental purposes in lieu of regular licence after collecting the relevant cess in advance.

Assessment and collection of Duty of Excise (Cess) on Rubber

The total amount of cess on rubber assessed during 2004-05 was Rs.9246 lakh as against Rs.8797 lakh during 2003-04. The duty of excise (cess) on rubber collected during the period under report was 9575 lakh against Rs.8501 lakh collected during

2003-04. The total number of half yearly returns (Form 'M') collected from the manufacturers during the year was 10707. The Liaison Officers and the Inspecting Staff functioning at various parts of the country had furnished 1713 individual inspection reports, on which appropriate actions were taken/initiated.

The aggregate of licence fee and processing charges collected from the manufacturers during 2004-05 was Rs.13.06 lakh. Besides a sum of Rs.5.83 lakh was collected towards interest on belated remittance of cess.

2. LICENSING DIVISION

Licensing of rubber dealers and processors and registration of their branches and agents, initiation of punitive action against erring dealers and processors are the main functions of the Licensing division situated at Kochi.

Licensing of Processors

10 processors licence were renewed and one processors licence was suspended during the year. The total number of licensed processors as on 31st March 2005 was 136.

Statewise list of Licensed Processors

Sl. No.	Name of the State	No. of Licence
1.	Kerala	118
2.	Tamilnadu	12
3.	Karnataka	5
4.	Tripura	1
Total Licensed Processors		136

Licensing of Dealers

1101 new dealers licence were issued and 1786 dealers licenses were renewed during the year 2004-05. The total number of licensed rubber dealers was increased

to 10,175 as on 31st March 2005 as against 9842 as on 31st March 2004. Out of this, 9051 dealers are from Kerala.

District-wise distribution of dealers in Kerala

Sl.No	Name of the District	No. of Dealers
1.	Kottayam	2206
2.	Kollam	1349
3.	Pathanamthitta	1132
4.	Ernakulam	1112
5.	Thiruvananthapuram	864
6.	Kannur	464
7.	Malappuram	435
8.	Palakkad	392
9.	Idukki	391
10.	Alappuzha	210
11.	Kozhikode	182
12.	Thrissur	175
13.	Kasargod	81
14.	Wynad	58
Total Licenced dealers in Kerala		9051

Suspension / revocation /cancellation of dealers/processors licences

17 dealers' licences and one processors licence were suspended for violating provisions of Rubber Act & Rules and 97 dealers licences were also cancelled during the year.

Registration of Branches and Agencies

During the year, 197 branches of dealers / processors were registered making the total number of 1004 branches as on 31.03.2005. 20 branches were cancelled as per the requests of the licencees.

State-wise distribution of licensed manufacturers and Dealers
(as on 31st March 2005)

Sl. No.	Name of the State	No. of Manufacturers	Name of the State	No. of Dealers
1.	Kerala	896	Kerala	9051
2.	Maharastra	542	Tamilnadu	200
3.	Tamilnadu	483	Punjab	143
4.	Punjab/Chandigarh	472	Tripura	130
5.	Uttar Pradesh	426	Karnataka	126
6.	West Bengal	403	Delhi	117
7.	Gujarat	374	Maharastra	92
8.	Haryana	332	West Bengal	75
9.	Karnataka	199	Uttar Pradesh	67
10.	Delhi	195	Haryana	42
11.	Andhra Pradesh	160	Gujarat	41
12.	Rajasthan	111	Assam	28
13.	Madhya Pradesh	61	Rajasthan	23
14.	Pondicherry	29	Meghalaya	14
15.	Jharkhand	25	Andhra Pradesh	7
16.	Dadra & Nagarhaveli	15	Chandigarh	4
17.	Chattisgarh	13	Pondicherry	3
18.	Goa	11	Nagaland	3
19.	Orissa	10	Jharkhand	3
20.	Uttaranchal	9	Madhya Pradesh	1
21.	Assam	9	Goa	1
22.	Tripura	9	Chattisgarh	1
23.	Himachal Pradesh	8	Anadaman & Nicobar	1
24.	Jammu & Kashmir	5	Bihar	1
25.	Bihar	3	Orissa	1
Total number of Licenced Manu- facturers		4800	Total number of Licenced Dealers	10175

3. MARKET INTELLIGENCE DIVISION

Market Intelligence Division is functioning as an effective system to prevent evasion of cess. The important functions of MI Division are:-

- a) Inspection of business premises of rubber dealers for verification of the accounts and other records to ascertain the correctness of the statements and returns furnished by them to the Board.
- b) Conduct enquiries and inspections to ascertain the genuineness of application for licence to deal in rubber.
- c) Detection of bogus and unlicensed dealers and adoption of steps to prevent malpractices in rubber trade including malpractices in grading.
- d) Cross verification of the statutory returns filed by dealers/ manufacturers and processors for ascertaining the correctness of quantity of rubber acquired.
- e) Checking of transport of rubber through road, surprise visit to checkposts and Railway Parcel offices with a view to prevent evasion of cess on rubber.
- f) Strengthening the surveillance on interstate movement of rubber by posting 4 officials each at 3 important checkposts at Walayar, Kavalkinar & Manjeswaram.

Inspections are also conducted for ascertaining the suitability of the applicants and their business premises to issue licence to deal in rubber, registration of branches of the dealers and approval of new / additional premises and for issue of special authorisation for field latex collection.

Activities of Inspection Squad.

The central inspection squad functions at Head office, Kottayam. Market Intelligence (MI) Inspectors, at Kochi, Palakkad, Taliparamba and Marthandom, helped a great extent in improving the cess collection by

arresting illicit trade in rubber. The inspection also helped to collect monthly returns from a large number of delinquent rubber dealers.

During the year, the MI division inspected 1456 licensed dealers, 116 unlicensed dealers, 3 unauthorised godowns and detected irregularities in 310 cases involving 1622 Metric Tonnes as shortage / unaccounted stock / irregular sales and collected Rs.20,97,760/- towards cess on rubber from the cases involved. The Squad conducted 1052 road checking, 105 surprise visits to check posts / border areas and 2 visits to Railway Parcel Offices. In turn, the checking of the MI squad created awareness among those who are indulging in bogus trading, which results in arresting the illicit movement of rubber consignments.

Special attention was also given for scrutiny of inspection reports, Form N declarations / daily statement from check posts and wherever irregular despatches were made such cases were timely referred to Liaison Officers / Inspectors (MI Squad) for arranging inspection. On the basis of serious irregularities detected, the licences of 12 dealers were suspended and a sum of Rs. 3,41,321/- was also collected towards cess

Checkposts/Interstate movement of NR

In order to strengthen surveillance of interstate movement of rubber, regular checking of the documents accompanying the rubber consignments were done at the three checkposts at Walayar in Palakkad District, Bengra Manjeswaram in Kasargode District of Kerala and Kavalkinar in Thirunelveli District of Tamilnadu.

The surveillance exercised through the three check posts helped in detecting illicit transport of rubber. During the period under report, the officials at Walayar, Manjewaram and Kavalkinar check posts detained 197 consignments of rubber for various reason

and were allowed to cross the border on production of valid documents /satisfactory explanation / remittance of cess. A sum of Rs. 9,01,359/- towards cess amount and security deposit equivalent to the cess involved on the quantity as the consignors failed to produce proper evidence / explanation for the lapses. In addition, the Board's officials / Market Intelligence Inspectors rendered necessary assistance at the check posts to the Commercial Tax / Police officials whenever they sought necessary information for disposing of suspicious consignments detained by them. The Squad detected clandestine transport of rubber and collected Rs. 14,88,893/-

As per daily statement from the three check posts, 45549 consignments of rubber had passed through these check posts during the year as against 42,038 consignments during 2003-04.

Sl. No.	Name of the Check post	No. of Consignments passed	
		2004 - 05	2003 - 04
1.	Walayar / Kerala	24633	23493
2.	Majeswaram / Kerala	9627	9665
3.	Kavalkinar / Tamilnadu	11289	8880
Total Consignments passed		45549	42038

During 2004-05, 16500 books of Form 'N' under different categories were printed and 14374 Form 'N' books were supplied to various estates, processors, dealers and manufacturers. The MI division received 64,705 Form 'N' declarations and most of the same were scrutinized. Wherever discrepancies were noticed, explanation/ clarifications were obtained from the concerned parties and appropriate action taken.

Cross checking of monthly returns.

The monthly returns and copies of Form N declarations received from various dealers/manufacturers/ processors/ estates were cross checked at random and detected discrepancies in 213 cases. A sum of Rs. 1,85,27,512/- was realized during the year in the case of irreconcilable transactions as against Rs.46,40,519/- realised in 2003-04

Thus on account of special efforts put in by Inspection Squad, a total amount of Rs. 2,33,56,845/- could be collected towards cess during the year 2004-05 as against Rs. 1,05,26,981/- collected during 2003-04.

4. SUB OFFICES / LIAISON OFFICES

With a view to improve collection of cess on rubber and to maintain liaison with various Ministries, trade and industry, Board maintains 9 Sub Offices in the major rubber consuming centres at Chennai, Bangalore, Secunderabad, Ahmedabad, Kanpur, Mumbai, Kolkata, Jalandhar and New Delhi. Their functions include assessing the suitability of applicants, who apply for licences to deal in rubber / acquire rubber for rubber goods manufacturing, pursue the collection of cess on rubber and returns from the manufacturers and dealers. The purchases made by the rubber goods manufacturers / dealers and stock held by them was verified at random. Verifications of the books of accounts / records of the dealers and manufacturers were done to ensure that all rubber procured by them were properly accounted and subjected to assessment of cess and that the transactions reported in their returns submitted to the Board are true and correct. Surprise inspections were also conducted to detect unlicensed dealing in rubber and manufacturing of rubber goods in contravention of the provisions of the Rubber Act and Rules in order to prevent loss of revenue towards cess.



Part - X

STATISTICS AND PLANNING

General Statistics

The activities undertaken by the Statistics & Planning department during the period April 2004 to March 2005 included regular monitoring of the data on supply, demand, stock and price of rubber and presenting them to the Board and the Government. Demand-Supply position of natural rubber was reviewed periodically by the Board, which met on 24/7/04 and 20/11/04. A note on NR supplemented with statistical data reflecting the current and future scenarios in the NR sector were submitted for discussions in these meetings.

The statutory monthly returns collected every month from rubber growers, dealers, processors and manufacturers were computed for various statistics and analysed. In order to ascertain the monthly variation in production and stock in the small rubber holding sector, sample studies were continued. The data collected from various sources were compiled and production, consumption, import and stock of rubber were worked out on monthly basis. For publishing the 'Rubber Statistics', the required statistical information covering trend in production, consumption, stock, import/export of Natural rubber (NR), Synthetic rubber (SR) and Reclaimed rubber (RR), price of natural rubber and many other details were compiled on monthly basis. Board published Indian Rubber Statistics Vol.27, 2004 in September 2004, which contains detailed information on area under rubber, production, consumption, import, export, price of rubber, rubber goods manufacturers, dealers, rubber products, labour, etc besides world rubber statistics.

The Department furnished relevant statistical information to the Government and various organizations connected with the rubber industry. For answering Parliament and Legislative Assembly questions pertaining to import/export, production, price, etc., of rubber and the various aspects of rubber industry, necessary reply materials were furnished.

To ascertain the production of various grades of rubber, installed capacity, etc during 2003-2004, annual reports were collected from processors of centrifuged latex, block rubber, PLC and crepe mills. Annual returns relating to the year 2003-2004 were collected from manufacturers of rubber products to work out consumption of rubber according to end products. Classification of manufacturers according to consumption, state-wise consumption of NR, SR, RR were prepared from monthly returns collected from manufacturers. Annual returns from large growers were also collected in order to compile various statistical data on NR.

Planning

The annual plan for 2005-06 on natural rubber was prepared and submitted to the Ministry of Commerce & Industry. A note on the achievements of the Board, review on the performance of the rubber plantation industry, the action plan for 2004-05 of natural rubber and quarterly review reports were also submitted to the Government.

Supply of information to World Organizations

The S&P department continued to supply information about the NR industry in India to world organizations like the Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), Kuala Lumpur, Malaysia and International Rubber Study Group (IRSG), London.

On behalf of the Govt. of India, Chairman, Rubber Board participated in the IRRDB meeting at Kuming in China in September 2004, 28th meeting of the ANRPC Executive Committee in Papua New Guinea in October 2004, Made in India Show - 2004 in China in December 2004 and 29th Meeting of the ANRPC Executive Committee and ANRPC Assembly in Kuala Lumpur, Malaysia in February 2005. The Chairman presented the country reports on Natural Rubber in the above events.

STATISTICAL TABLES

Table - 1
PRODUCTION, IMPORT, EXPORT & CONSUMPTION OF NR
(All figures are in MetricTonnes)

Month	Production	Import*	Export	Consumption#
April 2004	47550	4717	1278	59020
May ,,	47300	6685	2023	60695
June ,,	49205	7788	1714	62640
July ,,	53110	7245	896	64265
August ,,	63590	5446	972	64210
September ,,	73130	7890	6471	64525
October ,,	75395	4169	10534	62455
November ,,	89065	4658	9879	61115
December ,,	91455	3318	7317	65150
January 2005	80110	6481	992	63515
February ,,	38205	6546	1735	63505
March ,,	41550	3775	2358	64310
Total	749665	68718	46169	755405

* Import Source : DGCI & S, Calcutta

Consumption includes Indigenous & imported NR

Table - 2
STOCK OF NR AT THE END OF EACH MONTH
(All figures are in MetricTonnes)

Month	Growers, dealers and processors	Manufacturers	Total
April 2004	33295	46495	79790
May ,,	29765	38750	68515
June ,,	29230	32270	61500
July ,,	23130	31040	54170
August ,,	31335	28765	60100
September ,,	40490	30770	71260
October ,,	48590	29730	78320
November ,,	64970	35305	100275
December ,,	79066	43804	122870
January 2005	88365	53615	141980
February ,,	67260	55040	122300
March ,,	55095	51105	106200

Table - 3
PRODUCTION, IMPORT & CONSUMPTION OF SYNTHETIC RUBBER
 (All figures are in Metric Tonnes)

Month	Production*	Import	Consumption
April 2004	7865	8663	17550
May ,,	7542	8673	18745
June ,,	7922	8516	19190
July ,,	8035	9814	18690
August ,,	7888	9784	18260
September ,,	7638	10112	18440
October ,,	7403	10747	19195
November ,,	7875	10059	19060
December ,,	8208	9917	19075
January 2005	7566	10333	19090
February ,,	7242	7453	18575
March ,,	9025	9024	18780
Total	94209	113095	224650

*Provisional figures

Table - 4
PRODUCTION & CONSUMPTION OF RECLAIMED RUBBER
 (All figures are in Metric Tonnes)

Month	Production*	Consumption
April 2004	6150	6095
May ,,	5965	5905
June ,,	6055	6015
July ,,	5980	5955
August ,,	6025	5985
September ,,	6070	6040
October ,,	6590	6385
November ,,	6305	6310
December ,,	6005	6155
January 2005	6085	6185
February ,,	5640	5750
March ,,	6190	6125
Total	73060	72905

* Indigenous purchase by manufacturers

Table - 5
MONTHLY AVERAGE PRICE OF VARIOUS GRADES OF NR IN INDIA
(Rs. per Quintal)

Month	RSS1	RSS2	RSS3	RSS4	RSS5	ISNR5	ISNR10	ISNR20	ISNR50
April 2004	6163	6063	5963	5779	5673	5996	5896	5616	5511
May „	6232	6132	6032	5855	5749	6070	5970	5605	5508
June „	6678	6578	6478	6343	6113	6369	6269	5793	5699
July „	6911	6811	6711	6560	6271	6739	6639	5832	5744
August „	5982	5882	5782	5572	5358	5844	5744	5064	4956
September „	5592	5492	5392	5163	4976	5504	5404	4870	4715
October „	5616	5516	5416	5277	5101	5578	5478	5145	4958
November „	5571	5471	5371	5207	5043	5542	5442	5093	4942
December „	5519	5419	5319	5188	4995	5469	5369	5010	4838
January 2005	5668	5568	5468	5311	5152	5624	5524	5170	5010
February „	5524	5424	5324	5149	5008	5496	5396	5063	4896
March „	5795	5695	5595	5447	5338	5728	5628	5351	5128
YEARLY AVERAGE	5938	5838	5738	5571	5398	5830	5730	5301	5159

Table - 6
MONTHLY AVERAGE PRICE OF VARIOUS GRADES OF NR IN INTERNATIONAL MARKET
(Rs. per Quintal)

Month	BANGKOK					KUALA LUMPUR		
	RSS 1	RSS 2	RSS 3	RSS 4	RSS 5	SMR 5	SMR 10	SMR 20
April 2004	6102	6035	5973	5940	5890	5772	5702	5678
May „	6421	6352	6289	6255	6203	5935	5763	5739
June „	6365	6298	6237	6203	6153	5908	5580	5556
July „	6058	5991	5929	5895	5844	5698	5429	5405
August „	5900	5833	5772	5738	5688	5572	5450	5425
September „	5838	5771	5710	5677	5627	5630	5411	5386
October „	5928	5861	5800	5767	5717	6059	5675	5650
November „	5744	5671	5615	5582	5532	6088	5611	5587
December „	5377	5311	5248	5214	5164	5409	5240	5217
January 2005	5310	5242	5180	5146	5095	5383	5285	5262
February „	5655	5587	5524	5490	5439	5639	5545	5522
March „	5865	5797	5734	5701	5650	5649	5475	5452
YEARLY AVERAGE	5880	5812	5751	5717	5667	5729	5514	5490

LIST OF MEMBERS OF THE RUBBER BOARD AS ON 31.03.2005

1.	Shri. S Maria Desalphine, IAS	Chairman, Rubber Board
2.	Shri. S Ramachandran, Vaikundam Plantations Ltd., PB No.1004, Geetha Vihar, 2/3309, Chalakuzhy Road, Pattom Palace PO, Thiruvananthapuram - 695 004.	Vice-Chairman, Rubber Board Representative of large grower from the State of Tamilnadu clause (b) of sub-section (3) of section 4.
3.	Shri. Vayalar Ravi, Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha) No.12, Copernicus Lane, New Delhi-110 001	Member of Parliament under clause (e) of sub- section (3) of section 4.
4.	Shri. PC Thomas, Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) B-702, New M.S. Flats B.K.S. Marg, New Delhi - 110 001.	Member of Parliament under clause (e) of sub- section (3) of section 4.
5.	L. Rajagopal, Hon'ble Member of Parliament (LS), 43-Meena Bagh, New Delhi-110 011	Member of Parliament under clause (e) of sub- section (3) of section 4.
6.	Secretary to Government, Environment & Forest Dept, Govt. of Tamilnadu, Chennai - 9.	Representative of Govt. of Tamilnadu under clause (b) of sub-section (3) of section 4.
7.	Agri. Production Commissioner, Govt. of Kerala, Govt. Secretariat, Thiruvananthapuram - 695 001.	Representative of Govt. of Kerala under clause (c) of sub-section (3) of section 4.
8.	Commissioner & Secretary, Dept. of Tribal Welfare, (Dept. dealing with Plantation) Govt. of Tripura, Agartala.	Representative of Other Interests under clause (d) of sub section (3) of section 4.
9.	Shri. Raghupathi Singhania, Managing Director, JK Industries Ltd., Link House, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.	Representative of Rubber Goods Manufac- turers under clause (d) of sub- section (3) of section 4.
10.	Shri. A Jacob, FCA, Managing Director, Velimala Rubber Co. Ltd., Ooppoottil Buildings, KK Road, Kottayam - 686 001.	Representative of large grower from the State of Kerala under clause (c) of sub- section (3) of section 4.
11.	Shri .K Jacob Thomas, Managing Director, M/s. Vaniampara Rubber Co. Ltd., Vazhakala Building, KK Road, Kottayam - 686 001.	Representative of large grower from the State of Kerala under clause (c) of sub- section (3) of section 4.
12.	Shri. MD Joseph, Manniparambil, Kanjirappally - 686 507.	Representative of large grower from the State of Kerala under clause (c) of sub- section (3) of section 4.

13.	Shri Ettumanoor V Radhakrishnan, Raghavamandiram, Onamthuruth PO - 686 602, Via. Kaippuzha - Ettumanoor	Representative of Other Interests under clause (d) of sub section (3) of section 4 of the Rubber Act 1947.
14.	Prof. KK Abraham, Chairman - Indian Block Rubber Producers' Association, Kayathinkara Marthoma Church Road, Pala.	Representative of Other Interests under clause (d) of sub- section (3) of section 4.
15.	Shri. C Ananthakrishnan, Puthen Veedu, Veeyannoor PO, Thiruvattar (Via), Nagercoil, Kanyakumari Dist.	Representative of Labour Interests under clause (d) of sub section (3) of section 4.
16.	Adv. P Lalaji Babu, Lalee Vilas, Bharatheepuram PO, Kollam Dist., Kerala.	Representative of Labour Interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
17.	Shri. Kanam Rajendran, Kochukala Purayidom, Kanam PO, Kottayam - 686 515.	Representative of Labour Interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
18.	Shri. PB Sathyan, Plavada Kochuveedu, South Vazhakulam PO, Aluva - 683 105.	Representative of small growers from the State of Kerala under clause (c) of sub- section (3) of section 4.
19.	Shri. PR Muraleedharan, Pathalil House, SN Puram PO, Pampady, Kottayam - 686 502.	Representative of small growers from the State of Kerala under clause (c) of sub- section (3) of section 4.
20.	Managing Director, Plantation Corporation of Kerala Ltd. Kottayam - 686 004.	Representative of Govt. of Kerala under clause (c) of sub-section (3) of section 4.
21.	Shri. Thomaskutty, Paragon Rubber Industries, 45A, 2 nd Phase, Peenya Industrial Area. Bangalore - 560 058.	Representative of Rubber Goods Manu- facturers under clause (d) sub- section 3 of section 4.
22.	Adv. MS Karunakaran, BMS Office, Manjamattathil, Opp. Railway Station, Kottayam.	Representative of Labour Interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
23.	Adv. Ashokavanam Chandrasenan, Gowreesam, Edaikodu PO - 629 152 Kanyakumari Dist., Tamil Nadu.	Representative of Other Interests under clause (d) of sub-section (3) of section 4.
24.	Shri. Georgekutty Augusthy, Cheeramkunel House, Inchiyani PO, Parathode Kottayam - 686 512.	Representative of small growers from the State of Kerala under clause (c) of sub- section (3) of section 4.
25.	Dr. AK Krishnakumar, Rubber Production Commissioner, Rubber Board, Kottayam-2.	Ex-officio member as per clause (f) of sub section (3) of section 4.